खण्ड-309, अंक-6
मंगलवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1896
(16 जुलाई, 1974 ई0)

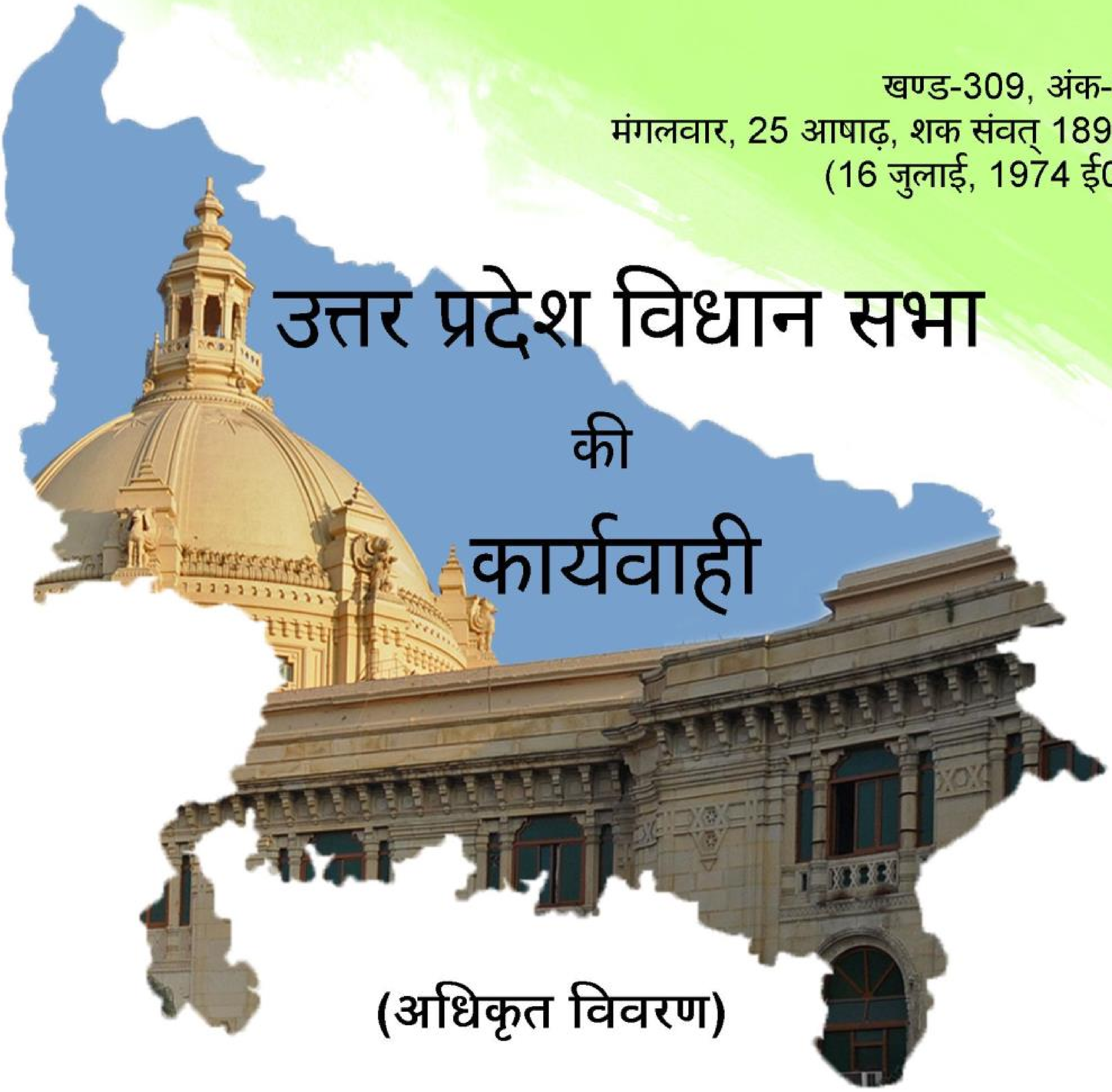

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य----३९८

अंगन लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुर रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का०नु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरकार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री

गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहली-गढ़वाल)
गौरी शंकर, एडवोकेट
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश मिश्रा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर , श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट , श्री
तीरथराम कहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दर्लासिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुररहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोतीलाल देहलबी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री

मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर,श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
रामभूति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री

अमर पदुम्न

वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्तिदेवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राय, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यप्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
संत सिंह यूसुफ, श्री
संतोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, उस्मानी उर्फ नब्बन, श्री
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १६ जुलाई, १९७४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश का उर्वरक तथा आवंटन

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश का विशाल कृषि क्षेत्रफल होते हुए भी पंजाब व हरियाणा प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश को केन्द्र द्वारा उर्वरक का कम आवंटन किया जाता है, यदि हां, तो क्या प्रदेश के कृषि उत्पादन को देश के अन्य प्रदेशों के तुलनात्मक बढ़ाने की दृष्टि से, कृषि क्षेत्रफल के आधार पर केन्द्र से उर्वरक प्राप्त करने के संबंध में केन्द्रीय शासन से लिखा-पढ़ी की गई है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

प्रदेशों का उर्वरक का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । उत्तर प्रदेश को फरवरी से जुलाई, १९७४ के लिये १६८.५०० मै० टन नत्रजन, १६,००० मै० टन फास्फेट और १३,२०० मै० टन पोटाश दिया गया । अन्य प्रदेशों के लिये आवंटित उर्वरकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

केन्द्र से अतिरिक्त उर्वरक प्राप्त करने के लिये प्रयास किया गया है जिससे इस प्रदेश के लिये आवंटित उर्वरक की मात्रा में वृद्धि भी हुई है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार किस आधार पर आवंटन करती है ? क्या उसका आधार कृषि का क्षेत्रफल है या प्रदेश में उसकी खपत ?

श्री राजमंगल पांडेय—

केन्द्रीय सरकार का क्या आधार है वह तो मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गत वर्षों में जो जितना उर्वरक खर्च करती है उसके अनुसार मिलता है, वह एक बहुत बड़ा मापदंड होता है दूसरे जिलों में आवंटन करने का ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगर खपत के अनुसार केन्द्रीय सरकार देती है तो मेरी जानकारी के अनुसार १९६९–७० में उत्तर प्रदेश में २०.८० कि० ग्राम प्रति हैक्टर की खपत थी और अगले वर्ष १९७०–७१ में १८.३५ हो गयी, यानी घट गयी । पंजाब और तामिलनाडु में इन दोनों वर्षों में इसकी खपत बढ़ी है । तो क्या कारण है कि अपने प्रदेश में खपत के अनुसार भी खाद नहीं मिली? यह जो खपत कम हुई इसका भी क्या कारण है ।

श्री राजमंगल पांडेय—

१९६९–७० के तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन १९७०–७१ तथा उसके आगे के हैं कि अपने यहां तथा पंजाब और हरियाणा में कितना खर्च होता था । १९७०–७१ में हमारे यहां नत्रजन का खर्च एक हैक्टर में १२.५४ किलोग्राम था, पंजाब में ३३.०० था,

हरियाणा में १४.८१ था। फास्फेट का हमारे यहां ३.२१,पंजाब में ५.९२, हरियाणा में १.६७ था । पोटाश का हमारे यहां खर्च १ ९२, पंजाब में १.३२ तथा हरियाणा में ०.५४ था ।

इसी तरह से १९७१–७२ में उत्तर प्रदेश में नत्रजन १४.५६, पंजाब में ४०.८४, हरियाणा में १४.५९ ।

१९७२–७३ में उत्तर प्रदेश में १५.६८, पंजाब में ४२.७१ और हरियाणा में १६.६२ ।

१९७३–७४ में उत्तर प्रदेश में १२.३०, पंजाब में ५०.२९, हरियाणा में १७.९९ किलोग्राम प्रति हेक्टर खर्च हुआ।

इससे जाहिर है कि हमारे यहां से उनके यहां खपत ज्यादा हुई ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

सरकार ने कितना मांगा था जिसके अगेन्स्ट में (उत्तर में) जो प्राप्त हुआ है वह बताया गया ? दूसरा प्रश्न यह है कि यात्रा में वृद्धि हुयी है। उन्होंने कहा कि मात्रा में वृद्धि हुयी है तो कितनी मांग की थी और कितना मिला ?

श्री राज मंगल पांडेय––

मांग कितनी की गयी थी यह तो मुझे पता नहीं लेकिन एक चीज पर जरूर बल दिया गया था कि १९७२–७३ और १९७३–७४ में जो खाद दी गयी थी उसमें ३३ हजार मी०टन कम थी । १९७४–७५ में यह जो कम खाद थी इसको देने का वादा उन्होंने किया है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने २३–६–७४ को दिल्ली जाकर वहां बातचीत की । तो जो ३३ हजार कम था उसको उन्होंने देने का वादा किया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि लोगों की रुचि फर्टिलाइजर के प्रयोग की बढ़ रही है । तो क्या क्षेत्रफल को देखते हुए हमारी सरकार, भारत सरकार से प्रार्थना करेगी कि यह जो एलाटमेंट है वह कृषि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाय?

श्री राज मंगल पांडेय––

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने स्वतः इस सम्बन्ध में अभी २३–६–७४ को दिल्ली जाकर बातचीत की है और उन्हें ३३ हजार मी०टन खाद देने का वायदा किया गया है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)––

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंग कि अपने प्रदेश की खपत को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए जितना उर्वरक आपको दिया जा रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय––

मान्यवर, उससे संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन लाचारी है।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे और जैसा उन्होंने बतलाया कि खपत कम हुयी । तो क्या खपत कम होने का आधार कृषि विभाग को खाद का वितरण न देकर सहकारिता विभाग को देना है । दूसरे क्या हमारी काश्त जो पूरे भारत की १/६ है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्टिलाइजर का जो कुल हिन्दुस्तान का कोटा है उसके १/६ फर्टिलाइजर की मांग की है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, सहकारिता विभाग को कृषि विभाग से खाद निकाल कर देना, यह नीति की बात है । इस संबंध में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं । दूसरे जो १/६ उर्वरक की मांग की गयी है तो आबादी के हिसाब से उर्वरक की मात्रा निर्धारित नहीं होती है । वैसे यह सही है कि यह भी एक कारण है इसलिये खाद ज्यादा मांगी है ।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

(व्यवधान)

मान्यवर, मंत्री महोदय के उत्तर से सम्बन्धित जैसा अभी उन्होंने बताया कि खाद की कमी है तो उस सम्बन्ध में क्या लिखा-पढ़ी की गयी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह लिखा-पढ़ी की गयी है उसमें क्या-क्या बातें लिखी गयीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर, दिसम्बर से फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी खाद केन्द्र सरकार से मांगी और कितनी खाद मिली ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं कितनी खाद मांगी गयी थी । लेकिन जो ३३ हजार मीटर टन खाद कम थी उसके सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री जी २३–६–७४ को दिल्ली गये थे । यह ३३ हजार मी० टन खाद शायद मिल गयी है और ट्रांजिट में है ।

सहकारी बीज भण्डारों द्वारा घटिया किस्म के बीज वितरण के संबंध में उपकुलपति, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का सुझाव

*२—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव), श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर), श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़), श्री ऊदल, श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल), श्री फजलुर्रहमान (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, नैनीताल के उप कुलपति ने गत वर्ष सरकार को सूचित किया था कि सरकार व सहकारी समितियों द्वारा घटिया किस्म का बीज किसानों को दिया जा रहा है और उससे उत्पादन में गिरावट आ रही है और प्रति वर्ष २५ करोड़ रुपये का घोटाला किया जाता है ? यदि हां, तो उप कुलपति के पत्र को सदन के पटल पर रखते हुये सरकार कृपया बतायेगी कि इस दिशा में अविलम्ब क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि क्या यह उनकी नोटिस में है कि १८ जून को टाइम्स आफ इंडिया में मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपी है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर डा० डी०पी० सिंह ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार और इस सरकार को भेजी है कि जो बीज बांटा जा रहा है वह सब-स्टैंडर्ड का बीज है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, उन्होंने स्वतः कोई चीज नहीं लिखी थी । १९७१-७२ में मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार एक रि-आर्गनाइजेशन आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एजूकेशन ऐण्ड एक्सटेंशन इन उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जो बनी थी, उसमें उनसे पूछा गया था । उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी सहकारी एजेंसियां हैं और जो सहकारी बीज भंडार है, उनसे जो बीज दिया जा रहा है वह जरमिनेशन प्वाइन्ट आफ विय् को देखते हुये कुछ सब-स्टैंडर्ड का बीज है ।

श्री ऊदल--

वाइस चांसलर ने सरकार को लिखा था तो उसके बारे में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? उसको सुधारने के लिये या रोकने के लिये कि रद्दी बीज किसानों को न दिया जाय अबतक कोई कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में चूंकि यह मसला बड़ा है तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो सवाई ली जाती थी उसको बन्द कर दिया जाय । चूंकि सीड स्टोर जो घाटे में चल रहा था उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती गई। इसलिये शासन इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा है और जल्दी ही कोई निर्णय लेगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९६८ या १९६९ में भारत सरकार का सीड प्योरिटी ऐक्ट उत्तर प्रदेश में पेश किया गया और उसके अन्तर्गत जिला कृषि अधिकारियों को बीज निरीक्षक भी मुकर्रर किया गया कि वह प्रमाणित करके बीज देंगे। बावजूद इसके कि जितने कोआपरेटिव सीड स्टोर हैं जिनकी चर्चा उप कुलपति, श्री सिंह ने अपनी रिपोर्ट में की थी । उनमें से ८० फीसदी द्वारा थर्ड क्लास का बीज बटा है । यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जो स्टैंडर्ड है वह ९७ फीसदी रिसर्च जरमिनेशन का होता है ८५ फीसदी से लेकर ९० फीसदी तक खेती में होता है । इसको देखते हुये जो सहकारी समितियों ने बीज बांटा वह घटिया था । लेकिन ऐसा पुअर नहीं था कि वह जरमिनेट न हुआ हो । वह स्टैन्डर्ड से थोड़ा घटिया रहा है ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो सवाई ली जाती थी उसको रोका दिया गया और स्टैन्डर्ड बीज कोआपरेटिव सोसाइटी से बांटा गया । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी से बटे वह पंतनगर यूनिवर्सिटी के समान हो ? नहीं तो बीज बंटना बन्द किया जाय ।

श्री राज मंगल पांडेय--

यह समस्या बड़ी है और बहुत बड़ा आर्थिक बोझ शासन के ऊपर है। इसलिये सरकार आर्थिक पहलू पर विचार करके जल्दी ही इस पर निर्णय लेने का विचार कर रही है ।

श्री राव मुश्ताक (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, हमें पंतनगर यूनिवर्सिटी का जितना अपना तजुर्बा है उसके अनुसार वहां का बीज देने का तरीका गलत है । उनके द्वारा कंडम बीज दिया जा रहा है हालांकि वह बीज खाद और पानी अधिक बरदाश्त करते हैं लेकिन उतनी पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं । इन्होंने २५ करोड़ का नुकसान बताया है परन्तु वह नुकसान ५० करोड़ रुपये का हुआ है । मेरा विचार है कि

[श्री राव मुश्ताक]

और जितनी वैराइटी है वह अच्छी खासी चल रही है। डब्ल वैराइटी द्वारा डब्ल पैदावार हो गई। यह किस्में दूसरों से अच्छी है। १०२ तथा १०३ या लाल बहादुर शास्त्री वैराइटी ये सब फेल हो चुकी है। इनको पानी व खाद ज्यादा चाहिये। इसलिये सरकार को इन वैराइटीज को बन्द करना चाहिये।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी विषय की गम्भीरता को देखते हुये कि इस सब-स्टैन्डर्ड बीज के कारण उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि जो कुछ हो चुका वह हो चुका, उसमें अब सुधार आप नहीं कर सकते क्योंकि आपमें क्षमता नहीं है, अब भविष्य में सब-स्टैन्डर्ड बीज किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से या जो आपकी ऐजेन्सी है उसके माध्यम से नहीं बांटे जायं, इसकी क्या आप व्यवस्था करने जा रहे है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, इसी के बारें में मैं कह चुका हूं कि हमारे सामने आर्थिक बोझ की समस्या है हम रास्ता निकालने जा रहे हैं और हमने ऐसा करने का संकल्प लिया है। लेकिन हम यह कैसे करेंगे यह एक समस्या है और इसमें सबसे बड़ा बाधक फाइनेंस है। इस समस्या का समाधान सोचने के बाद हम करेंगे।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के जो वाइस-चांसलर है हमेशा इस प्रयत्न में रहे हैं कि बीज के मामले में उनकी यूनिवर्सिटी की मोनोपली रहे और यह सोचकर के वह किसानों को महंगा बीज दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, खाद की व्यवस्था नहीं है, तो वह इस तरह के सीड लेकर क्या करेंगे और जब आप कोआपरेटिव के सीड स्टोर ही बन्द कर देंगे तो वह कैसे खेती करेंगे।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न हमारी ही बात को तस्दीक कर रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, डी० पी० सिंह साहब ने यह भी कहा था कि २५ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। तो जब यह बात सरकार की नोटिस में आ गई थी तो क्यों नहीं कोआपरेटिव सीड स्टोर्स के बीज की जांच करवाई। दूसरी बात यह है कि क्या पंतनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर ने यह भी सुझाव दिया था कि भविष्य में सीड को बटवाने के पहले उसकी एनेलिसिस करवा लिया करें।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। भ्रम यह है कि जैसा मैंने कहा कि ९७ प्रतिशत बीज की शुद्धता होनी चाहिये और ८५ से लेकर ९० प्रतिशत तक जरमिनेशन होना चाहिये सहकारी संस्था के माध्यम से या एग्रीकल्चर सीड स्टोर के माध्यम से जो बीज बंटवाये गये थे उनमें ९७ प्रतिशत और ८० से लेकर ९० प्रतिशत जरमिनेशन की रिक्वायरमेंट को भले ही पूरा न करें, लेकिन उससे थोड़ा सा ही कम था। चूंकि यह समस्या आर्थिक समस्या है और इसलिये मैंने बताया कि हमारे सामने दिक्कत हो रही है वरना हमने तो इसको करने का संकल्प तो कर ही लिया है।

विकास खण्ड ब्रह्मपुर व खोराबार (गोरखपुर) में हरी खाद के बीज के वितरण म विलम्ब

*३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के विकास खंड ब्रह्मपुर व खोराबार में उर्वरक खाद (यूरिया व सुपरफास्फेट आदि) के अभाव में जो हरी खाद (सनई ढैंचा आदि) का बीज इस वर्ष खरीफ अभियान में मई या मध्य जून, १९७४ तक भेजा गया था उसे ब्लाक के अधिकारियों ने वापस कर दिया और जिला कृषि अधिकारी ने इसे अपने यहां जमा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या इसे तत्काल वहां भेजवा कर किसानों में वितरण कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

दिनांक २२-५-१९७४ को विकास खंड ब्रह्मपुर में हरी खाद (सनई व ढैंचा) का बीज भेजा गया था परन्तु बीज भंडार प्रभारी क न मिलने के कारण सहायक विकास अधिकारी ने बीज वापस कर दिया । पुनः दिनांक १०-६-७४ को बीज भंडार प्रभारी ब्रह्मपुर स्वयं आकर बीज वितरण हेतु ले गये ।

जहां तक खोराबार विकास खंड का प्रश्न है इस विकास क्षेत्र को कहीं से बीज नहीं भेजा गया क्योंकि इस विकास खंड के अन्तर्गत बीज भंडार कुड़ाघाट पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध था ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, पहले मैं प्रश्न को स्पष्ट कर दूं । ६ जून से विधान सभा शुरू हुई और खाद के अभाव में बीज जब बांटा गया तो मेरे क्षेत्र में हा-हाकार मच गया । यह भी पता चला कि खाद वापिस कर दिया गया । मैंने जिला कृषि अधिकारी जो राय साहब हैं उनसे पूंछा तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है । जब ८ तारीख को मैंने पूछा कि क्यों वापिस ले लिया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और कहाकि हम बंटवाये दे रह हैं । तब उन्होंने १० को भेजा । मैं मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करायेंगे कि उन्होंने खाद के बारे में क्यों ऐसी अनियमिततायें कीं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, केवल करेंगे नहीं, कार्यवाही कर दी है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दुबारा जब बीज फिर गया तो वह बांटा गया या नहीं ? ब्लाक के लोगों ने कोई रिकार्ड भेजा है कि सनई और ढैंचा कितने एरिया में बोया गया, या नहीं बोया गया ? इस्तेमाल हुआ या नहीं और नही इस्तेमाल हुआ तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, दुबारा बीज भेजा गया । न बांटा जाता तो शिकायत आनी चाहिये थी । चूंकि कोई शिकायत नहीं आई, इससे स्पष्ट है कि बीज बांटा गया ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, क्या मंत्री जी जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

सीतापुर के सीड स्टोरों द्वारा फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केटिंग

*१—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९७३ से जनवरी, १९७४ तक सीतापुर जिले में फर्टिलाइजर के ब्लैक मार्केट की किन-किन सीड स्टोरों और संघों की शिकायतें सरकार के पास आईं तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

उल्लिखित अवधि में सीतापुर जिले में फर्टिलाइजर के ब्लैक मार्केटिंग के सम्बन्ध में जिन सीड स्टोरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई उनका विवरण संलग्नक "क" में दिया हुआ है ।

इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण सलंग्नक "ख" पर है

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ६४६ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, विवरण अगर बहुत लम्बा न हो तो माननीय मंत्री जी कृपया उसे पढ़कर बता दें?

श्री राज मंगल पांडेय—

सलंग्नक "क"—

१—सहकारी संघ लिमिटेड, बिसवां

२—सहकारी बीज भंडार, परसेडी

३—सहकारी बीज भंडार, रामकोट

४—सहकारी बीज भंडार, महमूदाबाद

५—गन्ना संघ, महमूदाबाद

सलंग्नक "ख"—

शिकायतों की जांच करने पर सहकारी संघ बिसवां, सहकारी बीज भंडार परसेडी, सहकारी बीज भंडार राम कोट तथा महमूदाबाद में स्थित गन्ना संघ के सम्बन्ध में फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केटिंग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। परन्तु सहकारी बीज भंडार, परसेडी में फर्टिलाइजर का वितरण परिवेक्षक द्वारा मनमाने ढंग से किया गया पाया गया जिसके लिये उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके दिनांक ३१-१२-७३ को चेतावनी दी गयी ।

२—सहकारी बीज भंडार, महमूदाबाद से सम्बन्धित शिकायत पर बीज भंडार के प्रभारी पर्यवेक्षक को दिनांक ६-७-७३ से निलम्बित कर दिया गया ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मैंने प्रश्न किया है, यह मेरी शिकायत पर हुआ था। माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है, वह गलत है । भ्रष्टाचार की शिकायत मैंने की । ८ सुपरवाइजर्स को मुअत्तल किया, एक ए० डी० ओ० को मुअत्तल किया गया, २ ए० डी० ओ० का तबादला हुआ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का तबादला हो गया और फिर बाद में उसका कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ७-८ सुपरवाइजर्स का तबादला

हुआ दो ए० डी० ओ० का ट्रांस्फर हुआ और एक ए० डी० ओ० बिसवां मुअत्तल हुय, उसके कारण क्या थे ? ऐसा क्यों किया गया ? यह मंत्री जी के उत्तर में नहीं है ।

श्री राज मंगल पांडेय--

७ ८ का नहीं १-१ का है । क्या कार्यवाही की गयी, वह बता दी है । हमारे पास ७ ८ सुपरवाइजर्स के ट्रांस्फर के मामले में सूचना नहीं है । जो जांच हुई है, उसका नतीजा मेरे पास है । अगर मान्यवर इजाजत दें तो पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष--

उसकी जरूरत नहीं है ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो ए०डी०ओ०, खराबाद और बिसवां का स्थानान्तरण हुआ था, उसके बारे में क्या रिपोर्ट है सरकार के पास ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उन्होंने पत्रावली में क्या देखा उन दो ए०डी०ओ० के बारे में जिनके बारे में गया प्रसाद जी कह रहे हैं इनका पहले ट्रांस्फर हुआ, फिर उसे मुख्य मंत्री जी ने रोका । तब फिर लोग आये तो फिर ट्रांस्फर कर दिया । एक बार रोकने और फिर करने के क्या कारण थे ? क्या यह पत्रावली में अंकित है और क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री ने कई बार आदेश दिये और फिर वापस ले लिये । हो सकता है कि माननीय सदस्य को ज्यादा जानकारी हो ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

जो उत्तर दिये गये हैं वे बहुत असंतोषजनक है । मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित करके दुबारा इसका जवाब दिलवाने की कृपा की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

स्थगित करने के लिये कारण होना चाहिये । कारण निकालने के लिये आप दूसरा सवाल कीजिये ।

हरदोई के सेवा निवृत्त पोन्ड कीपरों की पेंशन व ग्रेच्युटी

*२--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, हरदोई के कितने पोन्ड कीपर वर्ष १९७१ में रिटायर्ड हुये और क्या उन्हें पेन्शन तथा ग्रेच्युटी मिल गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

जिला परिषद्, हरदोई के कुल तीन पोन्ड कीपर वर्ष १९७१ में सेवा-निवृत्ति हुए जिन्हें अभी पेंशन तथा ग्रेच्युटी नहीं मिली है ।

[श्री बल्देव सिंह आर्य]

पेंशन तथा ग्रेच्युटी के लिये आवदन-पत्र के प्रारूप का निर्धारण न हो सकने के कारण इन पोन्ड कीपरों को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब हुआ है। अब इसे स्वीकृत करने की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति नियमावली सरकार ने तैयार कर ली है? यदि हां, तो कब?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, १९७२ में तैयार हो गयी थी। किन्तु उसमें जो आवेदन-पत्र का प्रारूप था उसकी कमी थी। वह भी १५ मई, ७४ में तैयार हो गया और वह गजट में प्रकाशित कर दिया गया है।

श्री भीखालाल--

शासन के इस प्रकार के आदेश हैं कि किसी भी विभाग के किसी कर्मचारी के रिटायर होने के ६ महीने पहले ही उसके कागजात पेंशन के तैयार होने लगें? अगर हां, तो इनका पालन क्यों नहीं हो रहा है? अगर हो रहा ह तो ३ साल से पेंशन क्यों नहीं मिली?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह जिला परिषद, हरदोई का कर्त्तव्य था कि वह उनके कागजात तैयार करता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। १ अक्तूबर, ७३ को शासन ने जिला परिषद् को आदेश दिया कि जो राजकीय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के आवेदन-पत्र का फार्म है उसी पर वह इन कर्मचारियों की भी पेंशन का प्रपत्र तैयार कर दे और उनको पेंशन दे दें लेकिन जिला परिषद् ने इसको नहीं दिया। अब यहां से यह कार्यवाही की गयी है कि जल्दी से जल्दी उनकी पेंशन स्वीकृत करके उनको अदा कर दी जाय।

श्री ऊदल--

प्रारूप पत्र जो तैयार हो गया है, वह उन कर्मचारियों को भेज दिये गये हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, भेज दिये गये और वे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

पिछले चार साल से जिला परिषदों का कार्य कलेक्टर देख रहे हैं? तो जिन कलेक्टरों ने गफ़लत की है क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, मैं पूछ रहा हूं कि यह विलम्ब कैसे हुआ और कौन इसके लिये जिम्मेदार है।

तारांकित प्रश्न

*१--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२--मुहम्मद असरार अहमद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

कृषि निदेशालय के लिपिकों का स्थायीकरण

*३---श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि निदेशालय लखनऊ में लिपिक वर्गीय ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सेवायें दस वर्ष से अधिक की हो गई हैं किन्तु वे अभी तक अस्थायी हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

४२।

*४---श्री भगवत दयाल---

क्या यह सही है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के अनेकों स्थायी पद निदेशालय में पिछले ३ वर्षों से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

दो स्थायी पद पिछले ३ वर्षों से रिक्त पड़े हैं।

ज्येष्ठतम दो के अनुपयुक्त होने व उनके मामले विचाराधीन होने के कारण।

श्री भगवत दयाल---

४२ कर्मचारी अभी तक अस्थायी हैं उनको क्या स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री राज मंगल पांडेय---

प्राविधान कर दिया गया है। बजट पास होने के उपरान्त आर्डर चले जायेंगे।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मुख्य मंत्री ने इसी साल फरवरी में एक आदेश जारी किया था कि जो कर्मचारी ३ वर्ष तक काम कर लें उनको स्थायी कर दिया जाय तो उसको देखते हुये क्या तुरन्त यह आदेश दिये जायंगे कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको तुरन्त स्थायी किया जाय ?

श्री राज मंगल पांडेय---

यह आदेश हो चुके हैं। दो व्यक्तियों को छोड़ कर जो अनुपयुक्त पाये गये उन के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई, बाकी ४० के लिये आदेश दे दिये गये हैं। चूंकि बजट में प्राविधान है जब उनकी सेलरी वर्क आउट हो जायगी तब हो जायंगे।

*५---श्री कल्याण सिंह---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

विकास खण्ड अतरौली (अलीगढ़) की सघन साहकारी समितियों के सदस्यों पर बकाया धनराशि और उसकी वसूली

*६---श्री कल्याण सिंह---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ३१ मई, १९७४ तक विकास खंड अतरौली, जिला अलीगढ़ में किस-किस साघन सहकारी समिति के अन्तर्गत किस-किस पर कितनी-कितनी धनराशि कब-कब से बकाया चली आ रही है और सरकार ने उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा बकाया धनराशि कब तक वसूल कर ली जायगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

दिनांक ३१-५-७४ तक विकास खण्ड अतरौली जिला अलीगढ़ में १५ साधन समितियों में ३८९ सदस्यों पर रु० ६८,१२५.५९ पसे बकाया था। समिति का नाम, सदस्य तथा वर्षवार बकाया का विवरण संलग्न † है।

३८९ बकायादारों में से १३७ सदस्यों के विरुद्ध सालसी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और उनमें इजराय जारी है। शेष २५२ बकायादारों के विरुद्ध शीघ्रातिशीघ्र सालसी कार्यवाही पूरी करने हेतु संबंधित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को कठोर आदेश दे दिये गये हैं। चालू वर्ष में बकाया वसूल होने की आशा है।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बकाया सन ६८ से चला आ रहा है, ६ वर्ष हो गये, क्यों अब तक वसूल नहीं हुआ? अब तो सालसी कार्यवाही भी शुरु हो गयी होगी। इसके वसूल न होने के लिये कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, इसका अख्तियार तो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को है कि वह सालसी कार्यवाही के लिये प्रस्ताव पास करें लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी विभाग की भी है और उन्हें देखना चाहिये था कि क्यों कार्यवाही अब तक नहीं हुई।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स कर्ज वाली लिस्ट में हैं जिससे कि सालसी कार्यवाही नहीं की गई?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन्, लिस्ट तो बहुत लम्बी है और वह प्रश्नकर्त्ता महोदय को दे दी है।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जो १५ साधन सहकारी समितियों की सूची दी गई है, उसमें दो साधन सहकारी समितियां छूट गई हैं। उनमें एक है साधन सहकारी समिति उत्तरी अतरौली और दूसरी है साधन सहकारी समिति, दक्षिणी अतरौली। मान्यवर, यह जो दक्षिणी अतरौली की साधन सहकारी समिति है इसके ऊपर भी बहुत दिनों से बकाया चला आ रहा है और उसके कर्ज लेने वाले भी मर चुके हैं। क्या इसकी जांच करा कर मंत्री जी कार्यवाही करेंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करा लूंगा।

सहकारी संघ, रामापुर, (गोंडा) के सुपरवाइजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*७—श्री फजलुर्रहमान तथा श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ, रामापुर विकास खंड कटरा बाजार, जिला गोंडा के सुपरवाइजर के खिलाफ यूरिया खाद चोर-बाजारी में बेच लेने तथा अन्य

---

†छापी नहीं गई।

भ्रष्टाचार की शिकायतें किसानों द्वारा दिनांक ३ जनवरी, १९७३ को जिला नियोजन अधिकारी गोंडा, दिनांक २२ फरवरी, १९७३ को जिलाधिकारी गोंडा, ३१ अगस्त, १९७३ को उप निबन्धक सहकारी समितियां मंडल, फैजाबाद, नवम्बर, १९७३ को राज्यपाल के सलाहकार और जनवरी, १९७४ को आयुक्त फैजाबाद मडल को प्रार्थना-पत्र देकर की गई ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर जांच कराई गई अथवा नहीं ? यदि कराई तो क्या परिणाम निकला ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वे कब तक इसकी सूचना सदन को दे देंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

अगले मंगलवार तक ।

जिला कोआपरेटिव बैंक व जिला सहकारी विकास संघ, आजमगढ़ के संचालक मण्डल का चुनाव

८—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोआपरेटिव बैंक तथा जिला सहकारी समितियां, आजमगढ़ के संचालक मण्डल का चुनाव कब हुआ था और भविष्य में कब होने वाला है तथा विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

आजमगढ़ जिला कोआपरेटिव बैंक के संचालक मंडल का चुनाव दिनांक २-११-६९ को हुआ था । जिला सहकारी समितियां, आजमगढ़ से सम्बन्धित प्रश्न संभवतः जिला सहकारी विकास संघ के बारे में है, क्योंकि जिला स्तर पर सहकारी समितियां नामक कोई संस्था नही है । जिला सहकारी विकास सघ के संचालक मण्डल का चुनाव दिनांक १२-५-७० को हुआ था ।

जिला कोआपरेटिव बैंक के संचालक मंडल का चुनाव बैंक द्वारा चुनाव तिथि निर्धारित करने पर होगा । बिलम्ब का कारण बैंक द्वारा समुचित निर्णय न लेना व विभाग द्वारा संचालक मडल के निलम्बन आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होना है ।

जिला सहकारी विकास संघ के संचालक मंडल का चुनाव शीघ्र ही कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोआपरेटिव बैंक का चुनाव कब तक हो जाना चाहिये था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

तीन साल का टर्म होता है । तीन साल के बाद चुनाव हो जाना चाहिये था ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा जो संचालक मंडल भंग किया गया, वह किन-किन कारणों से किया गया था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कारण मिसमैनेजमेंट तथा और तरह की अनियमिततायें व पैसा अपव्यय वगैरह जिस पर भंग किया गया था, किन्तु हाई कोर्ट से वह रुक गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उच्च न्यायालय में जो स्थगन-आदेश मिला है उस पर स्थगन आदेश जल्दी से जल्दी खत्म हो, इस दिशा में क्या सरकार की कोशिश हो रही है, और यदि हो रही है तो इतने बिलम्ब का कारण क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

हाईकोर्ट से बिलम्ब है यह इसके लिये मैं क्या कह सकता हूं । बोर्ड यदि चाहे तो बोर्ड का चुनाव करा ही सकता है और उसके लिये विभाग की तरफ से प्रयास भी हुआ है । सहायक निबन्धक की तरफ से ५ नोटिस दी गई कि अधिक दिन हुये चुनाव करा लिये जायें और अभी २८-३-७४ को जो उप-निबन्धक थे, उनके द्वारा भी नोटिस दी गई कि चुनाव करा लिये जाय । विभाग, वह मामला, उच्च न्यायालय में होने के कारण आगे की कार्यवाही नही कर पा रहा है ।

असन्दरा खाद गोदाम, (बाराबंकी) के इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायत

*९—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७३ में बाराबंकी जनपद के असन्दरा खाद गोदाम के इन्चार्ज के विरुद्ध जनता की शिकायतें प्राप्त हुई थी ? क्या इस वर्ष उनके विरुद्ध जनता द्वारा कोई अनशन किया गया था तथा उक्त गोदाम की जांच भी हुई थी ? यदि हां, तो अनशन किन मदों को लकर तथा जांच से क्या-क्या गड़बड़ी पाई गई और प्रशासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

जी हां ।

अनशन नहीं किया गया । अतः अनशन की मदों का प्रश्न नहीं उठता ।

गोदाम की जांच करायी गयी थी । जांच में कोई गड़बड़ी नही पायी गयी । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा जिले के अन्तर्गत खाद एवं बीज की बकाया धनराशि

*१०—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री रामपति तथा श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विगत सन् १९६३ से गोंडा जिले में खाद एवं बीज का १ करोड़ २२ लाख रुपया वसूल किये जाने हेतु बकाया है ? यदि हां, तो इस धन को वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा २० हजार से ऊपर के बकायेदार कितने है उनके नाम और पत क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जनपद गोंडा में सन् १९६३ से १-७-७४ तक खाद व बीज का १,१९,५२,४३६.१९ रु० वसूल किये जाने हेतु शेष है । इसमें से १२,०६,२२३.२५ रु० की वसूली का कार्य माल विभाग द्वारा तथा शेष १,०७,४६,२१२.९४ रु० की वसूली कृषि विभाग द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

बीस हजार रु० से ऊपर (२६,१०० रु०) के बाकीदार की श्रेणी में केवल श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालज, गोंडा का नाम आता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह १ करोड़ १९ लाख रुपया जो बकाया है, यह कितने लोगों पर बकाया है और सन् ६३ से आजतक इसकी वसूली के लिय क्या कदम उठाये गये ।

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक प्रश्न आपने किया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह १० हजार के ऊपर वाले ही आप बता दें । ११ साल हो गये इसमें । मेरा प्रश्न सीधा है कि वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाई कर रही है, किन्तु जो जबाब दिया है वह यह है कि इस विभाग द्वारा इतना वसूल किया जायेगा और इस विभाग द्वारा इतना वसूल किया जायगा । तो मंत्री जी बतायें वसूली के लिये क्या कार्यवाई की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

कोशिश हुई निग्रह प्रसार द्वारा, व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा तथा इस सम्बन्ध में ५३ मांग पत्र जारी हुई, १०२१ उपस्थित पत्र जारी किये गये, ४५९ गिरफ्तारी के अधिपत्र जारी हुये और चल सम्पत्ति की कुर्की के लिये ५३ जारी किये गये ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंग कि जिस कालेज पर आपने २६ हजार रुपया बताया है, वह कब से है और उसके खिलाफ वसूली के लिये क्या किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह २६,१०० रुपया है । उस कालेज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कालेज देना चाहता है, लेकिन उसके पास जमीन है जो उसे बेचनी है, किन्तु उसके रेती ने और बंजर होने के कारण कोई लेने को उसे तैयार नही है । अपने दो फार्मों के लिये उसने पैसा लिया था । पहले साल उस पर जो खेती की, उसमें मुनाफे के बजाये घाटा हुआ । प्रयत्न कालेज कर रहा है, ज्यों ही जमीन बिक जाय वह पैसा दे दे ।

श्री दशरथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो बकाया है १,१९,५२,४३६ रु० की पूरे जिले की इसमें भिन्न-भिन्न ब्लाकों का कितना अंश है और सबसे बड़ी रकम वाले कर्जदार की संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक है । ब्लाक की सूचना आप मांग लेंगे अलग से, दे दी जायगी ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इतनी बड़ी रकम की वसूली में दिक्कत इसलिये हो रही है, खाद और बीज फर्जी नामों पर लिया गया है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

नीयत तो बुरी नहीं थी क्योंकि उनके पास फार्म्स है । फार्म्स की पैदावार कम हुई जो लागत लगी उसमें दे नहीं पाये ।

श्री राम सेवक यादव—

यह प्रश्न नहीं है । प्रायः ऐसी जगहों पर, ज्यादातर गोंडा, बहराइच और बाराबंकी जिलों के बारे में बता दूं, खाद और बीज फर्जी नामों पर जिन्होंने पा लिया है, पचासों इस तरह की ऐप्लीकेशंस है, इतनी बड़ी रकम की वसूली में इसलिये दिक्कत हो रही है । क्योंकि खाद और बीज फर्जी नामों पर लिया गया, ऐसी शिकायत आपको मिली है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

लम्बी रकमें फार्म वालों की ही नहीं है छोटे कृषकों को भी दिया गया है । फर्जी होने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं आया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारे पूर्वी जिलों के बहुत से लोग उपनिवेश बसाने की योजना के अन्तर्गत गये हैं और खेती करते है । क्या बहुत सी बकाया, जो अलाभकर जोत वाले किसान हैं, छोटे-छोटे उन पर अधिकांश बकाया है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, शुरू में हमेशा जब नयी जमीन तोड़ी जाती है तो अलाभकर होती है । इस लिये यह कहना कि सिर्फ उन्हीं पर है, यह कहना सम्भव नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी यह जो बकाया रकमें छोटे-छोटे, अलाभकर जोत वालों पर हैं, उनको माफ करने की इजाजत देंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी प्रक्रिया बनाने के बाद इसका कहीं अन्त नहीं होगा ।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बकायादारों में कुछ वर्तमान विधायक, कुछ भूतपूर्व विधायक कुछ ब्लाक प्रमुख हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन हैं, और उन पर कितनी-कितनी रकम बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—

विधायकों की इतनी संख्या थोड़े ही होगी ।

श्री राज मंगल पांडेय—

हमें कोई जानकारी नहीं है । हमने पहले कह दिया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

हमारे जिले में कुछ भूतपूर्व विधायक, जो एम०एल०सी० इस समय हैं, कुछ ब्लाक प्रमुख हैं, इन लोगों ने १९६३ से यह बकाया ले रखी है, इनके परिवार वालों के नाम से खाद ली गई है, यही कारण है कि वसूली आज तक नही हो रही है । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर और रुपईडीहा ब्लाक में कौन-कौन ब्लाक प्रमुख है जिन पर बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यापक सवाल है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, यह जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर है तो बतायें ।

श्री राज मंगल पांडेय—

इस तरह की बकाया केवल गोंडा में ही नहीं है चूंकि कई सालों से परिस्थितियां खराब रही, पूर्वी जिलों क लोगों पर बकाया पड़ गयी, वसूली होती नहीं । तीन चार सालों से काश्तकारों को बड़ी परेशानी रही है । सारी रकम बड़े लोगों की है, ऐसा नही है, हजारों छोटे-छोटे किसान है जिन्होंने लिया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, यह बहुत बड़ी धनराशि का घोटाला है । इसमें आप हमारी मदद कीजिये और सरकार को डाउन कीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप लिखकर दीजिये ।

*११—श्री मलखान सिंह—

[८वें मगलवार के लिये स्थगित] ।

नगर महापालिका, लखनऊ की आडिट रिपोर्ट

*१२—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथरा) तथा श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ की आडिट रिपोर्ट, वर्ष १९७१–७२ में बहुत जबरदस्त अनियमिततायें दिखाई गयी हैं और मुख्य लखा परीक्षक ने कोई रिपोर्ट सरकार को इस सम्बन्ध में भेजी है, यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ।

श्री राज मंगल पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

सवाल यह है कि नगरमहापालिका यहीं है और एक महीने से ज्यादा हो गया है और सरकार के पास रिपोर्ट आई हुई है। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि इकट्ठा क्या चीज हो रही है जब कि सचिवालय में हर चीज मौजूद रहती है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि नगरमहापालिका लखनऊ की आडिट रिपोर्ट वर्ष १९७१–७२ में बहुत जबर्दस्त अनियमिततायें दिखाई गई हैं और मुख्य लेखा परीक्षक ने कोई रिपोर्ट सरकार को इस सम्बन्ध में भेजी है तो वह कहां है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

सरकार के यहां रिपोर्ट आई हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

सूचना कहां से एकत्रित कर रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह सही है कि शासन के यहां यह रिपोर्ट आई थी और २६२ विशेष और १६५५ साधारण आपत्तियां उठाई गई थीं तो फिर से रिपोर्ट वहां भेज दी गई है कि वह ध्योरा दें कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

यह कब भेजी गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मार्च, १९७४ में प्राप्त हुई और ५ अप्रैल को उनके पास भेज दी ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं यह जानना चाहूंगा कि जब इतनी आपत्तियां है और सरकार करोड़ों रुपये का अनुदान देती है तो यह रिपोर्ट क्यों नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष—

१५ दिन में यह प्रश्न फिर आयगा ।

श्री राम सेवक यादव—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो आपत्तियां है उनमें मुख्य आरोप क्या है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आने दीजिये । १५ दिन में फिर आयेगा ?

श्री राम सेवक यादव—

क्या यह भी होता है कि आडिट रिपोर्ट भेज देते हैं या क्वेरी करते हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इसी रिपोर्ट पर क्वैरी करके भेज दी गई है कि वह इसकी कम्पलायेंस कब तक करेंगे। इसी में देर हो रही है ।

श्री रामसेवक यादव—

यह तो वहीं रहती है । यहां भेजने की क्या जरूरत थी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

अगर इसको न भेजते तो २६२ विशेष और १६५५ साधारण आपत्तियां थीं उनको साइक्लोस्टाइल कराना पड़ता । इसलिये रिपोर्ट पर ही क्वैरी मार्क करके भेज दिया है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

रिपोर्ट जो भेजते हैं तो उसकी नकल रखते हैं । उसके आधार पर यह क्वैरी कर सकते थे । सवाल आने के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण है ? क्या कुछ लोगों को बचाना है ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, किसी को बचाना नहीं है। रिपोर्ट बहुत लम्बी चौड़ी थी जिसमें इतनी आपत्तियां हैं तो रिपोर्ट को ही भेज दिया है कि इसमें कोई एम्बेजिलमेंट वगैरा का तो केस नहीं है । कहीं एक मद का पैसा दूसरी मद में तो खर्च नहीं हुआ । यह सारी टिप्पणी हमने मंगाई है । जब वह आ जायेगी तो दे देंगे ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आडीटर जनरल अपनी कापी एक गवर्नमेंट को भेजता है, एक कापी म्युनिसिपल बोर्ड को भेजता है । अगर यह नियम है तो सवाल है कि यहां से क्यों भेजी गयीं ।

श्री राजमंगल पांडेय--

जैसा कि मैं उत्तर दे चुका हूं, एक आडिट रिपोर्ट कई सेक्शन्स से संबंधित हो सकती है । वहां पर कई विभाग हैं । कापी इस लिये भेज दी गयी जिससे आसानी हो जाये ।

ती अध्यक्ष--

१५ दिन में फिर आयेगा ।

चौधरी चरण सिंह---

उनके पास तो पूरी रिपोर्ट रहती है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या सूचना मंगाने की रीति पर वाद-विवाद हो सकता है इस सदन में ।

श्री अध्यक्ष---

बिलकुल हो सकता है । मेरी व्यवस्था है ।

बीयर-बार लाइसेन्स का वितरण

*१३---श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के दिनांक ११ जून, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के संबंध में मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बीयर-बार के लाइसेंस देने के लिए क्या आधार लगाया गया है और क्या प्रदेश के छोटे कस्बों व गांवों में भी बीयर-बार खोले जाने का प्रश्न विचाराधीन है ? क्या बीयर-बार की दूकानों के विस्तार के साथ कठोर पेय की दूकानों की संख्या कम की जायेगी । यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बीयर-बार के लाइसेंस का इस प्रकार वितरण किया जायगा कि जिससे जिले के मुख्यालय पर ही किसी क्षेत्र विशेष या मुहल्ले में लाइसेंस अनावश्यक रूप से केंद्रित न हों बल्कि तहसीलों तथा जिले के अन्य प्रमुख नगर क्षेत्रों में भी वितरित हो जायं । इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि यह बीयर-बार किसी सार्वजनिक समागम के स्थान, स्कूल, अस्पताल, पूज्य स्थान, फैक्टरी, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमा जिला न्यायालय, बाजार, हरिजन बस्तियां तथा राष्ट्रीय मार्गों के निकट या ऐसे स्थानों जहां किसी साम्प्रदायिक तनाव का भय हो, न खोला जाय । छोटे कस्बों व गांवों में बीयर वार खोलने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं ।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

इन दूकानों की संख्या कम करने से एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है ।

*१४—श्री हरि केवल—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*१५—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[९वें गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के आदेश के विरुद्ध पुनर्वीक्षण के मामले

*१६—श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र लखनऊ के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निर्देश, १९५८ के निदेश संख्या २५ के अन्तर्गत कुल कितने पुनर्विलोकन के मामले और उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा १५-क के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र लखनऊ के निर्णय के विरुद्ध कितने पुनरीक्षण के मामले इस समय शासन के विचाराधीन हैं और उपर्युक्त पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के मामले कब-कब से विचाराधीन चले आ रहे हैं और उनका अब तक निस्तारण न किये जाने का क्या कारण है ।

श्री राजमंगल पांडेय—

वर्ष १९५८ का उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश कोई नहीं है बल्कि १९६० का है जिस निदेश संख्या २५ के अन्तर्गत एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा १५-क के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के आदेश के विरुद्ध ३० जून, १९७४ तक कुल २० पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र शासन के विचाराधीन थे जिनमें १९७० के २, १९७२ के ८, १९७३ के ५, तथा १९७४ के ५ मामले हैं ।

इनके अब तक निस्तारण न होने का प्रमुख कारण नियत प्राधिकारी से आख्या/अभिलेख तथा अतिरिक्त सूचना का न प्राप्त होना है ।

कृषि निदेशालय के कर्मचारियों का मकान-किराया भत्ता

*१७—श्री भीखा लाल—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि आदेश संख्या मु० प्र० १६००/(अ) १-१(७४-७५), दिनांक ६ मई, १९७४ के द्वारा कृषि निदेशालय, लखनऊ के कितने कर्मचारियों को तैनाती आदेश दिये गये तथा उनमें से कितने कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृति नयी दरों पर मकान किराया-भत्ता अब तक भुगतान नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां । ६ व्यक्ति तैनात किये गये थे ।

एक को नई दर पर मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया क्योंकि संबंधित कर्मचारी द्वारा अभी तक तद्संबंधी निर्धारित रूप पत्र नहीं भरा गया है ।

कानपुर नगर महापालिका द्वारा जल-सम्पूर्ति मास्टर प्लान योजना के अन्तर्गत लगाये गये नलकूप

*१८—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

विधान सभा में दिनांक १८ जून, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर महापालिका के क्षेत्र में पनकी जूही हरिजिन्बर नगर और गणेश उद्यान में लगाये गये नलकूपों पर करीब ५ लाख रुपया से अधिक व्यय होने के बाद भी ये सभी नलकूप असफल रहे यदि हां, तो इसका अलग-अलग क्या कारण है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि कानपुर नगर में पीने के पानी का भीषण संकट रहता है यदि हां, तो जल-सम्पूर्ति के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४७ पर)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने लिखा है कि स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा जल-सम्पूर्ति मास्टर प्लान योजना कार्यान्वित की जा रही है तो यह योजना क्या है । उसमें क्या करेंगे?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह तो बिया हुआ है कि चूंकि मास्टर प्लान है जो कानपुर में है । उसी के कार्यान्वित करने के लिए यह रकम एलाट की गयी है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

योजना क्या है?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं बता दूं कि गंगा जी कानपुर शहर से हट कर उन्नाव की तरफ जा रही हैं । नदी के ऊपर एक बराज बनना है वहां पर बालू जमा हो गयी है। उसको कानपुर के पास लाना है जिससे केसा को पानी मिल सके और कानपुर शहर को पानी दिया जा सके। यह योजना है और इसी का यह एक अंग है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मान्यवर, गंगा नदी पर एक बांध बनाने की योजना है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कितनी लम्बी है और इसमें कितने पुल बनाये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यापक सवाल हो गया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह योजना जो है वह कब आरम्भ होगी और कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी योजना है जो करीब-करीब २२.७८ करोड़ रुपये की है। इसके लिए १० करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा की गयी है। १९७४-७५ के आय-व्ययक में इसके लिये व्यय की नयी मदों की अनुसूची के माध्यम से एक करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की जा चुकी है। यह साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा कि इसको हम कब तक पूरा कर पावेंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गंगा पर बांध बन रहा है, यह कितना लम्बा है और यह कब तक बनकर तैयार हो जायगा?

श्री अध्यक्ष--

बाद में पूछिएगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, यह देखते हुए कि इस बांध की योजना काफी दिनों से चल रही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह योजना कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। दूसरी बात क्या केंद्रीय सरकार से भी इस योजना में सहायता मिलेगी?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, इसमें केंद्रीय सरकार का तो हाथ नहीं है। इसमें लाइफ इन्शोरेंस और विश्व बैंक से ही इस योजना के प्रारूप में खर्च की बात है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

यह जो बांध बन रहा है, यह कितना लम्बा-चौड़ा रहेगा? मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दें। मान्यवर, आपको कानपुर की कोई हमदर्दी नहीं है। मान्यवर, आप जवाब तो दिलवाइये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, आपको खतरा है कि इनका मकान तो नहीं डूब रहा है।

विकास खण्ड हरिहरपुर तथा सिरसिया (बहराइच) में पेयजल योजनान्तर्गत हरिजनों हेतु निर्मित कूप

*१९--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले के विकास खंड हरिहरपुर रानी तथा सिरसिया के अन्तर्गत पेय जल योजना में हरिजनों के लिये सन् १९७२ से अब तक किन-किन गांवों में कुल कितने कूप बनवाये गये और अलग-अलग उनकी क्या लागत आई है? साथ ही कितने कूप अभी बनने शेष हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

बहराइच जनपद के विकास खंड हरिहरपुर रानी तथा सिरसिया के अन्तर्गत पेय जल योजना में सन् १९७२ से ३०-६-१९७४ तक सामुदायिक विकास विभाग के माध्यम से २९ कूप पूर्ण रूप से बनवाए गये हैं तथा इन पर कुल रुपया ४९,८००.३९ पैसे का व्यय हुआ है। गांवों की सूची तथा प्रत्येक कुएं की अलग-अलग लागत का विवरण अनुसंलग्नक में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

३३ कुओं पर निर्माण कार्य चल रहा है उन की सूची अनुसंलग्नक-२ में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६४८–६५१ पर)

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ३३ कुओं का निर्माण कार्य चल रहा है यह कब प्रारम्भ किया गया और इसके तैयार होने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह तो उत्तर में कहा गया है कि १९७२ से यह प्रारम्भ हुआ है और अब तक जो प्रगति है वह भी उत्तर में बता दिया गया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जो अनुलग्नक सूची दी हुई है इसमें कुओं का निर्माण डेढ़ हजार रू० में हुआ है और कुछ कुएं ऐसे हैं जिनकी लागत २,२५० रु० आई है। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसकी लागत का क्या आधार है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो सरकार ने आदेश कुएं बनाने के लिये दिये हैं उसमें कहा है कि आतंरिक व्यास ४ फुट वाला कुआं अगर ३० फुट गहरा है तो १,८०० रु० व्यय होगा। यदि ७५ फुट गहरा है तो ३,००० रु० व्यय होगा। इस तरह से पानी कहो पर २०–३० फिट पर मिल गया तो कहीं ४० फिट पर, कहीं ५० फिट पर मिल गया। इस हिसाब से कुछ अधिक धन खर्च हुआ है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय सामुदायिक मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। अभी मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि सदन के पटल पर रखा है। तो सदन के पटल पर तो नहीं रखा है। यह एक व्यवस्था का भी प्रश्न है और उत्तर का भी यह संलग्नक तो कहा गया है, लेकिन सदन के पटल पर तो है नहीं। इसको बताने की कृपा करेंगे ?

*२०—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*२१—श्री रामरेखा यादव—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित]

सिद्धौर विकास खण्ड (बाराबंकी) के कैशियर के विरुद्ध शिकायतें

*२२—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड सिद्धौर, जिला बाराबंकी के कैशियर के विरुद्ध वर्ष १९७२–७३ में जिला प्रशासन को कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई क्या उक्त कैशियर के विरुद्ध इसी दौरान क्षेत्र समिति में कोई प्रस्ताव भी पास हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

तकावी अमीनों द्वारा दाखिल की जाने वाली धनराशि में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी, कैशियर के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी सिद्धौर ने जिला नियोजन अधिकारी, बाराबंकी को रिपोर्ट भेजी थी और यह सूचना दी थी कि उन्होंने अनियमित ढंग से अस्थाई तकावी की धनराशि ७८६.६५ पैसे जो अमीनों ने ३०-१०-७२ को जमा की थी गबन कर ली और स्थानान्तरण पर चले गए। इनसे १२-१-७३ को यह धन राशि जमा करवा ली गई। वर्ष १९७२-७३ में कैशियर के विरुद्ध क्षेत्र समिति द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी उन्नाव के मुअत्तली का आदेश और उनके विरुद्ध आरोपों की जांच

*२३—श्री नन्हे लाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव को करीब ४ माह मुअत्तल हुये उन्हें हो गय परन्तु आदेश अब तक उन्हें नहीं मिला है और वह लगातार कार्य कर रहे हैं व वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उन्हें आदेश २७-६-७४ को मिल चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*२४—श्री नन्हे लाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी उन्नाव के विरुद्ध जनवरी, १९७३ से अब तक कुल कितने जनता के धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है और उन पर सरकार न क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ग्यारह।

उनकी जांच उच्च अधिकारियों एवं निदेशालय की लेखा सम्प्रेक्षण टोली द्वारा की जा रही है।

२५—श्री शारदा भक्त सिंह—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

भूमि विकास बैंक, पुखरायां के प्रतिनिधि के चुनाव के सम्बन्ध में अपील

*२६—श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक, पुखरायां के प्रतिनिधि के चुनाव दिनांक १४-१०-७४ को, चुनाव-परिणाम के पक्षपात पूर्ण होने के बारे में भूमि विकास बक के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के यहां कोई अपील हुई है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

भूमि विकास बैंक, पुखरायां के प्रतिनिधि के चुनाव के सम्बन्ध में एक वाद १४-१०-७४ को नहीं बल्कि १४-१०-७३ को दायर किया गया था। इस वाद की अन्तिम सुनवाई की तिथि अपर निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा १९-७-७४ निश्चित की गई है।

फैजाबाद में दूध डेयरी का निर्माण तथा उसके कर्मचारियों पर व्यय

*२७—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में प्रस्तावित दूध डेरी के कार्यालय में उच्च अधिकारी एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर दी गयी है परन्तु अभी तक दूध डेरी के निर्माण एवं संचालन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने फैजाबाद में अपने प्रोजेक्ट कार्यालय में उक्त अधिकारी एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर ली है किन्तु परियोजना हेतु चयन की गई भूमि के अभी तक उपलब्ध न हो पाने के कारण भवन निर्माण एवं डेयरी के संचालन का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

*२८—श्री सीताराम निषाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में दूध डेरी से सम्बन्धित खोले गये उक्त कार्यालय के उच्च अधिकारी एवं अन्य स्टाफ के वेतन, भत्ता, मकान किराया, गाड़ी, टेलीफोन पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उक्त प्रोजेक्ट कार्यालय में उच्च अधिकारी एवं अन्य स्टाफ पर वेतन, भत्ता, मकान किराया, गाड़ी, टेलीफोन आदि पर अब तक कुल ३७,९११.२६ रु० व्यय हुए है ।

इलाहाबाद, नगर महापालिका के अन्तर्गत कथित "हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर" की योजना

*२९—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगरमहापालिका ने आवास गृहों के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास हाल ही में भेजी है जिसका नाम "हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर" रक्खा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस योजना के अनुसार इलाहाबाद के डा० लोहिया मार्ग को छोटा करके घेर लिया जावेगा तथा उसी पर आवासीय भवन बनाने की योजना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के कार्यालय में कथित योजना प्राप्त हुई है ।

अभी इस योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

आबकारी निरीक्षकों की आयु सीमा में कथितछूट

*३०—श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सही है कुछ आबकारी निरीक्षकों की आयु संबंधी अर्हता की शर्त को मार्च अप्रैल, १९७४ में ढीला किया गया था ? यदि हां, तो किस आधार पर तथा इस ढिलाई के कारण कितने निरीक्षकों को लाभ पहुंचा है ।

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*३१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*३२—श्री गोरे लाल शाक्य—

[७वें सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि भवन, लखनऊ के अधिकारियों का स्थानान्तरण

*३३—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि भवन, लखनऊ के कार्यालय में बहुत से ऐसे अधिकारियों का जो आठ-दस-दसवर्ष से कार्य कर रहे हैं स्थानान्तरण क्यों नहीं किया जा रहा है जब कि सरकार का यह नियम है कि तीन वर्ष के पश्चात स्थानान्तरण कर दिया जाये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

स्थानान्तरण न करने के निम्नलिखित सामान्य कारण हैं:—

१—पद का केवल मुख्यालय पर होना ।

२—तकनीकी व विषय विशेषशता से संबंधित होना ।

३—ज्येष्ठता अथवा सेवा निवृत्ति निकट होना ।

उप निदेशक, पशुपालन फार्म्स के अधीनस्थ फार्मों की उपज पर लेबर यूनिट्स की बढ़ोत्तरी

*३४—श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन फार्म्स के अधीनस्थ नील गांव, सैदपुर, बाबूगढ़, भरारी और हस्तिनापुर फार्म पर वर्ष १९७३–७४ के मुकाबले वर्ष १९७२–७३ में फार्म पर लगाये गये लेबर यूनिट्स प्रति क्विन्टल उपज (अनाज के रूप में) घटी या बढ़ी ? यदि लेबर यनिट्स का उपयोग बढ़ गया तो बढ़ने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्नगत पांच प्रक्षेत्रों में से एक प्रक्षेत्र सैदपुर पर लेबर यूनिट घटी है । बाबूगढ़ पर लगभग बराबर है । बाकी तीन प्रक्षेत्र हस्तिनापुर, नीलगांव एवं भरारी पर थोड़ी बढ़ी है ।

हस्तिनापुर तथा नीलगांव फार्मों पर बढ़ोत्तरी का कारण गन्ने के बजाय अन्य फसलों का उत्पादन था जिनके बोये जाने के लिये अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है ।

भरारी फार्म पर जो बढ़ोत्तरी हुई उसमें से अधिकांश बढ़ोत्तरी गलत बुकिंग के कारण हुई है अर्थात् कुछ यूनिटों का खर्चा जिनका उपयोग अन्य मदों में किया गया था, इस वर्ष में डाल दिया गया । वास्तविक बढ़ोत्तरी सामान्य है ।

जिला जालौन में बबीना पेयजल योजना

*३५—श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जिला जालौन में बबीना योजना के नाम से कोई स्कीम स्वीकृत है ? यदि हां, तो उस पर कब से कार्य प्रारम्भ करने का विचार है तथा उसके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

योजना शासन के विचाराधीन है ।

*३६—श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री सुल्तान सिंह तथा श्री देवी सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*३७-३८—श्री शिव प्रसाद—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

प्रदेश की नगर महापालिकाओं का चुनाव

*३९—श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री ऊदल तथा श्री जफर आजमी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर महापालिकाओं का चुनाव कब तक होगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

प्रदेश की विगठित चार नगरमहापालिकाओं अर्थात् लखनऊ, कानपुर, आगरा तथा वाराणसी के चुनाव से सम्बन्धित परिसीमन कार्य हो रहा है । आशा की जाती है कि फरवरी-मार्च, १९७५ तक चुनाव हो जायेगा । इलाहाबाद नगर महापालिका का चुनाव सितम्बर, १९७५ तक होगा ।

*४०—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

*४१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।)

अतारांकित प्रश्न

सहायक विकास अधिकारी कृषि सुमेरपुर ब्लाक, उन्नाव का स्थानान्तरण

१—श्री शिव कैलास (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक विकास अधिकारी, कृषि, ब्लाक सुमेरपुर जिला उन्नाव को उक्त ब्लाक में कितने वर्ष हो गये हैं ? यदि उक्त सहायक विकास अधिकारी को सुमेरपुर ब्लाक में रहते हुए ज्यादा वर्ष हो गये हैं तो नियमानसार उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पुराने सहायक विकास अधिकारी को सात वर्ष से अधिक हो गये थे । वह स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ।

वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को १० दिन हुये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ जिले में ग्रामीण पेय जल योजना

२—श्री कल्याण सिंह —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अलीगढ़ की किस-किस तहसील में कौन-कौन ग्राम वर्तमान पेयजल योजना के अन्तर्गत ले लिये गये हैं और उक्त योजना पर अनुमानित व्यय कितना होगा ? इस सम्बन्ध में किस चरण तक की कार्यवाही दिनांक ३१ मई, १९७४ तक पूर्ण की जा चुकी है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

३१ मई, १९७४ तक स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा जिला अलीगढ़ की ६ तहसीलों की पेयजल योजना का प्राक्कलन बनाया जा चुका है। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५२-६५३ पर)

३—श्री राम रेखा यादव—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

४-५—श्री सत्य पाल मलिक—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

६—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० गोरखपुर द्वारा खरीदे गये कपड़े का मूल्य

७—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, लिमिटेड गोरखपुर द्वारा वर्ष १९७२-७३ व १९७३-७४ में कितने मूल्य का कपडा भंडार में बिक्री हेतु खरीदा और कहां-कहां से खरीदा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, गोरखपुर द्वारा वर्ष १९७२-७३ व१९७३-७४ में क्रमशः रु० १,२४,४९६.२५ व रु० ७१,८३१.८५ का कपड़ा भंडार में बिक्री हेतु संलग्नक में इंगित फर्मों/संस्थाओं से खरीदा गया।

(देखिय नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ६५४ पर)

तहसील कन्नौज (फर्रुखाबाद) में वितरित की गयी रासायनिक खाद

८—श्री झाम लाल अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में जनवरी, १९७४ से मई, १९७४ तक प्रति मास कितनी रासायनिक खाद काश्तकारों को वितरित की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में जनवरी, ७४ से मई, ७४ तक काश्तकारों को वितरित रासायनिक खाद का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ ६५५पर)

९—श्री राम रेखा यादव—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित]

१०—श्री पुरुषोत्तम—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर में आर० एम० पी० योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

११—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में कौन-कौन सी सड़के आर० एम० पी० योजना के अन्तर्गत मार्च, १९७४ तक बन चुकी हैं तथा ऐसी कौन-कौन सी सड़कें है जिनका निर्माण होना बाकी है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार निम्नांकित सड़कें मार्च, १९७४ तक बन चुकी है:—

१—कौड़ीराम—गोला
२—सेवई—महुआ डावर
३—बोकटा—जैदपुर
४—रुस्तम—मलौनी बन्ध
५—कुसम्ही—मोतीराम अड्डा—झगहा
६—पसिया—ललाइन—लक्ष्मीपुर
७—सिसवा—जोरहर
८—बदुया—पीपीगंज भाग (अ)
९—बदुया—पीपीगंज भाग (ब)।
१०—नौसागर—लेहड़ा
११—पैसिया—बाबू—अड्डा
१२—खजुरगवां—शिवनावपुर
१३—रामपुर—बल्डीहा—बसंतपुर और
१४—राजधानी मटियारा

२—निम्नांकित सड़कें निर्माणाधीन हैं जिनके ३१-३-१९७५ तक पूर्ण हो जाने की आशा है:—

१—नोकी बाजार—ब्रम्हपुर
२—सिसवा हेवती, और
३—कौड़ीरामपुर—गजपुर

१२—श्री अंगने लाल—

[१०वें गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद् गोंडा द्वारा निर्मित सड़कें

१३—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह तथा श्री मंगरे (जिला गोंडा)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७२ में शासन ने जिला परिषद् गोंडा के माध्यम से लिंक रोड बनाये जाने हेतु १४ लाख रुपया स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो उस रुपय से कौन-कौन सी सड़क का निर्माण कराया गया और क्या खरगूपुर—इटिया-

ठोक सड़क की मरम्मत भी इसी कोष से कराई गई है ? यदि हां, तो उसके खर्चे के विवरण क्या हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां । इस धनराशि से जिन सड़कों को पक्का करने तथा सुदृढ़ करने का कार्य किया गया है उनका विवरण संलग्न है । इसमें इटियाथोक-खरगूपुर मार्ग भी शामिल है जिसके ५.६ किलो मीटर क भाग को सुदृढ़ करने पर अब तक ३,६६,०७० रु० का व्यय हो चुका है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ६५६ पर)

इटावा में दूध व घी के उपयुक्त उपयोग हेतु योजना की मांग

१४--श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा में दूध तथा घी का उत्पादन एवं पशुपालन का काफी क्षेत्र है तथा दुग्ध की खपत कम है ? यदि हां, क्या इसके सही उपयोग के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इटावा जनपद में दूध तथा धी का यथेष्ठ उत्पादन है तथा पशुपालन का भी काफी क्षेत्र है । उत्पादन को देखते हुये दूध की खपत कम है । कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड लिमिटेड, कानपुर क कार्यक्षेत्र में इटावा जनपद भी सम्मिलित है और बोर्ड इस जनपद में दुग्ध का संकलन करता है । इटावा में शासन द्वारा कोई योजना अलग से चलाने का विचार इस समय नहीं है ।

१५--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

उत्तर प्रदेश मोटर वैहिकिल्स (प्रथम संशोधन), नियमावली १९७४†

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या १२६४-टी/तीस-४-३४-के०एम०-७४, दिनांक १० जून, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वैहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ को, यू० पी० मोटर वहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (१९७४-७५)‡

श्रम मंत्री (श्री राजमगल पांडेय)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वार्षिक विवरण-पत्र (१९७४-७५) को, दि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।
‡छापा नहीं गया ।

श्री सूबेदार प्रसाद, विधायक की कथित हत्या की आशंका के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुरादाबाद के ग्राम शमशोई थाना बहजोई में श्री बाबू सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह के परिवार के १० सदस्यों की दिनांक ७/८ जुलाई, १९७४ की रात्रि में हत्या के विषय से संबंधित सर्वश्री दशरथ सिंह तथा बाबू लाल वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५१ के अधीन मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, सभी दलों के विधायकों को पत्र लिखकर आपने याद दिलाया कि हरिजनों पर अत्याचार न हो। मान्यवर, एक विधायक का जीवन आज खतरे में है। गिरोहबन्द एवं बदमाश लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और इनको धमकी दे रहे हैं कि भविष्य में उनके घर पर आक्रमण करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

सदस्यों की गिरफ्तारी चौथे नम्बर पर आती है। माननीय सूबेदार प्रसाद ने एक आवेदन किया था कि उनकी जान को खतरा है, तो वह मुख्य मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

माधव प्रसाद जी का नोटिस है। आपने कहा है कि सूबेदार प्रसाद जनसेवा और समाज सेवा जो कर रहे हैं तो इनकी असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या का षड़यन्त्र है। इस बारे में मिर्जापुर जिले के ग्राम रोरवा थाना कोन निवासी सामन्तवादी एक हरिजन विरोधी भुवनेश्वर प्रसाद गुप्त, गोपाल प्रसाद, बच्चन सिंह, केश्वर सिंह तथा दलसिंगर सिंह के विरुद्ध श्री सूबेदार प्रसाद ने लिखित रिपोर्ट २७ जून, १९७४ को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को दी थी। परन्तु अधिकारियों द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। ज्ञातव्य है कि भुवनेश्वर प्रसाद हिस्ट्रीशीटर भी रहा है।

इसकी जानकारी उपरोक्त गुंडों को मिलने के कारण उनकी कमजोर वर्ग हरिजनों को सताने की गतिविधियों में प्रतिशोध की भावना से वृद्धि अवश्य हुई तथा सूबेदार प्रसाद पर प्राण-घातक हमलों की तैयारी होने लगी। उनका रास्ता निकलना तक बन्द हो गया।

जब कोई कार्यवाही जिले से नहीं हुई तो ११ जुलाई, ७४ को श्री सूबेदार प्रसाद ने मुख्य मंत्री महोदय तथा अध्यक्ष, विधान सभा को भी सब जानकारी देकर प्राण रक्षा की याचना की। यहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त गुंडों ने श्री सूबेदार प्रसाद पर दबाव डाला कि वह शिकायत करना छोड़ दें और यह भी कि "हरिजन एम० एल० ए० लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा।"

११ जुलाई को उपरोक्त बदमाशों ने श्री सूबेदार प्रसाद के पालतू पशुओं को घर से हंकवा कर मवेशी खाने में डाल दिया। श्री प्रसाद के शुभचिन्तकों को मारा-पीटा तथा चेतावनी दी कि यदि सूबेदार जी क्षेत्र में आ गये तो मार डाले जायेंगे।

सरकार द्वारा श्री सूबेदार प्रसाद के प्राण रक्षा की कोई कार्यवाही न करने से आज स्थिति यह हो गयी कि उनकी हत्या किसी भी समय हो सकती है। इतना भय तथा आतंक है कि विधान सभा में निर्भय रूप से काम करने में भी बाधा उत्पन्न है, क्षेत्र में जाना संभव नहीं है। सरकार की विधायक के प्रति बरती गयी उपेक्षा नीति से जन असन्तोष उत्पन्न है।

[श्री अध्यक्ष]

तो मैंने पहले भी माननीय सूबेदार प्रसाद से कहा था कि एक तो अंगरक्षक दिया जाता है तो कौन व्यवस्था आप चाहते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मेरा यह सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट आर्डर भेज दें। उनकी जान बड़े संकट में है। वह हिस्ट्री शीटर है और इनकी तलाश में रहता है। ये भाग कर जान बचाये जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० को डायरेक्ट आर्डर इस संबंध में जाना चाहिए और उस व्यक्ति को बाइंड-डाउन किया जाय। मंत्री जी यहां से लिखें मैजिस्ट्रेट को कि इनकी दरख्वास्त एफ० आई० आर० ट्रीट की जाय। हाईयेस्ट अथारिटीज को लिख दें। इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है ? इसलिये मैंने यह सुझाव दिया है। शैडो देने आदि में तो बड़ा झंझट होता है। उसकी आवश्यकता होगी तो प्रार्थना की जायगी।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आज मंत्री जी को भेजा है !

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

तिवारी जी हैं। उनसे मैं कहूंगा कि वह जल्दी करें यह नहीं कि घटना हो जाय। वह अपने क्षेत्र में जाते नहीं हैं। ४ आदमी लेकर जाते हैं। शीघ्रता करें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष--

कल इसपर जो व्यवस्था होगी--अभी तो यहां हैं वहां नहीं गये हैं तो उचित व्वयस्था होगी उसके बारे में मुख्य मंत्री जी से कहूंगा।

मुरादाबाद के ग्राम शमशोई, थाना बहजोई में एक परिवार के १० सदस्यों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाबू सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी शमशोई, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद ने दिनांक ८ जुलाई १९७४, को ८-३० बजे प्रातः थाना बहजोई पर लिखित सूचना दी कि बीती रात लगभग ११-१२ बजे जब वह अपने मकान की छत पर सो रहा था तब २०-२५ व्यक्तियों ने बन्दूकों, राइफलों, बल्लम, फरसा, तमंचा व लाठियों से लैस होकर उसके मकान में घुस कर आवाज लगाते हुए बन्दूकों एवं राइफलों से फायर करना आरम्भ किया तथा उसके घर के कुल १० व्यक्तियों को, जिनमें औरतें, बच्चे व आदमी शामिल थे, मार डाला।

वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बालकृष्ण तथा १८ अन्य को नामजद किया तथा उनके अतिरिक्त ६-७ अन्य व्यक्तियों को भी अपराध में सम्मिलित होना बताया जिन्हें वह सामने आने पर पहचान सकता है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया कि उसके घर की एक लड़की सर्वेश कुमारी उम्र ८-९ वर्ष डर कर बोरियों की आड़ में छिप गई तथा उसने अभियुक्तों को मारते देखा और उन्हें पहचाना। उक्त सूचना पर थाना बहजोई में धारा १४७/१४८/१४९/४५२/३०२/३४ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया।

२---उक्त सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष, बहजोई तुरन्त मौके पर गये। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद तथा क्षेत्राधिकारी भी उसी दिन मौके पर गये। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर स्वयं विवेचना का संचालन कर रहे हैं। विभिन्न ग्रामों में अभियुक्तों की

गिरफ्तारी के लिये तुरन्त दविश आरम्भ की गई। एक अभियुक्त बन्दी बनाकर जेल भेजा गया तथा अन्य अभियुक्तों को बन्दी बनाने हेतु भरसक प्रयत्न जारी है। नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त मामले से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

३——अब तक की विवेचना से यह घटना पुरानी रंजिश के कारण होना पाया गया।

४——जिला पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त उप पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी मौके पर गये। अधिकारियों ने ग्रामवासियों से बात-चीत की तथा उन्हें ढारस बंधाया। ग्राम शमशोई में एक सेक्शन पी० ए० सी० तथा दो सशस्त्र गारद तैनात की गई है जिनको आसपास के ग्रामों में भी सघन गश्त करने के आदेश दिये गये हैं। क्षेत्राधिकारी बहजोई, घटनास्थल पर पड़ाव डाले हैं। थाना बहजोई के लिए चार स्थानीय उप निरीक्षकों के अतिरिक्त एक अन्य उप निरीक्षक और दो जीपें दी गई हैं जिससे दल बनाकर अभियुक्तों की तलाश जल्द की जा सके।

५——सामान्य रूप से यह कहना सही नहीं है कि जिला मुरादाबाद में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई है अथवा जन साधारण अपने को असुरक्षित अनुभव करने लगे हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)——

मान्यवर, जिस थाने के अन्तर्गत गांव में हत्या हुई है वह रात्रि के ११-१२ बजे हुई है लेकिन रिपोर्ट साढ़े आठ बजे सबेरे लिखाई गई है इसमें जो इतना समय लगा इसका कारण क्या है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय——

यह ७/८-७-७४ की घटना है, ११-१२ बजे रात की और ८ बजे सबेरे अगर रिपोर्ट लिखायी गई है तो उसमें देरी क्या हुई ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)——

जो एफ० आई० आर० लिखाई गई, उसमें किन-किन के नाम लिखाये गये हैं और जहां घटना हुई वह उससे कितनी दूरी पर रहते हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय——

जो १९ आदमी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:——

१——बालकृष्ण, पुत्र गंगा सहाय,

२——गंगा सहाय, पुत्र रूप राम,

३——हरप्रसाद, पुत्र छदम्मी लाल,

४——ओमप्रकाश, पुत्र हरप्रसाद,

५——सत्यप्रकाश, पुत्र हरप्रसाद,

६——चेतन, पुत्र हरप्रसाद,

७——शिशुपाल, पुत्र रामचन्द्र सिंह,

८——पृथ्वीपाल सिंह, पुत्र रामचन्द्र सिंह,

९——राजपाल सिंह, पुत्र सीताराम,

१०——ओमवीर सिंह, पुत्र उमराव सिंह,

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

११वां है हपुवा पुत्र न मालूम, मुगनी सिंह, पुत्र गज्जू सिंह, ब्रजराज सिंह, पुत्र मद्या सिंह, रोशन सिंह, पुत्र वजीर सिंह, नौगन सिंह पुत्र वजीर सिंह, बाबू सिंह पुत्र न मालूम और ७–८ और नाम हैं। इस तरह से १९ नाम थाना बहजोई के हैं जहां तक हमारे पास इत्तला है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह प्रश्न पूछने का मेरा मतलब सिर्फ यह था कि जिस गांव में यह घटना हुई अगर उसमे सटा हुआ गांव है तो आज तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? और कोई मतलब मेरा नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

इतनी निर्मम हत्यायें हुई हैं और माननीय मन्त्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि पहले से कोई रंजिश थी। तो जो मृतक लोग थे उनके परिवार की तरफ से पहले कोई रिपोर्ट थाने में ऐसी दर्ज हुयी कि इनकी जानको खतरा है यदि हुई, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री राजमंगल पांडेय—

इस वाकये के पहले और कोई रिपोर्ट इस सम्बन्ध में नहीं हुई थी। यह जरूर है कि १९७० में जो बाबूसिंह हैं उसने बालकृष्ण को दफा २५ आर्म्स ऐक्ट में पकड़वा दिया था जिसमें एक वर्ष की सजा हुयी थी। उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ कई दश्मनी के केसेज चलते रहे।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

यह घटना सचमुच बहुत ही जघन्य घटना है और शासन के लिए तो बहुत ही लज्जाजनक है। लेकिन क्या इस तरह की आपसी वैमनस्य की घटनाएं इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि जो सम्बन्धित लोग हैं उनको शासन, न्याय और सुरक्षा पर विश्वास नहीं रह गया है क्योंकि क्या यह सही है कि इसमें जो एक मृतक बालकृष्ण शर्मा है मई के महीने में उस पर कातिलाना हमला हुआ था और ३०७ धारा के अन्तर्गत चन्दौसी थाने में मुकदमा दायर हुआ और उसके कोई साथी बहादुर सिंह संतोई को २३–६–७४ को गोली मारी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ? तो जब इस तरह के जघन्य अपराध होते रहते हैं तो क्या शासन जिम्मेदार नहीं है उन घटनाओं के लिये और अगर जिम्मेदार है तो क्या कार्यवाही की गई?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

यह सही है कि २३–६–७३ को थाना बहजोई पर इस किस्म की रिपोर्ट लिखायी गयी कि बालकृष्ण और उसके साथी पर गोली चली। बालकृष्ण का कहना था कि गोली उसके ऊपर चलाई गयी जरूर लेकिन लगी उसके साथी को। यह मामला भी अनुसंधान शाखा को सुपुर्द है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ८२–८३ की कार्यवाही हुई है वह किन-किन मुलजिमान के खिलाफ हुई है और उसमें क्या-क्या चीजें कुर्क की गई हैं?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

यह रिपोर्ट ८ तारीख को दर्ज हुई है और १४ तारीख को ८२–८३ की कार्यवाही हुई। १८ व्यक्तियों के खिलाफ ८२–८३ की कार्यवाही की गयी। अब किन-किन के यहां से क्या-क्या सामान कुर्क हुआ यह तो मैं इस समय नहीं बता सकता।

श्री ख्यालीराम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)--

जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं उनकी जान, श्रीमन्, खतरे में है। एस०पी० महोदय भी इस मामले को टाल रहे हैं। तो क्या सरकार उन पांच प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का मामला भी जांच के लिए अनुसंधान शाखा को दे रही है?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

चूंकि इसके पहले भी कह चुका हूं कि १९७३ में यह घटना हुई थी जिसमें बालकृष्ण वाले मामले को अनुसंधान शाखा को दिया गया था और चूंकि यह भी दोनों वहां पार्टी में रहे हैं इसलिए उनको भी अनुसंधान शाखा को दे दिया गया है।

श्री सत्यप्रकाश (जिला बरेली)---

समाचार यह है कि अभियुक्त जो नामजद हुए वे बहजोई में रह रहे थे और जब पुलिस बुलाई गई तो पुलिस इतनी कम संख्या में थी कि उन्होंने अपनी बेबसी में वहां से सब मुलजिमों को भगा दिया और किसी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की या करने जा रही है जिन्होंने मुलजिमों को पकड़ने में नहीं बल्कि उनको भगाने में सहायता की?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मुल्जिमों को भगाने में सहायता दी ऐसी कोई बात नहीं है। जो पुलिस के आदमी वहां गये वह उनको पकड़ नहीं सके। अब इसका उत्तर तो मैं दे नहीं सकता कि पुलिस मुल्जिमों को पकड़वाने में सफल होने के बजाय भगाने में सहायता दी।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

श्रीमन्, जितने कत्ल के मामले होते हैं उनमें हर बयान में आखिर में यह लिखा गया है कि इसको देखते हुए यह लगता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी नहीं है और ऐसा नहीं है कि नागरिक अपने को असुरक्षित महसूस करते हों तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा पैमाना है जिसके आधार पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई मानी जाती है?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

मान्यवर, थाने में कोई रिपोर्ट न हो और दो गोलवाले जब कभी मौका पाकर एक दूसरे पर आक्रमण कर दें इत्तिफा किया तो उसके लिए दुनिया में कोई मजबूत से मजबूत प्रशासन भी कोई, कार्यवाही नहीं कर सकेगा?

श्री सत्यपाल मलिक---

मेरा प्रश्न यह था कि पूरे प्रदेश में पुलिस के सिपाही डकैती करते हुए पकड़े जाते हैं और घोड़ों पर चढ़कर बादशाही वक्त के तरीके की डकैतियां होती हैं और ९-९ आदमियों को इस तरह से मार दिया जाता है लेकिन फिर भी हर बयान में यह लिख दिया जाता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी नहीं है और लोग अपने को असुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता था कि वह कौन सा पैमाना है कि जब आप यह समझेंगे कि अब कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की बात तभी कहते हैं जबकि पहले सालों की व्यवस्था के मुकाबले में किसी परसेंट में अपराधों की वृद्धि हो जावे उस पर यह कहा जा सकता है

[श्री राजमंगल पांण्डेय]

कि और सालों के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन चूंकि इस साल और सालों के मुकाबले में ज्यादा अपराध नहीं बढ़े हैं इसलिए यह कहना उचित ही है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(श्री सत्यपाल मलिक के खड़े होने पर) यह तो बहस की बात हो जायेगी।

श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि अपराधों की संख्या पर नहीं बल्कि अपराधों के नेचर और उसकी शक्ल की बात है और यह सत्य है कि जघन्य अपराध अधिक हुए और यह किसी भी सभ्य सरकार के लिए लज्जा की बात है। मुख्य मन्त्री जी के यहां नहीं हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि उनके पास दसियों विभाग हैं इसलिए कानून और व्यवस्था की बढ़ती हुयी अव्यवस्था को देखते हुए जिन मन्त्री के पास इस समय पुलिस विभाग है उनको अविलम्ब इस्तीफा देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो राय है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब जो पांच सूचनाएं आई हैं ....।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

(खड़े होकर) इस तरह से तो अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हजारों लोग मर जावेंगे और ये बैठे ही रह जावेंगे ....।

श्री अध्यक्ष--

पहला एक मोतीलाल देहलवी का है। उसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है और वह कई विभागों से सम्बन्धित है। इन सबके बारे में वे अल्पसूचित प्रश्न करें।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

कृपया हमें सुन लें।

श्री शफीकुल रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)--

आपने मुझे समय नहीं दिया, मैंने आपसे रीक्वेस्ट की थी। हमारे मुरादाबाद में सबसे अधिक मर्डर हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप हमारी बात सुन लें। मैंने जितने विषय लिखे हैं वे सभी जनता के स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं। मैं इसे पढ़े देता हूं--जांच की गयी सरकारी कमेटी की एक रिपोर्ट के

अनुसार अब तक जितनी मौतें हुई हैं, उनमें आधी मौतें दवाओं में मिलावट के कारण हुई हैं। कानपुर के अस्पताल में दूषित ग्लूकोज के कारण हुई सैकड़ों अकाल मौतों का काण्ड अभी भुलाया न गया था कि १३ जुलाई, १९७४ को कानपुर के जच्चा-बच्चा अस्पताल में नकली खून चढ़ाये जाने से एक महिला की पुनः मृत्यु हो गयी। आज खाने- ीने की कोई वस्तु शुद्ध नहीं रह गयी है। जिनमें बहुत सी वस्तुओं को लेबोरेटरी कुछ समय पूर्व सिद्ध कर चुकी है। १४ जुलाई, १९७४ को इसी लखनऊ नगरी में गोल्ड स्पाट की बोतल में केचुआ मिला। है। स्वास्थ्य विभाग पूर्ण अकर्मण्य है क्योंकि वह मिलावट रोकने में पूर्णतया फेल है।

इस प्रकार की स्थिति से प्रदेश की जनता का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। अस्पतालों से विश्वास उठ रहा है। जनता में चिन्ता एवं निराशा व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष--

एक तीरथ राम कोहली तथा श्री त्रिवेणी सहाय का है, उसे भी मैंने अस्वीकृत किया है। वे अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं

श्री मोतीलाल देहलवी-- (व्यवधान)

आप हमारी बात तो सुन लें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का सवाल है....

श्री अध्यक्ष-- (व्यवधान)

आप कृपया बैठें श्री देव कुमार यादव, श्री अठई राम, श्री चन्दन सिंह ने प्रतापगढ़ जिले के एक हरिजन की तथा कथित गोली से हत्या के फलस्वरूप हरिजनों में प्रदेश व्यापी असंतोष की सूचना दी है। इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न करें।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री अठई राम, श्री रेवती रमण सिंह, श्री हरप्रताप सिंह, श्री मधुकर दिघे तथा श्री राम अधार राय ने इलाहाबाद लोक सभाई सीट से कांग्रेस की हार के कारण मुख्य मन्त्री से त्याग पत्र की मांग की सूचना दी है। यह कह रहे हैं कि इलाहाबाद में जो चुनाव हुआ था उसमें आपकी मांग है कि मुख्य मन्त्री इस्तीफा दें। तो यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, इलाहाबाद से कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया है। श्री हेमवती नन्दन बहुगणा और दूसरे डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के उसी क्षेत्र के होने के बावजूद, कांग्रेसी उम्मीदवार हार गया है तो प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि मुख्य मन्त्री जी अपने पद से इस्तीफा दें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है.....।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मेरा एक सुझाव है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के साथ खड़े होने और बोलने से व्यापक शोर)

श्री अध्यक्ष--

श्री अब्दुल रऊफ लारी ने अपराध विरोधी अभियान के नाम पर आर्मस ऐक्ट के अन्तर्गत निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी से जनता में आतंक की सूचना दी है। इस पर आप अल्प सूचित प्रश्न करें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इसमें तमाम निर्दोष लोग पकड़े गये हैं। इस अभियान में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह जनरल है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

यह जनरल नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर)

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी माननीय सदस्य ने रखा आपके सामने। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे मख्य मन्त्री कहते हैं कि इसके लिए हमारी नीतियां जिम्मेदार हैं और खाद्य मन्त्री कहते हैं कि यह बयान उनका गलत है। उन्होंने प्रधान मन्त्री को बदनाम करने के लिए यह कहा है। तो इन दोनों मन्त्रियों में विरोधाभास है। यह कोई सरकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो बयान बाहर दिये जाते हैं वह.....

(व्यवधान)

(शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं तो दो ही वाक्य कहूंगा। एक प्रस्ताव आपके सामने आया कि इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मेरे यह कहने की संभवतः कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कह दिया कि इस कांग्रेस सरकार की नीतियों का ही यह परिणाम है कि चारों तरफ जनता में असंतोष है। इतना कहने के बाद अगर मुख्य मन्त्री जी इस्तीफा न दें तो बेशर्मी की बात होगी।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष--

वित्तीय वर्ष १९७४-७५ के आय-व्ययक पर मतदान।

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, श्री टी० एन० सिंह जब चुनाव हार गये थे तो उनको हम लोगों ने इस्तीफा दिला दिया था। परन्तु आज जब इलाहाबाद में तीन-तीन मंत्री और प्रधान मंत्री...।

श्री अध्यक्ष--

जब अनुदान पर चर्चा होती हो तो सरकार को आप जब चाहें गिरा सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर गिरने का तो औचित्य हो गया है। गिरने का प्रकरण संगम से शुरू हुआ है तो इस सरकार को अब संगम में डूब मरना चाहिए।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, खाद्य मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री इस्तीफा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको यह नहीं कहना चाहिए। आप जानते हैं कि क्या स्थिति है और उस पर क्या होना चाहिए।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, डिसिप्लिन कायम रखने के लिए आप कुछ करें नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने एक प्रस्ताव दिया था १०३ में तो उसका जिक्र आपने नहीं किया है। स्थिति बड़ी गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष--

उसके बारे में कहा कि कल सुबह हम बता दें।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

मान्यवर, सरकार कमिटेड है अछूतों के प्रोटेक्शन के लिये। उस पर विचार किया जाय।

१९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४--न्याय प्रशासन तथा अनुदान संख्या ५--निर्वाचन

*श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,१६,१०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--५ निर्वाचन के अन्तर्गत, होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१९,१५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पांडेय]

मान्यवर, इस सदन में बार-बार हमेशा यह कहा गया कि न्याय सस्ता नहीं मिल रहा है, न्याय बिना पैसे के नहीं मिल रहा है जो आज से सैकड़ों साल पहले मुगल बादशाहों या दूसरे जमाने में मिला करता था। यह भी कहा गया कि जो हमारी प्रक्रिया है न्याय दिलाने में, उसमें इतना बिलम्ब हो जाता है कि किसी गरीब को न्याय मिल नहीं पाता। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यह देखेंगे कि जो प्रस्तुत बजट है उसमें काफी हमने इन कमियों को सुधारने का प्रयत्न किया है।

अब भी हमें कोर्ट फीस के रूप में, कोर्ट फाइन्स के रूप में जो आमदनी प्राप्त होती है, उसके बावजूद हमारे बजट में ४३ से ५० लाख रुपये का ऐसा घाटा है जिसकी पूर्ति किसी न किसी सूरत में हमें करना है। इससे साफ जाहिर है कि हमारी प्राप्तियां कम है और न्याय के दिलाने में खर्चा ज्यादा होता है। आप यह देखेंगे कि इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट्स में जहां ४३ जजेज हैं---३० परमानेंट और १३ एडीशनल, वहां इस समय ३५ काम कर रहे हैं और ८ जजेज की रिक्तियां हैं जिनमें कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाईयां हैं जो हमेशा विलम्ब का कारण बनती हैं। लेकिन हम शीघ्र ही भारत सरकार और हाई कोर्ट की मदद से पूर्ति करने जा रहे हैं।

मान्यवर, हमने पहली अप्रैल, १९७४ को जो क्रिमिनल प्रोसीजर एमेन्डमेंट कोड अपनाया और उसके तहत इन्हीं गरीबों को न्याय देने के लिए २०६ का स्कोप और चौड़ा कर दिया ताकि उसमें अपराधों की संख्या की सूची और जो पहले सेन्ट्रल एक्ट में ५०० रुपये का प्राविधान था, अब एक हजार तक कर दिया है। हमने यह भी प्राविधान किया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट वाद प्रस्तुत होने पर नोटिस के द्वारा उस मुलजिम को इस बात की सूचना दे कि अदालत का इरादा इतने तक फाइन करने का है। और अगर वह इस रुपये को भेज देता है तो न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गरीबों को न्याय दिलाने के लिये यह एक बहुत बड़ा कदम है। जो २०-२० पेशियां हुआ करती थी, गरमी, बरसात, लू, जाड़े आदि में दौड़ना पड़ता था और हजारों रुपये खर्च करने पड़ते थे, परेशानी उठानी पड़ती थी, वह धारा २०६ को चौड़ा करने से समाप्त हो गई। इससे काफी राहत मिलेगी।

हम आनरेरी मजिस्ट्रेट की जगह पर स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट अपाइन्ट करने जा रहे हैं। उनको शहर में ३०० रुपये और देहातों में २०० रुपये देने की बात सोची गई है। इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति जो रिटायर्ड आफीसर्स हों, या किसी भी ऐसे शकल में काम कर चुका हो ५ चाहे वह असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, या जुडीशियल वर्क कर चुका हो, ७ वर्ष की स्टेंडिंग हो, उसको हम फर्स्ट क्लास पावर देंगे। इस तरीके से हम काफी तादाद में रखने जा रहे हैं। नाम यहां से जायेंगे और हाई कोर्ट पर हमने छोड़ दिया है कि उसको अधिकार होगा चाहे वह किसी को भी ले। केसेज निपटाने के बारे में हमने एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जिससे आसानी हो सकती है। इस समय २९८ मन्सिफ मैजिस्ट्रेट की कमी है। १०० का इम्तिहान होकर इन्टरव्यू होने जा रहा है और अगर इसी में और अधिक अच्छे लड़के मिल गये तो हम इसी एक्जामिनेशन के आधार पर १०० से अधिक नियुक्ति कर सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये। और बाकी सौ या सौ से अधिक के लिए फिर से एडवरटाइजमेन्ट हो चुका है, उसकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। निकट भविष्य में करीब २९८ मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके केसेज निपटाने की बात हाईकोर्ट सोच रहा है।

इसी तरह से मान्यवर एक चीज यह की है कि जहां पहले आयु २१ से ३० की थी वहां उसको बढ़ाकर ३५ कर दिया है जिससे कि ऐसे लोग जो वकालत करते हैं और अच्छी स्टेंडिंग के हैं वह भी आ सकें। मान्यवर, हमारे यहां ५५ जिले हैं। ५५ जिलों में हमने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स की स्थापना कर दी है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जजेज

के बारे में यह है कि ५५ जिलों में से ४८ में डिस्ट्रिक्ट जजेज कर दिये हैं। ७ जगह बाकी है। जिनमें से एक ललितपुर और छै पहाड़ी जिले हैं। छ पहाड़ी जिलों म भी पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के लिए शासन ने निर्णय ले लिया है। सरकार का इरादा है कि इन दोनों जिलों में भी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट इस्टेब्लिश की जाय। मुख्य बात धन की है। धन उपलब्ध हो सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। टिहरी के लिये लोगों का कहना था कि वहां लोग अनशन कर रहे हैं, वहां शांति खतरे में है, टिहरी के लिए सरकार न संकल्प किया है कि वहां डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट स्थापित की जाय।

हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह माननीय सदस्यों से छिपी नहीं है। वित्तीय स्थिति के कारण ही हम माननीय सदस्यों की बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। हम भी इस बात को जानते हैं कि जो हमारे न्यायालय हैं उनमें कक्षों की आवश्यकता है। जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें सुख और सुविधा देनी चाहिये जिससे कि वे एकाग्रचित होकर न्याय कर सकें। लेकिन यह सब करने में हम अपनी आर्थिक स्थिति के कारण सफल नहीं हो हैं। हमने मुख्य मन्त्री जी के माध्यम से कोशिश की है कि भारत सरकार से कुछ मदद मिल सके तो यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा कि हम अपने अधिकारियों को सुख-सुविधा देकर जो पेंडिंग मुकदमें हैं उनका निपटारा करा सकें और जनता को भी राहत पहुंचा सकें।

मान्यवर, कुछ समारे ऐसे टाउन्स हैं जहां की आबादी दस लाख से ऊपर है, जसे कि कानपुर। हमारी कोशिश है कि ५ लाख की पापुलेशन के ऊपर जैसे कि बम्बई में है ऐक्ट लागू कर सकें और चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकें। यह प्रक्रिया हमने अपनाई है। जितने भी सिविल और सेशंस जज थे उनकी पदोन्नति करके एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज कर दिया जिससे कि उनका नैतिक स्तर ऊंचा हो। इससे उनमें ईमानदारी से काम करने की मनोवृत्ति भी बढ़ी है और मुझे विश्वास है कि जो छोटी-मोटी शिकायतें न्याय अधिकारियों के प्रति उठा करती थीं वह भविष्य में बन्द हो जायेंगी। पहले जितनी शिकायतें आती थीं अब उनकी तादाद कम हो गयी है। जो कुछ हमने इस दिशा में किया है उससे कुछ सुधार हो रहा है। शसन ने उनके प्रति और भी उदार नीति अपनाई है।

मकानों का सवाल है। पहले यह था कि जब एक जुडीशियल आफिसर ट्रांसफर हो जाता था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस मकान में एजीक्युटिव आफिसर को रख देता था। शासन ने यह निर्णय लिया कि जब किसी जुडिशियल आफिसर का ट्रांसफर हो और उसका मकान खाली हो तो उस मकान में न्याय विभाग का ही आदमी रहेगा। अभी तो हमारे सामने आर्थिक कठिनाई है। लेकिन अगर हमको धन उपलब्ध हो गया और आगे जो मकान बनाय जायगे तो उनमें न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए कुछ परसेन्टज रखा जायगा ताकि न्याय विभाग के अधिकारियों को मकान की सुविधा मिल सके और ये लोग ईमानदारी और तत्परता से काय कर सकें और जिन लोगों के विवाद पड़े हैं उनको ईमानदारी से न्याय दे सकें।

अब तक जो कुछ हम कर सके हैं, उससे भी बहुत कुछ अधिक अभी करना शेष है। अगर हमको 10 करोड़ रुपया मिले तो हम कोशिश करगे कि कोर्ट रूम और उसके साथ लाइब्रेरी और एंसीलरी रूम और रिटायरिंग रूम बनवा सक। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया हमारे आर्थिक साधन पर्याप्त नहीं है इसलिये हमारे सामने कठिनाई आ रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से और गवनमेन्ट आफ इडिया क सहयोग से हम इसको दूर करने म समर्थ हो सकग।

मान्यवर, कई बार इस बात की कोशिश की गयी कि बलरामपुर, फिरोजाबाद और हापुड़ में मुंसिफ मजिस्ट्रट की कोट हों। इस बारे में शासन ने निर्णय ले लिया है और यहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रट की कोर्ट होंगी। यह इंपारटेंट जगह है और पहले से यहां पर एस०

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

डी० एम० की कोर्ट्स थीं। मान्यवर, छः जिलों में डिस्ट्रिक्ट जजेज की कोर्ट्स को परमानेन्ट करने की बात थी। पीलीभीत और उरई को छोड़कर फतेहपुर, देवरिया, हमीरपुर और प्रतापगढ़ में यह हो गयी है और पीलीभीत और उरई के बारे में कार्यवाही हो रही है।

एक सदस्य—

देवरिया भी इसमें है।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, देवरिया का जब नाम आता है तो माननीय सदस्य कुछ न कुछ कहने लगते हैं। आप देखें कि हमीरपुर भी इनमें है। मान्यवर, विरोध पक्ष से यह मांग आयी कि जैसे इंग्लैण्ड में सरकिट कोर्ट्स है उसी तरह से हाई कोर्ट के बेन्चेज अलग-अलग स्थापित हों। मान्यवर, हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम करती है। ला कमीशन की जब रिपोर्ट आयी तो उसमें है कि एक प्रदेश में केवल एक हाई कोर्ट हो। यहां तो एक हाई कोर्ट के बजाय दूसरी हाई कोर्ट भी चल ही रही है। मान्यवर, ला कमीशन की रिपोर्ट है और जितने भी अच्छे जूरिस्ट्स हैं उनकी भी राय है कि हाई कोर्ट को इतना सस्ता न बना दिया जाय जिससे कि लाइब्रेरी की सुविधा और अच्छे वकीलों की सेवा भी उपलब्ध न हो सके। ऐसा नहीं है कि हमारी नीयत नहीं है बल्कि सरकार भी कुछ नियमों से और हाई कोर्ट तथा जूरिस्ट्स ने जो निर्णय लिये हैं उनसे बंधी हुई है।

मान्यवर, मध्य प्रदेश में निर्णय लिया गया लेकिन वहां भी यही कंसेन्सस रही कि एक प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट हो, उससे ज्यादा न हो। हाई कोर्ट की भी यही राय रही है कि न्याय को ऐसा न कर दें कि जिस स्टैंडर्ड का न्याय चाहिये वह न मिल सके। क्योंकि ये बातें माननीय सदस्यों द्वारा कही जायेंगी इसलिये इनकी मैंने चर्चा की। इसी तरह से, मान्यवर, एडवोकेट जनरल का बना। उसमें इस बात की कोशिश हुई कि फर्नीचर वगैरह के लिये इसमें प्राविधान किया गया है। २५ पंखे, २१ दरियां, १५ हिन्दी टाइपराइटर तथा ६ अलमारियों का प्राविधान किया गया है। स्टेनोग्राफर्स की कमी थी। इसके लिये भी प्राविधान किया गया है। इस प्रकार हमारी जो छोटी-मोटी दिक्कतें थीं, उनके संबध में इस बजट के माध्यम से प्राविधान किया गया है। इसी तरह से वहां एक पी० बी० एक्स० टलीफोन की स्थापना का प्राविधान किया गया है ताकि काम ठीक से चल सके। कुछ नियुक्तियां भी की हैं ताकि काम सुचारु रूप से चल सके।

अनुदान संख्या ५ निर्वाचन—लेखा शीर्षक २१५ निर्वाचन में यह कहना है कि निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा मुद्रण में ५३,०५,६००,

	रु०
लोक सभा और राज्य विधान सभा, जबकि दोनों के लिये निर्वाचन एक साथ हो।	१००
लोक सभा निर्वाचन	३,५२,०००
विधान सभा निर्वाचन	१,०६,९२,१००
निर्वाचन न्यायाधिकरण	१००
अन्य व्यय (स्थानीय निकाय, जिला परिषद्)	१२,५३,०००
महंगाई भत्ता हेतु एकमुश्त प्राविधान	४०,०००
कुल योग ..	१,७६,४२,९००

इसी तरह से विधान सभा एवं संसद् के निर्वाचन नामावलियों की तैयारी तथा मुद्रण में ;

	रु०
तथा मुद्रण में ; वेतन में करीब	२३,००,०००
महंगाई भत्ता	५,५७,०००
यात्रा व्यय	१,६५,०००
अन्य भत्ते	२,१७,०००
कार्यालय व्यय	२०,४३,०००
अनुरक्षण (निर्माण-कार्य)	३,०००
मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	३,०००
कुल योग ..	५२,८८,०००

इसी तरह से विधान परिषद् के लिये:—

	रु०
वेतन	१,०००
महंगाई भत्ता	३००
यात्रा भत्ता	१,०००
अन्य भत्ते	३००
कार्यालय व्यय	१५,०००
कुल योग ..	१७,६००

लोक सभा निर्वाचन में सामान्य निर्वाचन में यात्रा व्यय पर १०,००० रुपये और कार्यालय व्यय पर १,००० रुपये और इस प्रकार कुल ११,००० रुपये।

उप-निर्वाचन में:—

	रु०
वेतन में	२९,०००
महंगाई भत्ता	६,०००
यात्रा व्यय	१,००,०००
अन्य व्यय	६,०००
कार्यालय व्यय	२,००,०००
कुल योग ..	३,४१,०००

इसी तरह से राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन में सामान्य निर्वाचन पर—राज्य सभा में :—

	रु०
वेतन	१४,५८,०००
महंगाई भत्ता	३,१७,०००
यात्रा भत्ता	१०,००,०००
अन्य भत्ते	३,००,०००
कार्यालय व्यय	७५,००,०००
अन्य व्यय	१००
कुल योग ..	१,०५,७५,१००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री राज मंगल पांडेय]

विधान परिषद में—	रु०
वेतन	६,५००
महंगाई भत्ता	१,५००
यात्रा भत्ता	२,५००
अन्य भत्ते	५००
कार्यालय व्यय	२५,०००
कुल योग ..	३६,०००

इसी तरह स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर:—

मुख्यालय—	रु०
वेतन	४५,०००
महंगाई भत्ता	४,०००
यात्रा व्यय	३,०००
अन्य भत्ते	५,०००
कार्यालय व्यय	५,०००
कुल योग ..	६२,०००

जिला कर्मचारी वर्ग—	रु०
वेतन	२,३५,८००
महंगाई भत्ता	३०,०००
यात्रा व्यय	८६,५००
अन्य भत्ते	८,३००
कार्यालय व्यय	४,८९,९००
कुल योग ..	८,५०,५००

इसी तरह से जिला परिषदों के निर्वाचन में मुख्यालय और जिला कर्मचारियों पर कुल मिला कर ३,४०,५०० रु० का व्यय है ।

एक चीज, मान्यवर, हमने यह की है कि थर्ड क्लास गवाह और बी—क्लास गवाह जो पहले क्रमशः १ रुपये और १.२५ रुपये प्रति पाते थे, उसको अब २ रुपये कर दिया गया है । ए क्लास के लिये जो था, वही नियम है । यात्रा भत्ता आदि के लिये जो पहले दिया जाता था वही रखा गया है । इस बात का प्रयास किया गया है कि जहां तक सम्भव हो, जनता के साथ न्याय हो सके ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

गवाहियों के लिये जो किया गया है, क्या वह पर्याप्त है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

हमारी कुछ मजबूरियां हैं । जितना सम्भव था किया गया है । बाकी के लिये हम क्षमा चाहेंगे । मान्यवर, इसके बाद जो बातें आयेंगी, उनका जवाब दे दूंगा ।

*श्री लक्ष्मण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मैं, अध्यक्ष महोदय की इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४ न्याय प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया की जाय।

मैं, अध्यक्ष महोदय की इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५ निर्वाचन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया की जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना। न्याय प्रशासन पर बजट की मांग पेश करते समय मैं बड़े जोर से यह इन्तजार कर रहा था कि मन्त्री महोदय यह ऐलान करने जा रहे हैं कि वह पश्चिम में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने जा रहे हैं। चुनाव के करीब भी यह आशा बंधती जा रही थी पश्चिम में कि वहां हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कर दी जायगी लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कुछ न कुछ बातें अगर-मगर की लगा दी जाती हैं।

जैसा मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि तीन हाई कोर्ट बन जाने से न्याय का स्टैंडर्ड गिर जायगा और दो हाई कोर्ट के रहने से कायम है यह एक अजीब लाजिक है। न्याय मन्त्री के अतिरिक्त मुजफ्फरनगर के बार में एक बड़े तजुर्बेकार जज ने भी यह तर्क दिया था कि जिस प्रकार कोई मन्दिर अगर पहाड़ पर, बहुत ऊंचे स्थान पर स्थापित है अथवा नेपाल बार्डर पर है तो उसकी मर्यादा ज्यादा होती है दूर-दूर से लोग वहां जाते हैं उसके दर्शन करने लेकिन वही हनुमान जी का मन्दिर जगह-जगह है तो उसको वह मान्यता नहीं होती। उसी प्रकार का तर्क मन्त्री जी ने दिया कि दो जगह हाई कोर्ट होगी तो न्याय का स्टैंडर्ड बना रहेगा और तीन स्थानों पर हाई कोर्ट हो जायगी तो स्टैंडर्ड गिर जायगा और ईमानदारी नहीं रहेगी। फाजिल वकील तथा फाजिल जज नहीं रहेंगे। यह तर्क बहुत दिनों से चला आ रहा है।

मैं स्पष्ट एक बात कह देना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से और सदन से पिछली मर्तबा मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि विरोधी दल के नेता कहना नहीं चाहते लेकिन तबियत से यह चाहते हैं कि सूबे का बटवारा कर दिया जाय, मैं आपके माध्यम से शासन से, मुख्य मन्त्री तथा न्याय मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि यह बहुत छोटी सी मांग है। यू०पी० का जो आज स्वरूप है यह सदा से नहीं चला आ रहा है। सन् ५७ के गदर के बाद १८५८ में दिल्ली का कुछ इलाका इस प्रदेश में मिला दिया गया।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपाल सिंह पीठासीन हुए)

पश्चिम के इलाके को किसी मसलहत के मातहत नहीं मिलाया गया था बल्कि उनको सजा दिलाने के लिये बगावत में हिस्सा लेने के कारण मिलाया गया उससे अच्छा परिणाम नहीं निकला।

गाजियाबाद, सहारनपुर, देहरादून, पौड़ी-गढ़वाल के लोगों को इंसाफ के लिये इलाहाबाद दौड़ना पड़ता है और परेशानी की हालत में घूमना पड़ता है। २०, २५ साल से छोटी सीमा मांग की ले कर कहा जा रहा है। मेरठ करें या कहां करें यह जगह तो छांटी जा सकती है लेकिन अगर सरकार नहीं करना चाहती तो फिर सूबे की मांग होगी और उसकी मांग हो भी रही है। सदन को मालूम है कि सूबे की मांग जगह-जगह हो रही है और जय प्रकाश जैसे नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि इस सूबे के चार हिस्से होने चाहिये। मैं उस मांग को दोहराता हूं। इस प्रकार नहीं दोहराता जिस प्रकार की मांग वीरेन्द्र वर्मा जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

चंडीगढ़ में दोहराई थी कि सूबे का आकार बहुत बड़ा है, सूबे के तीन चार हिस्से होने चाहिये। यह काफी नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आप कोशिश करें। सूबे का बंटवारा होगा और आवश्यक रूप से होगा।

मैं चाहता था कि इसको आप आसानी से लेजिस्लेशन के द्वारा सेन्टर को भेजते और आसानी से बंटवारा हो जाता। दस करोड़ की आबादी का देश में कोई सूबा नहीं है। इस सूबे की आबादी देश की आबादी का १/६ है। आप देख रहे हैं फाइलें आगे नहीं चल रही हैं। मिनिस्टर की हेल्थ गिरती चली जा रही है। मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि उस दिन जो माननीय बहुगुणा जी बड़ी जोरों से टेबुल थपथपा रहे थे कि सूबे का बंटवारा नहीं होगा लेकिन इतिहास बतायेगा और प्रदेश का बंटवारा बहुत जल्दी होगा।

यह आपकी सुविधा के लिये ही था कि हाई कोर्ट की एक बेंच आप मेरठ में कर देते। इसके लिये यह आर्गुमेन्ट देना कि उससे इनका स्टैंडर्ड गिर जायेगा यह कोई वकील मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे साफ तौर से जाहिर है कि इसमें आप फेवारिटिज्म कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जज और वकीलों के तहत आप वहां पर बेंच नहीं बनने देना चाहते हैं। आपको ज्ञात है कि हाई कोर्ट में आज ८० हजार केसेज पेंडिंग हैं। इस सम्बन्ध में आपने अपनी स्पीच में कोई हल नहीं बतलाया। यह तादाद है हाई कोर्ट में अपीलों की।

केवल आई०पी०सी० के डेढ़ लाख मुकदमें चल रहे हैं और उसका समाधान आप पुरानी प्रथा को लागू करके करना चाहते हैं। इससे तो समस्या और उलझती जायगी जस्टिस इज बीइंग डिलेड। इसका फार्मूला है---जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आदमी आज परेशान हो रहा है। एक फार्मूला यह भी है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। यह आपको अपनाना होगा। किन्तु आप क्या फार्मूला अपनाते हैं, कोई नहीं जानता। आपने अभी कहा कि ४३ जजेज की सीटें हैं जिसमें से केवल ३५ जजेज काम कर रहे हैं और ८ वैकेन्ट हैं। यह मेरी जानकारी है और मैं उसमें रीजनिंग दे रहा हूं।

आप कहते हैं कि लोग उपलब्ध नहीं होते हैं। जजों के लिये स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। जो लोग १५/२० साल से काम कर रहे हैं क्या ये क्वालिफाईड नहीं हैं? वे क्वालिफाइड हैं और उनको जज बनाया जा सकता है। मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि जजों की नियुक्ति न करने में आपका निहित उद्देश्य है। इसी कार से पंजाब में हाईकोर्ट में योग्य जजों को सूपरसीड किया गया और नाकामयाब को आगे बढ़ा दिया गया। यही आप का उद्देश्य है। इसे आप छिपाये रखना चाहते हैं हाईकोर्ट को एक जगह कन्सोलिडेट करके। इससे जनता को परेशानी होती है। ो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे इस बात पर गौरकरें.....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य हाई कोर्ट के बा में कोई बात न कहें। जो सुपरसेशन के बार में आपने कहा वह यहां नहीं कहना चाहिये।

श्री लक्ष्मण सिंह---

अभी मंत्री जी ने बताया कि ४३ सीटें यहां पर जजों की हैं जिसमें से ८ वैकेन्ट हैं। उसकी जो रीजनिंग है, वह मैं दे रहा हूं। वह हाईकोर्ट पर आक्षेप नहीं है। वह मेरी जानकारी है। स सम्बन्ध में जो फिक्र आपको है उससे मैं भलीभांति अवगत हूं। मैं ऐसा कहकर उनकी नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि जजेज

का एप्वाइन्टमेन्ट ऐसा नहीं है कि जिन्हें हमें दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट करना हो, अपने सूबे में जज के लिये आदमी उपलब्ध न हों। फिर पैसे की बात कही गई है—8 दरी की कमी है, २५ टाइप राइटर्स बढ़ायेंगे, तो दरी की कमी है, फर्नीचर की कमी है, किन्तु उसके बजाय कम फर्नीचर वगैरह से भी काम हो सकता है। जो ८ सीटों की कमी है, उनको पूरा किया जाना चाहिये और एडिशनल जजेज आपको लगाने चाहिये, जिससे कि जो ८० हजार केसेज पेंडिंग में हैं उनका निपटारा एक साल या डेढ़ साल के अन्दर हो जाय। तो इसका हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वास्ता नहीं है।

यह ठीक है कि आप बहुत से मुंसिफों को भर्ती करने जा रहे हैं और बहुत से रिटायर्ड अफसरों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाने जा रहे हैं और कुछ को परमानेन्ट करने जा रहे हैं। मगर मैं आपके इस तरीके पर दो लाइन कहना चाहता हूं। यह तरीका अंग्रेजों के सिस्टम से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने एज सच उसको ज्यों का त्यों मान लिया और उम्मीद यह की जाती थी कि उसमें तरमीम की जायगी, किन्तु वह कतई नहीं की गई।

किन्तु अब भी समय है, अब भी की जानी चाहिये। इस तरीके के पंडित जवाहर लाल नेहरू भी खिलाफ थे, उन्होंने ला मिनिस्टर कान्फ्रेन्स में इसपर एक बार कहा था कि जूडिशियल सिस्टम एज ए होल नानसेन्स। गांधी जी ने भी इस बारे में कहा था कि इस सिस्टम से हमारी पब्लिक का मारेल और स्प्रिचुवल बर्बाद हो रहा है। तो हमारी शिकायत है कि इसके बावजूद भी हमारे कांग्रेसी लोग उसको ज्यों का त्यों चलाते रहे।

अब इसके दो कारण हो सकते हैं एक तो इसको बदलने की सामर्थ्य नहीं या दूसरे इरादा नहीं। जबकि पंडित नेहरू ऐसे नेता ने इस बारे में कहा था कि यह हमारे देश के योग्य नहीं हैं इसे पूरी तरह से बदल दिया जाना चाहिये। ला मिनिस्टर छोटी-छोटी बैठकें कर रहे हैं किन्तु उससे केवल प्योंदे लगाने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। आदमी आज कसम खाता है और फिर झूठ बोलता है, इससे पब्लिक की आत्मा डिमारेलाइज हो रही है।

यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि सूबे में श्री पान्डेय ऐसे वकील न्याय मंत्री हैं उनसे उम्मीद थी कि वह कोई ऐसी बात रखते, कोई कमेटी वगैरह के गठन की बात रखते, जिससे कि इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का रास्ता खुलता, तो यह हमारे और हमारे प्रदेश के लिए बड़ा शुभ होता। किन्तु हम देखते हैं कि वे केवल रूटीन वर्क कर रहे हैं। हम उनसे आशा करते थे कि वह उसमें आमूल परिवर्तन कर दें, कोई नया सिस्टम लाकर, जिसमें आदमी को कसम खाकर झूठ बोलने की जरूरत न पड़ती, झूठ ही बोलना है तो कसम के खाने की जरूरत तो न रहती।

एक सदस्य—

आप कोई सिस्टम सुझा दें।

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह इतना आसान नहीं है। २७ साल से आपके टाप लीडर कहते चले आये कि यह सिस्टम नानसेंस है, किन्तु आपने उस पर कोई गौर नहीं किया। हम यह उम्मीद करते थे कि शासन में, न्याय प्रशासन में और अदालतों में जो भ्रष्टाचार है, शायद उसमें कोई तरमीम न्याय मंत्री जी करने जा रहे हैं, लेकिन वह भी नहीं है। अच्छा हो कि उसका रेट ही तय कर दें कि इस

[श्री लक्ष्मण सिंह]

काम के ५ रुपये, इसके १० पये और इसके २० रुपये और जो इससे कम ज्यादा लेगा, उसको सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार जितना अदालतों में होता है, उतना और कहीं नहीं होता है, यह बात सबको मालूम है। जनता ने मान लिया है कि यह कांग्रेसी शासन अंग्रेजों की नकल है, अतः जो व करते थे, वही य भी कर रहे हैं। वे इससे ईमानदारी और इंसाफ की आशा भी छोड़ बैठे हैं। मगर न्याय मंत्री ने खुद माना, न भी मानें, सभी लोगों को मालूम है कि न्याय कितना खर्चीला है। खर्चा भी वाजिब कानून के अनुसार हो, टेबिल के नीचे से पैसा न देना पड़े तो आदमी का नैतिक पतन न हो। इन मसलों पर आवश्यक रूप से गौर करने की जरूरत है। केवल इतना फर्नीचर पर इतना दरियों पर, इतना टाइपराइटर पर खर्च करना है, इतने मुंसिफ और मैजिस्ट्रेट बढ़ाने हैं उससे इंसाफ में सुधार हो जायगा इसलिये बजट बढ़ा दिया जाय इससे परपज हल होने वाला नहीं है।

दूसरी बात, एलेक्शन सिस्टम। कोई भी सिस्टम एलेक्शन का काम कर सकता था अगर इंग्लैंड की तरह यहां कनवेंशन रहे होते। इस सिस्टम से भी काम चल सकता था मगर सभी लोग जानते हैं कि हमारे वह स्टैंडर्ड नहीं हैं लिहाजा जो कुछ एलेक्शन में हुआ १९५७ में, १९६२ और लेटेस्ट १९७४ में हुआ, हम लोगों ने यह मांग रखी कि कोई आयुक्त नियुक्त किया जाय जो जांच करे कि एलेक्शन ईमानदारी से हुए या बेईमानी से। डेमोक्रेसी में चुनाव का इतना महत्व है जिससे गवर्नमेंट बनती और बिगड़ती है, उसमें यह शक हुआ कि चुनाव ईमानदारी से हुए या बेईमानी से हुए, सदन में हाथ उठाकर कह दिया जाय कि ईमानदारी से हुए लिहाजा कोई जरूरत नहीं है कमीशन बिठाने की।

कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि यह बात अच्छी होती अगर आप आयुक्त नियुक्त करके, कोई वर्किंग जज या रिटायर्ड जज को नियुक्त करके जांच कराते। १९७६ में पारलियामेंट का एलेक्शन आ रहा है उसमें आपसे जनता को गुंजायश बनी रहती कि चुनाव द्वारा पब्लिक की इच्छाओं की पूर्ति होगी। फिर इस बात की जरूरत नहीं होगी कि कोई दूसरा तरीका बनाया जाय। अगर आप चुनाव सिस्टम में परिवर्तन नहीं करते, सिस्टम यह हो, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनाव करवायें, या सीक्रेट बैलेट से करवायें, अगर लोगों की ईमानदारी रही होती तो सीक्रेट बैलट के द्वारा भी चुनाव हो सकता था। सीक्रेट बैलट के बावजूद, एलेक्शन मशीनरी के बावजूद, जो धांधलियां होती रही हैं उससे सारा सिस्टम बेकार हो रहा है।

कम से कम इतनी मांग कि एलेक्शन कमीशन सुप्रीमकोर्ट जज के रैंक का आदमी होना चाहिये और गवर्नमेंट के आदमी नहीं होने चाहिये, इतनी मांग कांग्रेसी शासन ने मानकर नहीं दी। इससे जनता में विश्वास तेजी से घट रहा है और यह महसूस किया जा रहा है कि एलेक्शन एक तमाशा है, फोर्ज है और यह एलेक्शन जनता की भावनाओं को रिफलेक्ट नहीं करता। एलेक्शन का बहाना बना कर लम्बे समय तक हुकूमत में बने रहना चाहते हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मुगल लोगों ने बहुत लम्बे अरसे तक हुकूमत किया लेकिन हमेशा तक हुकूमत नहीं कर सके। इसी प्रकार लम्बे समय तक अंग्रेज ने हुकूमत की। आप अंग्रेज की नकल करना चाहते हैं।

अब जनता इतना इंतजार करने नहीं जा रही है। लिहाजा आप सही सिस्टम से, ईमानदारी से चुनाव करवा करके, चुनाव कानून में परिवर्तन करें, जिससे जनता में विश्वास बने, ऐसी एलेक्शन प्रणाली हो जिसमें जनता की भावनायें रिफलेक्ट हों। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बार बार देश के पुराने लीडर्स जगह-जगह चेतावनी दे चुके हैं उनके न चाहने के बावजूद आप सोचिए वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जबकि लोग समझें कि चुनाव ठीक से नहीं करवाये जाते लिहाजा चुनाव सिस्टम, डेमोक्रेसी खत्म, जिस प्रकार राज्य पहले किये जाते थे वही सिस्टम चालू कर दिया जाय। तो मैं आपके द्वारा शासक पार्टी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसा वातावरण बनायें,

कानून में ऐसी तरमीम करें,अभी भी देर नहीं हुई है, कोई आयोग नियुक्त करे और वह जो चुनाव हो चुके हैं उसके बारे में भी जांच करके निर्णय दे कि चुनाव ठीक हुये हैं या नहीं। आइन्दा भी लोग इलेक्शन का इंतजार करें और उसी के द्वारा राज्य को बदलें।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हालांकि यह रिपीटीशन है। एक ही हाई कोर्ट होना चाहिये। राजस्थान में तीन बेंचें हैं, मध्य प्रदेश में भी एक अलग बेंच काम कर रही है और हमारे सूबे में भी इलाहाबाद से केवल १०० मील के फासले पर लखनऊ में भी हाईकोर्ट की एक बेंच है। इसका कोई औचित्य नहीं है लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि इसको हटा दिया जाय बल्कि बनी रहे। पहाड़ों में आप एक डिस्ट्रिक्ट जजी देने जा रहे हैं। इस पैच वर्क से काम नहीं चलेगा। उनकी मांग पहाड़ी सूबा अलग से बनाने की है। लोगों की यह मांग है कि छोटे-छोटे सूबे बना कर शासन ठीक होगा और सफीशियेंट होगा। फाइल्स दबी नहीं पड़ी रहेंगी बल्कि हमारे मिनिस्टर्स आन दि स्पाट जाकर देख सकेंगे और अधिकारियों से एफीशियेंटली काम करा सकेंगे। अगर यह उचित है तो बजाय इसके कि प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री से घबरा कर बैठ रहें बल्कि इस बात का समर्थन करें कि इस सूबे के चार हिस्से होने चाहिये और केन्द्र को ऐसा करने के लिये मजबूर किया जाय। इसी गुजारिश के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या ४ तथा ५ का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज इस प्रदेश के बंटवारे की बात पहली बार सदन में कही गई है। मैं नहीं जानता कि यह किसी पार्टी का मैनीफेस्टो है या उनके निजी विचार हैं। मांग का क्या औचित्य है और क्या नहीं है इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सब से बड़ा प्रदेश है और दस करोड़ जनता यहां रहती है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि बंटवारा होने पर उन प्रदेशों में उन्नति हुई है। लेकिन जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनके संबंध में अपने विचार रखता हूं। हमारी न्याय प्रणाली जो अंग्रेजी शासकों की देन है वही प्रणाली आज तक चली आ रही है। एक मशीन की तरह आज तक न्याय मिलता रहा है जनता को। मुकदमें पेश होते हैं। जजेज के सामने सबक दिया हुआ सिखा सिखाया गवाह आता है और रेकार्ड की तरह गवाही देगा। जो मिसिल तैयार होती है उस पर न्याय दिया जाता है। आपके सामने और बहुत से सदस्यों के सामने ऐसे मामले आ चुके हैं कि गलत आदमी फंस गया और असली आदमी छूट कर चला गया। यह जो न्याय की प्रणाली चल रही है इस में मौलिक परिवर्तन होना चाहिए।

हमारी सरकार ने जो न्याय पंचायतें बनायी हैं, मेरे विचार से इस दिशा में यह सही कदम है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको जितना शक्तिशाली होना चाहिये उतनी हो नहीं सकी हैं। आम शिकायत भ्रष्टाचार की है। न्याय पंचायतें वहां पर होती हैं जहां पर वह मामला पैदा होता है इससे उनका भ्रष्टाचार खुल जाता है। आप न्याय पंचायत और सामान्य न्यायालय दोनों की परम्पराओं को देखें तो पायेंगे कि न्याय पंचायतों में तो न्याय मिल जाता है लेकिन दूसरी ओर जो सामान्य न्यायालय है उसमें १० साल १२ साल लग जाते हैं और इतने समय के बाद जो न्याय मिल पाता है तो शायद व्यक्ति के बच्चों को ही उस मुकदमें का फैसला सुनने को मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

एक बात यह कही गयी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाये। आप देखें कि अगर कोई आदमी मुजफ्फरनगर से चलता है इलाहाबाद के लिये तो उसे कितनी परेशानी और असुविधा होती है। खासकर जब से हाई कोर्ट में इलेक्शन पेटीशन दर्ज होने लगे हैं। मेरठ का एक आदमी जिसने पेटीशन दर्ज किया है और वह १००–१५० आदमी गवाह ले

[श्री हुकुम सिंह]

जाये और जज साहेब अस्वस्थ हो जायें और केस एडजर्न हो जाये तो क्या स्थिति होती होगी ? इसके साथ ही साथ यह भी देखें कि क्या हाई कोर्ट का स्टैन्डर्ड एक ही स्थान पर रहने से रह सकेगा ? उसको ३–४ जगहों पर बांट देने से स्टैन्डर्ड में क्या कमी आ जायेगी ? अगर ऐसा है तो लखनऊ में बेंच क्यों है ?

दूसरी चीज यह है कि हर पहलू के लिये आरगूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वास्तविकता को छोड़कर आगे नहीं जा सकते हैं । हमें देखना होगा कि उनकी आवश्यकतायें जेन्यून हैं या नहीं । यह केवल बहस की बात नहीं है । वहां के लोगों को इसकी आवश्यकता है । उन्होंने संघर्ष किया है इसके लिये शायद उनकी आवाज सरकार तक न पहुंची हो । मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । हमारा न्याय मंहगा होता जा रहा है । कोई गरीब आदमी इस न्याय को पाने में सफल नहीं हो सकता है । ५० हजार रुपये की आमदनी और १०० रुपये की आमदनी वाले आदमी पर मुकदमा दायर हो जाये तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों आदमियों को एक ही स्टैन्डर्ड का न्याय मिल सकेगा । गरीब आदमी को उस किस्म का न्याय नहीं प्राप्त होगा ।

हमारे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि जो कत्ल का मुकदमा है उसकी सहायता के लिये सरकार वकील देती है । मेरा निवेदन यह है कि मान्यवर, जहां तक दूसरे देशों ने इस विषय में कदम उठाया, अगर उसी दृष्टि से हम लोग सोच कर चलें और वास्तव में न्याय देने का संकल्प करें यह सरकार की ड्यूटी भी है तो हमको इसके लिये प्राविधान करना पड़ेगा । जो दीवानी के मुकदमें हैं, माल के मुकदमें हैं, जहां पर कि मुद्दई इस स्थिति में नहीं है वहां पर वकील सरकार को देना पड़ेगा ।

अगर कोई गरीब आदमी मुकदमा दायर करने के लिये हाई कोर्ट में जाता है तो पहले तो वह जब स्टेशन से उतरता है तो वहीं पर उसको दलाल मिल जाते हैं और वही कोशिश करने लगते हैं कि वह एक निश्चित वकील के यहां ले जायं और वह मुद्दई जिस वकील को पूछता है उसी के नाम पर यह दलाल, अपने वकील के पास ले जाकर पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से जो हाईकोर्ट में अव्यवस्था है, व्यक्ति इस स्थिति में भी नहीं रह जाता है कि वह सही वकील के पास तक पहुंच जाय । इलाहाबाद में सही वकील के पास तक मुद्दई को पहुंचने में परेशानी हो जाती है । अगर कोई व्यक्ति उस गलत व्यक्ति के कहने पर उसके वकील के यहां पर नहीं जाता है तो उसका पैसा और सामान तक वे लोग छीन लेते हैं और उसको ऊपर से मारते भी हैं ।

अब मान्यवर, जहां महंगाई बढ़ रही है तो वकील की फीस भी बढ़ रही है । स्टैंडर्ड तो इस बात से देखा जाना चाहिये कि जो वास्तविकता घटित हो रही है देश में, प्रदेश में और उसके अनुसार कितनी व्यवस्था हमारी कायम है, हम न्याय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं । हमारे पास दो घंटा, ३ घंटा बहस करने वाले वकील न हों तो कम से कम ऐसा वकील तो अवश्य हो जो केस को समझ कर बहस अच्छी कर सके तथा जज को केस समझा सके ।

दूसरी बात मान्यवर, मैं इसी दिशा में निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अभी कहा था कोर्ट-फीस के बारे में, कि जो आदमी कोर्टफीस देने के लायक न हो उसके लिये सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये । जो व्यक्ति वकील करने की स्थिति में न हो तो उसको सरकार की तरफ से वकील की व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, प वर पेटीशन के बारे में इतनी पेचीदगी है कि हर आदमी को वह सुविधा नहीं मिल पाती है ।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मौलिक परिवर्तन हमको करने पड़ेंगे अपनी प्रथा में, अपनी प्रणाली में, अगर हम वास्तविक न्याय चाहते हैं । साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में, जजेज कोर्ट में जो हो रहा है उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये क्योंकि जो मुकदमा करने

के लिये आता है, वह आता है कि उसको न्याय मिले और जब उसको अदालत में घूस देनी पड़ेगी, तो वह क्या न्याय पा सकेगा ? इस चीज को चेक करने के लिये वहां पर उच्च अधिकारियों द्वारा रेड होने चाहिये ताकि उसको, जो इस प्रकार से घूस लेता है, सजा मिल सके । जो हमारे यहां पर इग्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं, उनको बहुत-सी सुविधायें उपलब्ध हैं और जो जूडीशियल आफिसर्स हैं उनके पास उतनी सुविधायें नहीं होती हैं। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय एवं समस्त विधान सभाइयो ! आपके समक्ष—चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों. . . . (व्यवधान) आप मेरा समय नष्ट न करें ।

आपके सामने न्यायमूर्ति, महामना माननीय न्याय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसके विरोध के लिये मैं आपके सामने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस वक्त के हालात को देखते हुए न्याय कितना मंहगा और दिक्कततलब है, यह न्याय के नाम पर अन्याय है या न्याय है इस पर आप खुद विचार करें ।

एक अंग्रेजी में कहावत है कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड । जो इंसाफ देर में मिलता है या काफी अर्से के बाद मिले या जीवन-पर्यन्त न मिल सके वह अन्याय है। ऐसी बहुत-सी मिसालें हैं। आपके जीवन में घटनायें घटित होंगी कि जो मुकदमें बाबा के समय चलते हैं उनका फैसला पोते के समय होता है । ऐसे बहुत से विवादग्रस्त प्रश्न कि जमीन पर अनाधिकार कब्जा कर लिया और मुकदमे चलते हैं, हैरासमेंट के लिये मुकदमा चलता है, पर समय पर कब्जा नहीं मिलता । जो सबल है, मजबूत है वह फायदा उठाता है और दूसरा पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाता रहता है । पैसा खर्च करने के बाद भी उसे संपत्ति प्राप्त नहीं होती । कहीं-कहीं यह देखा जाता है कि संपत्ति रह ही नहीं जाती है, जबतक मुकदमा चलता है तब तक वह गायब हो जाती है ।

हमारे जिले का एक उदाहरण है। एक फारेस्ट की जमीन नदी के किनारे थी । सरकार कहे कि यह जमीन उसकी है और दूसरा उसका मालिक कहता था कि यह उसकी है । उसपर शीशम के पेड़ लगे थे, लेकिन उसका फैसला नहीं हो सका। १०–१२ साल तक मुकदमा चलता रहा और आखिरकार पानी के अन्दर बाढ़ में वह जमीन कट गयी । न सरकार को जमीन मिली और न भूमिधर को जिसकी आराजी थी । यह क्या इंसाफ है ? इंसाफ के नाम पर एक तमाचा है । मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इलेक्शन पेटीशन की जो व्यवस्था है, उसमें एक आदमी के किसी प्रकार, येन-केन प्रकारेण तरीके से चुनाव जीतने के खिलाफ इलेक्शन पेटीशन करता है । आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन पेटीशन उसके ५ साल के कार्यकाल में तय नहीं हो पाती । ऐसी मिसालें हैं कि एलेक्शन पेटीशन हुई, पांच साल समाप्त हो गये और उसके बाद फैसला हुआ । उससे क्या फायदा पांच साल तक वह एम०एल०ए०, एम०पी० या किसी जगह के अध्यक्ष रहे और उस अवधि के बाद फैसला हुआ तो वह किस फायदे का। आप ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसी इलेक्शन पेटीशन्स का क्वीक डिस्पोजल होना चाहिये और जो उसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है उसका निर्णय भी एक या दो वर्ष की अवधि में होना चाहिये ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार की वह सर्वविदित है । जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर घट-घट में व्याप्त है, सर्वोपरि है वैसे ही भ्रष्टाचार भी सर्व व्याप्त है। एक खुल्लमखुल्ला बाजार है जिसके लिये न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं । आज न्यायाधीशों के सामने खुलेआम घूस चलती है, दो रुपये पेशकार और ५ रुपये उनके अहलमद लेते हैं ।

[श्री राज बृजराज सिंह]

महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर लगी है उस तक का मजाक उड़ाते हैं। महात्मा गांधी ने जो क्षमा और शान्ति के लिये हाथ उठाया है इसे कहते हैं कि ५ रुपये से कम मत लेना। आज न्यायिक पक्ष सबल और मजबूत का साथ देता है, कमजोर को न्याय भी नहीं मिल पाता और उसकी उपेक्षा सर्वत्र होती है। जस्टिस इज ऐन इंटरेस्ट आफ दि स्ट्रांगर।

अतः आज उसी के हक में फैसला होता है जो मजबूत और सबल है। आज जो सूबे के बटवारे की चर्चा होती है इसकी वजह है प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना तथा न्याय की सुविधायें उपलब्ध कराना। आज सुविधा के लिये ही पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट की मांग की जाती है। यह मांग आज से नहीं, ४–५ वर्ष पहले से हो रही है। अन्य प्रदेशों के अन्दर भी एक से अधिक हाई कोर्ट हैं। आप ही के प्रदेश के अन्दर उदाहरण प्रस्तुत है कि दो हाई कोर्ट की व्यवस्था की गयी है, एक इलाहाबाद में और उसकी बेन्च लखनऊ में जबकि दोनों में डेढ़ सौ मील से अधिक का फासला नहीं है। तो जब पश्चिमी प्रदेश के लोग मांग करते हैं कि उनके यहां भी एक बेन्च खोल दी जाय तो क्या उनकी मांग न्याय संगत नहीं है। यह मांग इसलिये होती है कि उनको दूर न आना पड़े, कम खर्चा करना पड़े और सब लोग हाई कोर्ट तक पहुंच सकें और न्याय सुगमता से प्राप्त कर सकें।

जस्टिस के विषय में भी पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि 'माइट इज राइट'। आज भी यह उदाहरण सामने आता है और उसका दिग्दर्शन दैनिक और रोजमर्रा के व्यवहार में होता है। आज सबल और मजबूत व्यक्ति की हर जगह सुनवाई होती है चाहे प्रशासन में देखा जाय चाहे न्यायालय में देखा जाय। कहीं-कहीं इसकी व्यवस्था जरूर है कि जिसके पास सम्पत्ति नहीं है गरीब है यदि वह कोर्ट में जाना चाहता है तो फार्मा पापरिस का फार्म भरता है लेकिन ऐसी व्यवस्था कहने भर को है। आपके यहां अमरीका तथा अन्य देशों की तरह व्यवस्था होनी चाहिये। वहां लायर्स का एक पैनेल बना दिया जाता है और जो वकीलों की मदद चाहते हैं उनके लिये व्यवस्था की जाती है।

इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि न्याय उपलब्ध कराने के लिये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। छोटे-मोटे कार्यकलापों में प्रशासनिक सुविधायें जहां उपलब्ध होती हैं वहां भी न्याय नहीं होता। आपके यहां दो प्रकार से व्यवहार किया जाता है। बहुत से विपक्षी लोगों की बात पहले तो सुनी ही नहीं जाती और अगर सुनभी लेते ह तो मानी या कार्यान्वित नहीं की जाती है। तो जब आप न्याय यहीं पर नहीं देते तो दूसरी जगह क्या देंगे।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि कैपिटल पनिशमेंट के एबालिशन के विषय में कुछ वाद-विवाद चला। आपने उसमें थोड़ा सा रिलैक्स किया। नतीजा यह हुआ कि क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। जमाखोरी या तस्करी के मामले आपके सामने आते हैं। आप १०–५ रुपये का जुरमाना करके या केवल दो महीने के कारावास का दंड दे कर न छोड़ दें बल्कि कठोर दंड दें तो शायद इसमें कुछ रोक-थाम हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

इतना कहने के पश्चात् मैं आग्रह करता हूं कि मेरे जो सुझाव उचित हों उन पर ध्यान देने की कृपा की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

श्री सुरेन्द्र मिश्र।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आप किस तरह से पुकारते हैं, सूची के आधार पर या कैसे ?

श्री अधिष्ठाता—

आगे आपका नम्बर आयेगा ।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं बजट के पक्ष और कटौती के प्रस्ताव के विरुद्ध बोलना चाहता हूं । इसके पूर्व कि मैं अपने विचार रखूं आपके माध्यम से कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य को उत्तर देना उचित समझता हूं । मुझे अफसोस है कि आज विरोध पक्ष जिसका नेता चौधरी चरण सिंह साहब माननीय सदस्य हैं वह भुट्टो की लाइन पर चलनेवाले नेता हैं और उनके पीछे चलने के लिये वे माननीय सदस्य मजबूर हैं कि जो आज देश और प्रदेश के बटवारे की बात सोचते हैं केवल कुर्सी के लिये ।

मुझे आज से दो चार साल पहले का इतिहास याद आता जा रहा है कि भुट्टो साहब के दिमाग में एक बीमारी पैदा हो गयी थी कि अपने देश का प्रधानमंत्री बने और आज पाकिस्तान की पोजीशन यह है कि वह दो हिस्सों में बंट गया और उसके दो भाग में उसके बंटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भुट्टो साहब की है । उन्हीं के कारण १३ करोड़ की आबादी का पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया । ७ करोड़ उससे अलग हो गया । आखिर वह हो गये प्रधान मंत्री. . . (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह—

हम हिन्दुस्तान के दो हिस्से नहीं चाहते, हम तो सिर्फ हाई कोर्ट की बात कह रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

हमने तो आप सब साथियों के भाषणों के मध्य डिस्टर्ब नहीं किये, आप हमारी बात सुन लीजिये । ठीक भुट्टो के तरीके पर यहां भी एक बीमारी पैदा हो गयी हमारे मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह साहब को कि अगर प्रदेश एक रहेगा तो वे अब मुख्य मंत्री नहीं बन पायेंगे. . . . .

(व्यवधान)

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)—

आप पाकिस्तान की विधान सभा में भाषण दे रहे हैं ? आप तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा में खड़े हैं । भुट्टो ने वहां भाषण दिया था आप यहां के भुट्टो बन रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग आपस में बातें कृपया न करें । मिश्र जी, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

बी० के० डी० पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं और वे माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने नेता के दबाव के अन्दर मजबूरन इस बात को रख रहे हैं । मैं समझता हूं कि कोई भी राष्ट्रभक्त कभी भी देश के बटवारे की बात नहीं कर सकता । मैं इस बात को कहता हूं कि देश के अन्दर आज एक सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली के अन्दर है । अब आसाम और बंगाल के लोग कहें कि नहीं और सुप्रीम कोर्ट बनाओ नहीं देश का बटवारा कर दो तो फिर निश्चित रूप से देश के बटवारे का सवाल पैदा होगा ।. . . . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

क्या बात करते हैं देश के बटवारे की बात तो देश के महान नेता जवाहरलाल के नेतृत्व में हुई जिसे आप अपना कुलगुरु मानते हैं। उसी ने इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में, इसलिये चौधरी साहब ने तो बटवारा देश का नहीं कराया है, बटवारा तो कराया जवाहरलाल ने।

श्री अधिष्ठाता--

बांकेलाल जी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

आज एक सवाल बड़े जोरों से उठाया जा रहा है कि मेरठ में एक हाईकोर्ट और बन जावे। यह बात तो उसी तरह से हुई जैसे कल बंगाल और आसाम सुप्रीम कोर्ट के बटवारे की बात कहें। तो क्या वह गलत नहीं होगा। हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि यह इतना बड़ा प्रदेश है कि इसमें इसके कारण स्वच्छ प्रशासन नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह १० करोड़ या ९ करोड़ की जनता का प्रदेश है और इतना बड़ा कोई प्रदेश नहीं है तो क्या कल यह बात दोहरावेंगे कि चीन के बाद हिन्दुस्थान ही सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर लिहाजा इसका भी बटवारा हो जाना चाहिये, मगर यह बात आप कब कहेंगे जब चौधरी साहब के दिमाग में भूत सवार होगा कि नहीं मुझे प्रधान मंत्री बनना है। एक ही चारा रह गया है प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री बनने के लिये कि मेरठ जिला ही एक देश बन जाय और मरने से पहले वह अपनी मनोकामना कम से कम पूरी कर लें कि वह एक देश के प्रधान मंत्री बन गये और इनके फालोअर्स बेचारे मजबूर हैं कि वे उनके पीछे चलें। ऐसी शर्मनाक बात हुई है विपक्ष की तरफ से जो अपने को राष्ट्रीय या राष्ट्रभक्त कहता है। मैं समझता हूं कि उसको शर्म आनी चाहिये और उन सदस्यों को नहीं कहना चाहिये था। वे ही कह सकते हैं जो कि अपने देश को भुट्टो की भांति, इस भारतमाता को बेंच देना चाहते हों। भारत मां को बांटने की बात सोचते हों। लिहाजा आपकी यह मांग कि हाईकोर्ट का बटवारा किया जाय यह बिलकुल गलत और अप्रासंगिक है। (व्यवधान) इस तरह से तो एक दिन सुप्रीम कोर्ट भी बट जायगा। देश भी बट जायगा।

यह कहना भी गलत है कि प्रदेश छोटा होने से प्रशासन अच्छा हो सकेगा। अगर यही बात सही होती तो पाकिस्तान में इतनी अशान्ति क्यों होती। वह तो ५ करोड़ की आबादी का ही देश है। जितनी अशान्ति आज वहां है उतनी कहीं नहीं है। इसलिये मुझे आशा है कि आप बटवारे की बात कभी नहीं कहेंगे।

एक बात और माननीय सदस्यों की ओर से कही गयी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसके लिये जब तक जजों की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी, तब तक फैसले जल्दी कैसे हो सकते हैं। जजों की संख्या यदि बढ़ाई जायेगी तो खर्च बढ़ जायगा। खर्च बढ़ेगा तो टैक्स लगाने होंगे। एक तरफ आप खर्च बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यह कटौती का प्रस्ताव रखते हैं।

एक बात और मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। आज वकीलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर आपके कन्सालिडेशन विभाग में जो सी०ओ०, एस०ओ०सी०, डी० डी० सी० आदि अधिकारी लोग रखे जाते हैं उनके लिये कानून की परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है। कानून न जानने के कारण वे कन्सालिडेशन से वंचित कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाते। मेरा सुझाव है कि इन जगहों पर इन वकीलों में से नियुक्तियां की जायें। इससे आपको कानून के जानने वाले अच्छे योग्य व्यक्ति भी मिल सकेंगे और वकीलों में बेरोजगारी की समस्या को भी हल कर सकेंगे।

एक सुझाव इनके संबंध में और देना चाहता हूं। आजकल जिलों में जो अच्छे वकील हैं और जो सीनियर हैं उनकी फीस बहुत अधिक होती है। सीनियर होने के नाते उन्हीं को केसेज मिलते हैं। जूनियर्स खाली रहते हैं। इसलिये सुप्रीम कोर्ट की तरह यहां पर भी हर सीनियर वकील के लिये एक जूनियर वकील का भी वकालतनामा अवश्य लगना चाहिये। इससे जूनियर वकीलों को भी काम करने का मौका मिल सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री दया किशन पांडे (जिला पिथौरागढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आज मौका दिया है।

मैं पेशे से वकील हूं और शायद ४० वर्ष मुझे इस पेशे में बीत चुके हैं। मैंने अंग्रेजों के समय से अपनी वकालत शुरू की थी और इस वकालत करने की अवधि में मैंने न्याय में उतार-चढ़ाव देखे हैं। अंग्रेजों के समय में यदि दो व्यक्ति आपस में लड़ते थे और अगर उसमें ऐडमिनस्ट्रेशन का कोई हाथ नहीं होता था तो वह न्याय बड़ा सुलभ था। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार धीरे-धीरे घुसता चला जा रहा है। और थोड़े दिनों में यह मुमकिन है कि हो सकता है कि यह भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट को भी पूरी तरह से अपने नीचे ले आये। आज आपको हमको और तमाम जनता को इस विषय में सोचना है। न्याय मनुष्य के जीवन के लिये एक बहुत ही आवश्यक चीज है और यदि न्याय में भी भ्रष्टाचार आ गया तो मुश्किल होगा।

आज हम यह देख रहे हैं कि जहांपर छोटी अदालतें हैं वहां बिना ट्रेनिंग के जो मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ भेज दिये जाते हैं और उनके ऊपर बोझ लाद दिया जाता है तो वह किसी न किसी प्रकार भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं चाहे उनको पेशकार दबाये या प्रभावशाली वकील या चाहे उनको अन्य तरीके से दबाया जाये। उनमें ऐसी बात नहीं है कि वे अपना जजमेंट और अपना फैसला अच्छी तरह से दे सकें। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि एक अलग से विजीलेंस सेल अभी से कायम की जाय जो देख-रेख करे और जहां भ्रष्टाचार का कोई पता चले वहीं पर ही इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की जाय। वरना जिस तरीके से अन्य डिपार्टमेंट्स में जो भ्रष्टाचार फैला है जैसे इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या अन्य दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं उसी तरीके से इस प्रणाली में भी भ्रष्टाचार हो जायगा और तब इसको निकालना मुश्किल हो जायगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से ४० वर्ष पहले आठ आने में एक वकालतनामा आता था और कोर्ट फीस इतनी थी कि गरीब आदमी भी उसे दे सकता था। लेकिन आज कोर्ट फीस इस प्रांत में इस राज्य में और इस स्टेट में इतनी उंची हो गयी है कि हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा कोर्ट फीस कहीं की है, तो वह उत्तर प्रदेश की है। न्याय हर किसी को मिलना चाहिये। चाहे उसके पास पैसा हो या न हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। क्योंकि उसके पास न तो इतना धन है कि वह कोर्ट फीस अदा कर सके और न इतना धन है कि अच्छे-अच्छे वरिष्ठ वकीलों को अपना मुकदमा सुनवा सके। तो इस तरफ भी गौर होना चाहिये।

आज कोर्ट फीस आमदनी का जरिया बन गयी है, सरकार ने इसे आमदनी का जरिया बना लिया है। तो मेरा कहना है कि कोर्ट फीस इतनी होनी चाहिये आमदनी और खर्च बराबर हो वरना चाहे आमदनी हो या नहीं कोर्ट फीस इतनी होनी चाहिये कि खामखां में आदमी अदालत में न जाये और इतनी अधिक नहीं होनी चाहिये कि जो गरीब आदमी है उसको न्याय न मिल सके।

[श्री दया किशन पांडे]

तीसरी चीज यह है कि आज भ्रष्टाचार सरकारी वकीलों में और दूसरे लोगों में इतना फैल गया है कि न तो सरकार को न्याय मिल पा रहा है और न जनता को। मुकदमें में चाहे वह सेशन जज की अदालत में हो या दीवानी में वहां कम से कम दो या तीन साल से पहले फैसले नहीं हो पाते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इसके लिये भी सरकार को देखना चाहिये कि मुकदमें जल्द से जल्द खत्म हो जायं।

मान्यवर, चौथी बात जो अदालतों के बारे में कही गई है कि हाई कोर्ट इधर भी होने चाहिये और उधर भी होने चाहिये। यहां तक कि हर कोई सब डिवीजन चाहता है कि हर सब डिवीजन में मुंसिफ रहें, हर डिवीजन में मैजिस्ट्रेट रहे। इससे नुकसान होने का अन्देशा है। इससे वकालत का स्तर गिरेगा और फैसलों का भी स्तर गिरेगा। दो बेन्चें बन चुकी हैं। लखनऊ की जो बेंच है उसके बारे में सबको पता है। यहां जो चीफ कोर्ट खुली थी वह ताल्लुकेदारों के मुकदमों और उस दायरे के मुकदमों, जहां ताल्लुकेदारों का राज्य था, के लिये खुली थीं।

हम लोग अवध कोर्ट की हिस्ट्री को जानते हैं। तो इस प्रकार एक मिसचीफ हो चुकी है और यदि जगह-जगह अदालतें खोली गईं तो इससे वकीलों के और फैसलों के स्तर गिरेंगे। जितनी ब्रान्चें खुलेंगीं उतना ही अधिक स्तर गिरेगा। इलाहाबाद में अदालत नं० १० में उसी विषय पर कुछ फैसला होता है और अदालत नं० २८ में उसी विषय पर उसका उल्टा फैसला हो जाता है। इसलिये जहां तक हो सके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट की सारी अदालतें होनी चाहिये। इसके लिये चाहे अदालतों को दौरे पर भी भेजा जाय और उस खर्चे को सरकार को वहन करना चाहिये। अतः इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य ने, जो वकील भी हैं जो भाव व्यक्त किये हैं मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं। आज जो कचहरियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें शासन को मौलिक परिवर्तन करना लाजमी है। बहुत से सदस्यों ने राय व्यक्त की है कि छोटे और गरीब लोगों को सस्ता न्याय नहीं सुलभ हो पा रहा है। इसलिये जिला स्तर पर जो गरीब लोग आते हैं सचमुच उनके लिये न्याय मुफ्त होना चाहिये जिस तरह से इन्कम टैक्स का नियम बना है कि जिसकी जितनी आय होगी उसके एक लिमिट के बाद टैक्स लगेगा। उसी प्रकार मजदूर, किसान व गरीब लोगों से कोई फीस न ली जानी चाहिये।

कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी गरीबों के लिये सस्ते न्याय का जिक्र है। इसलिये सरकार वकील लोगों में एक ऐसा समाज बनाये जो गरीब लोगों की पैरवी करे। सरकार को चाहे इसके लिये वकीलों को मजदूरी के तौर पर कुछ देना भी पड़े। मैं न्याय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसका प्राविधान करायें।

मान्यवर कचहरियों में मिसिल का मुआयना कराने की फीस २ रु० ली जाती है जो कि नहीं लेना चाहिये। इसलिये इस फीस को माफ कर देना चाहिये। कानूनन मिसिल का मुआयना फ्री कर देना चाहिये और जो पेशकार के बैठने की जगह उसमें उसी प्रकार से परिवर्तन होना चाहिये जिस प्रकार से सचिव विधानसभा के अध्यक्ष के पीछे बैठते हैं। पेशकार मैजिस्ट्रेट की बगल में जहां जनता आकर खड़ी होती है वहां बैठता है और पैसे का लेन-देन आसानी से होता है। हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिस प्रकार से संशोधन किया है उसी प्रकार से सिविल प्रोसीजर कोड में होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है वह यह है कि नीचे की अदालतों में फैसलों का अंग्रेजी में लिखा जाना। शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी नीचे की अदालतों में हिन्दी और देवनागरी लिपि में फैसला नहीं लिखा जाता। मेरा तो सुझाव यह है कि सरकार द्वारा जिले की कचहरियों में जितने भी अंग्रेजी के टाइपराइटर्स हैं उन्हें वहां से हटवा लेना चाहिये ताकि जो नौकरशाही की बू में अंग्रेजी में जो फैसला लिखा जाता है वह न लिखा जा सके। अगर कोर्ट की भाषा हिन्दी रहेगी तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। जहां तक छोटे-मोटे केसेज के निपटारे का सवाल है, ला कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की है कि मोबाइल कोर्ट्स बनाये जायं ताकि जो छोटे-छोटे झगड़े जैसे ३२३ के हैं, खातों में नाम दर्ज कराने के होते हैं, विरासत के होते ह उनका निपटारा किया जा सके। अगर मोबाइल कोर्ट्स तय हो जायं तो गरीबों को न्याय सस्ता और सुलभ हो सकता है।

जहां तक हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में खुलने का प्रश्न है मैं माननीय वकील साहब की राय से सहमत हूं। मैं तो इस राय का हूं कि लखनऊ की बेंच भी तोड़ दी जाय। अगर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हमारी सरकार ने १९४७ में लखनऊ बेंच को तोड़ने का फैसला ले लिया होता तो यह क्रान्तिकारी फैसला होता। मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट की बेंच को मेरठ में खुलवाने की बात करते हैं।

यह उनकी भावना उत्तर प्रदेश के बंटवारे से सम्बन्धित है। मैं तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे का विरोधी हूं। उत्तर प्रदेश हमारा हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का वक्षस्थल है। गंगा जमुना का यह इलाका केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है वरन् ५६ करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मेरठ से लेकर बलिया तक और चमोली और गढ़वाल के बीच संजोया गया है। मैं उन माननीय मित्रों से जो उत्तर प्रदेश का बंटवारा चाहते हैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का बंटवारा होता है तो भारत की संस्कृति और सभ्यता का बंटवारा होगा। मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूं कि यह बात वह अपने दिमाग में भी न लायें कि हाई कोर्ट की बेंच एक मेरठ में भी होना चाहिये। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील करूंगा कि लखनऊ वाली बेंच को भी तोड़कर केवल उच्च न्यायालय लखनऊ में ही रहे।

एक सदस्य—

गरीबों को न्याय किस तरह से सस्ता मिले यह बतावें, बंटवारे की बात क्यों कर रहे हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैंने अपना तर्क रखा है। जहां तक न्याय सस्ता और सुलभ हो मैंने कहा कि मोबाइल कोर्ट्स होनी चाहिये, लेकिन हम उच्च न्यायालय को हर जगह कायम नहीं कर सकते। अब तक की जो सारी रूलिंग्स हैं, वकीलों को पढ़ने-लिखने की सुविधा है, लाइब्रेरी है, यह सारी व्यवस्था हर जगह मुहैया नहीं कर सकते। अगर हम खण्डों में विस्तार करेंगे तो न्याय का स्तर भी गिरेगा। सबसे बड़ा तर्क यह है कि सभ्यता और संस्कृति बंटेगी।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि कानून तो बने हुये हैं, लेकिन उनको इनफोर्स करने की बात है। मुकदमें कितने देखे जायेंगे उनकी लिस्ट बननी चाहिये कि और अगर किसी आफीसर को कहीं बाहर होना है तो वह अपनी कलम से खुद तारीखें दें। इन छोटे मोटे कामों के लिये लोगों को घूस और रिश्वत देनी पड़ती है लेकिन जो कानून बने हुये हैं उनको इनफोर्स नहीं किया जाता। अगर इन चीजों पर शासन गौर करे तो एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सकता है।

आज सचमुच, जो निर्वाचन के सम्बन्ध में बात कही गई, जो लक्ष्मी सिंह ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया उसमें कुछ ऐसी बातों की चर्चा उन्होंने की जिनकी चर्चा लोकसभा में होनी चाहिये,

[श्री काशीनाथ मिश्र]

श्रीमन्, लेकिन मैं उनकी भावना से सहमत हूं कि चुनाव को ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिये और हमारी सरकार को इस पूरे सदन की तरफ से यह सिफारिश होनी चाहिये कि इलेक्शन टैक्स लगाया जाय और जो रिकगनाइज्ड पार्टीज है उनको ही चुनाव लड़ने की आज्ञा दी जाय और चुनाव पर सारा व्यय सरकार की तरफ से होना चाहिये अर्थात् इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो तो भी किसी कैन्डीडेट की लोकप्रियता कितनी है इसका पता चल सकता है। स्वतन्त्र लोगों को चुनाव में खड़े होने की आज्ञा न दी जाय तभी इलेक्शन का संचालन ठीक से हो सकता है। जिस तरह से और टैक्स लगाये जाते हैं उसी तरह से इलेक्शन टैक्स लगना चाहिये। छोटे और गरीब लोगों के मुकदमें को सस्ता बनाने के लिये आपको प्रोग्रेसिव टैक्स भी लगाना होगा बड़े लोगों पर और उनसे कोर्ट्स फीस ज्यादा ली जानी चाहिये और गरीब लोगों को मुकदमा फ्री कर देना चाहिये। इन सब चीजों को रखते हुये मैं मंत्री जी द्वारा पेश किये हुये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, न्याय मंत्री जी ने जो न्याय के सम्बन्ध में और निर्वाचन के सम्बन्ध में बजट पेश किया है उसका विरोध करने के लिये और कटौती का जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये मुझे निवेदन करना है। श्रीमन्, न्याय का यह जो बजट है, यहां जितने लोग बैठे हुये हैं जितने पूरे प्रदेश या देश के रहने वाले लोग हैं सबका उससे सम्बन्ध होता है। देश के लोग यह आशा रख कर बैठे थे कि जब देश आजाद होगा तो न्याय की पद्धति में कुछ इन्कलाब आयेगा। लेकिन कहावत है, देहात के लोग कहते हैं कि मैं समझा हाथी की दुम लेकिन देखने में एक रस्सी ही समझ में आयी।

जब देश आजाद हुआ तो शुरू-शुरू में न्याय को सस्ता बनाने के लिये न्याय पंचायतों का गठन हुआ। लोग समझे कि न्याय पंचायत को सरकार इतना मजबूत करेगी कि इससे न्याय कुछ सस्ता होगा। उसको थोड़े से हक भी दिये गये कि वरासत के मुकदमें, दाखिल खारिज के मुकदमें का निर्णय न्याय पंचायत करेगी। साथ ही ३३/३९ तरमीम के मुकदमों का अधिकार भी न्याय पंचायत को दिया गया। लेकिन हाय रे यह सरकार, गांधी जी की जो भविष्यवाणी थी कि सस्ता न्याय करने के लिये न्याय पंचायत का गठन होगा वह न्याय पंचायत बिल्कुल मर गयी। न्याय मंत्री जी ने इस बजट में न्याय पंचायत के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। अगर एक भी शब्द उनके बारे में उन्होंने कहा होता तो हम समझते कि न्याय पंचायतों पर यह बल देने जा रहे हैं जिससे कि गांव के गरीब आदमियों को कुछ सस्ता न्याय मिल सकेगा। लेकिन यह बजट तो बिल्कुल पूंजीवादी है, समाजवादी कतई नहीं।

आप कुछ आनरेरी मजिस्ट्रेट बढ़ाने जा रहे हैं, कुछ जजों की कमी को पूरा करने जा रहे हैं। यानी जो शोषक हैं उसको मजबूत कर रहे हैं और शोषितों के बारे में एक शब्द भी इंगित नहीं किया है। अधिष्ठाता महोदय, समय कम मिलने के नाते मेरी बात छूट जायेगी इसलिये न्याय मंत्री जी से वह बात कहने के बाद अगर समय मिला तो मैं पालिसीज पर सुझाव दूंगा।

९ जनवरी, ६४ का किस्सा है, मंत्री जी नोट कर लें। मेरे ऊपर गोली मारी गयी। घटना घटी। ३०७ की रिपोर्ट लिखायी गयी और नामजद मुल्जिम फार्म नं० ३३९ पर मुकामी पुलिस की चार्जशीट भेजी गयी और वह कोर्ट साहब के यहां गयी। वह इजलास में जाने वाली थी लेकिन हाय रे यह सरकार, उस समय होम मिनिस्टर हर गोविन्द सिंह थे, उन्होंने इजलास में जाने से रुकवा दिया और कहा कि सी०आई०डी० से तफतीश होगी। मैंने सोचा कि इसमें अब लीपापोती होगी इसलिये हाई कोर्ट में रिट की। ब्राउन साहब जज थे। वहां से फैसला हुआ कि आपको न्याय का रास्ता रुका हुआ नहीं है। मान लें कि सी० आई० डी० के लोग बेईमानी या लीपापोती करते हैं तो आप न्यायालय में न्याय ले सकते हैं। बात सही थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा कि पहले दो माननीय सदस्यों ने कहा, जब से यह सरकार बनी और मंत्रियों का प्रभाव अधिकारियों और अदालतों पर पड़ा तो न्याय महंगा होने लगा और बेईमानी होने लगी। नतीजा यह हुआ कि मैंने फिर इस्तगासा दिया। उसके बाद जज के यहां से उन पर ३०७ का मुकदमा कायम हुआ। जो सी०आई०डी० के लोग थे, उन्होंने बेईमानी की। फिर वे लोग हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट से उन पर मुकदमा कायम हुआ। वह फाइल और मिसिल आज भी यहां पड़ी है। अब तक जिरह नहीं हो रही है। ६४ से अब तक। शर्म आनी चाहिये। न्याय मंत्रीजी को दुख होना चाहिये। ९ जनवरी, १९६४ से आज तक फाइल पर फैसला नहीं हुआ। आज भी पड़ी है। जबकि ६९ से आज तक मैं इस सदन का सदस्य हूं। बराबर कहता रहा हूं। आजमगढ़ में, हाई कोर्ट के जज के फैसले के बावजूद, फाइल पड़ी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, न्याय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। क्या कारण है कि फाइल अभी तक इसी तरह से पड़ी है?

श्री राज मंगल पांडेय—

मुकदमा कहां पड़ा है?

श्री भाभी—

आजमगढ़। जज साहब के यहां .... ।

श्री राज मंगल पांडेय—

क्या फाइल रुकी है?

श्री भाभी—

जी हां। मुकदमा सही है। फिर हाई कोर्ट से हुआ। सही बात है। फिर मुकदमा चलाया जाय। सेशन जज के यहां से। यह फाइल ज्यों की त्यों पड़ी है।

श्री राज मंगल पांडेय—

अच्छा, सेशन जज ने नहीं किया?

श्री भाभी—

जी हां। हमारे कहने का मतलब केवल यह है कि यह प्रशासन इतना कमजोर है कि इनके जो अधिकारी हैं, जज हैं, वे इनकी परवाह नहीं करते मनमानी काम करते हैं।

अब अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। न्याय मंत्री जी ने न्याय पंचायतों को इतना कमजोर कर दिया कि जो उनको अधिकार मिले थे, उनको भी इन्होंने छीन लिये। कुछ लोगों की रोजी लेने के लिये और जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिये आनरेरी मैजिस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं लेकिन जनता के चुने हुये लोग गांव में सस्ता न्याय करने के लिये थे, उसको नहीं कर रहे हैं न्याय पंचायतों को जो वरासत के दाखिल खारिज का हक दिया गया था, क्या कारण है कि वह हक ले लिया गया।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

आप जो अपने बारे में केस बतला रहे थे, उसमें आप सदन का समय लेने के बजाय मुकदमा दायर कर देते तो न्याय मिल जाता।

श्री भाभी—

वह कम्प्लेन्ट दाखिल हुई और रुक गयी। अब उसको क्यों दुहराते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री भाभी—

इन शब्दों के साथ, यह जो बजट पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । बड़ा महत्वपूर्ण विषय आज का है । एक बड़े विद्वान ने कहा है "मैन इज बार्न फ्री बट इज एव्रिव्हेअर इन चेन्स" । ये जो चेन्स हैं यही विधि है जिससे हम सभी बंधते हैं और इसी से एक समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने की व्यवस्था होती है । कुछ पथभ्रष्ट लोग जब यह कहते हैं कि हम बैलट का जवाब बुलट से देंगे तो संभवतः वह विधिविहीन राज्य की स्थापना की कल्पना करते हैं । विधि के रहते हुए इस तरह के कार्यकलाप की संभावना नहीं है । कानून के क्षेत्र में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहुत सुधार किये । हाई कोर्ट में बिजिलेंस सेल का बनना, सिविल जज के स्थान को तोड़ देना आदि ये संशोधन किये गये हैं । इनसे कानून व व्यवस्था को कायम रखने में काफी परिवर्तन आया है लेकिन इसके साथ साथ मन्त्री महोदय की सेवा में मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव पेश करूंगा ।

मैं पहले यह चाहता हूं कि सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ स्टेट अमेंडमेंट कर दिये जायें तो संभवतः कानून की दिशा में कुछ अच्छे कदम उठाये जा सकेंगे । पहला संशोधन यह किया जाय कि सी० पी० सी० में दफा ८० के मातहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जो नोटिस दिया जाता है उसे समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि इससे साधारण आदमी तथा सरकारी कर्मचारी के बीच भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है और कानून में यह डिस्क्रिमिनेशन उचित नहीं है ।

दूसरे कम राशि के मुकदमें जैसे तीन हजार की मालियत के मुकदमें जिन न्यायालयों में होते हैं उनमें अगर कोई कानूनी बात रह जाय तब तो अपील का इजाजत दी जाय वर्ना न दी जाय इससे बहुत बड़ी संख्या मुकदमों की खत्म हो जायगी और न्याय जल्दी मिल सकेगा । इसके अलावा मामूली विवादों को निबटाने के लिये समरी प्रोसीडिंग्स जो होती है उनके क्षेत्र को और बढ़ा देना चाहिये और सरकार की ओर से यह आदेश होने चाहिये कि जो सी०पी० आई० सी० में समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको एक या दो तारीखों में ही सुनवाई समाप्त कर दिया जाय वर्ना उनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है अगर एक या दो से अधिक तारीखें उनमें लगती हैं और जिनके मुकदमें होते हैं जनता को इससे परेशानी भी होती है और समरी प्रोसीडिंग्स का परपज भी खत्म हो जाता है ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा ट्रांसफर आफ केसेज के बारे में कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जो मुकदमें हस्तांतरित किये जाते हैं सरकार की अनुमति उनमें ली जाती है यह पावर उन्हीं को ट्रांसफर कर दी जाय और इसके लिये सी० पी० सी० में संशोधन कर दिया जाय ।

श्री राजमंगल पांडेय—

यह पावर सरकार को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की है ।

श्री रुद्र प्रसाद—

सी० आर० पी० सी० में जो अमेंडमेन्ट हुआ है उसमें डी० जी० सी०, सरकारी वकील और ए० डी० जी० सी० का प्राविजन है । परन्तु सेशन न्यायालयों में अभी पैनल लायर ही चल रहे हैं । यह पैनल लायर्स जो चल रहे हैं उसमें भी शासन की तरफ से कोई आदेश

इस तरह के नहीं हुए कि इन पैनल लायर्स का स्थान ए० डी० जी० सी० होना चाहिये और जबकि अमेन्डेड सी० आर० पी० सी० में एडिशनल डी० जी० सी० होना चाहिये । टेनेन्सी ला के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्य कानूनों में और जमींदारी अबोलिशन इत्यादि में कंट्राडिक्शन है । मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक कमीशन बना दिया जाना चाहिये जो कि इन सब को कन्सोलिडेट करके सभी पर समान रूप से लागू होने वाले कानून को बतायें हर प्रकार और जो हर प्रकार की टेनेन्सी पर लागू हो । यहां पर कई विधि वक्ताओं और बड़े-बड़े नेता लोगों का ख्याल था कि सिविल ला, हिन्दू ला और मोहम्डन ला को अलग-अलग रखना देश के हित में नहीं है और न ही इसका उपयोग है । मैं चाहता हूं कि एक तरफ का सिविल ला हो और वह एक ही प्रकार से सब पर समान रूप से लागू कर दी जाय ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिले में जहां से मैं प्रतिनिधि हूं वह एक बहुत बड़ा जिला है और वह करीब-करीब १२० मील लम्बा है । उसकी एक तहसील राबर्ट्सगंज है जो कि मिर्जापुर से ४०/४५ मील पर पड़ती है । मैं माननीय न्याय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक मुन्सिफ का कोर्ट तथा एक जज का कोर्ट होना नितान्त आवश्यक है । क्योंकि मिर्जापुर से दुद्धी ११५ मील के करीब पड़ता है और वहां से मिर्जापुर सदर स्थान पर आने में लोगों को दिक्कत पड़ती है । इस प्रकार यदि वहां पर एक सेशन जज हो जाय तो लोगों की काफी परेशानी दूर हो जायगी ।

कटौती के प्रस्ताव पर जो हमारे भाई ने कहा कि हाईकोर्ट की एक पीठ मेरठ में रख दी जाय । मैं उनके इस बात का विरोध करता हूं । उसका मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार लखनऊ एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के लिये राजधानी है उसी प्रकार इलाहाबाद न्यायपालिका की राजधानी है । वहां की हमेशा से हमारी परम्परा रही है । उसी के तहत हमें अपने न्याय को परिपक्व रखना चाहिये ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हमारी है वह कायम रहे और जो ट्रेडिशन बना है वह भी कायम रहे । यदि इस प्रकार से परम्परायें बदलती रहीं तो एक समय आ सकता है जब कि हम यह मांग करेंगे कि विधान सभा का एक छोटा रूप मेरठ में रखा जाय एक बलिया में रखा जाय । इसी तरह से प्रदेश के बंटवारे की भावना लोगों में जागृत होती है । यह उचित नहीं होगा कि न्यायपालिका की एक पीठ मेरठ में रखी जाय ।

दूसरी बात यहां पर कही गई कि यह अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून है और मूलतः उनको परिवर्तित कर दिया जाय । क्या परिवर्तन इसमें किये जायं इसके बारे में विरोध पक्ष के किसी माननीय सदस्य ने कोई राय नहीं दी और न यही कहा कि अमुक परिवर्तन कर देने से इसमें आमूल परिवर्तन हो जायगा । कुछ कानून ऐसे हैं जो सचमुच अंग्रेजों के बनाये हुए हैं लेकिन जब तक उससे अच्छे कानून के लिये कोई राय नहीं दी जायगी तब तक उसको हटाकर दूसरा कानून लाना मेरी समझ से बुद्धिमानी की बात नहीं होगी । साक्ष्य का जो नियम है वह अच्छे ढंग से बनाया गया है । जब तक उनके लिये कोई अच्छा विकल्प नहीं निकलता है तब तक यह कहना और मूल परिवर्तन के नाम पर उसका परिवर्तन होना चाहिये उचित नहीं है ।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

इसके साथ ही साथ मैं यह भी अनुभव करता हूं कि न्याय पंचायतों को और अधिक अधिकार मिलने चाहिये । जो अधिकार इन न्याय पंचायतों को दिये गये हैं वे बहुत ही सीमित हैं और कम हैं । इसलिय मैं शासन से यह अरोध करूंगा कि उनके अधिकारों के लिये भी एक कमीशन बनाये जो कि कानून के जानकार लोगों से परामर्श ले और उनके जुरिस्डिक्शन को बढ़ावे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय न्याय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान प्रस्तावों को अनुमोदित करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह सदन प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण अनुदान की मांग और कटौती के प्रस्ताव पर बहस कर रहा है। सभी माननीय सदस्यों ने प्रशासन की पद्धति और जो उसकी अयोग्यतायें हैं उस पर अपने-अपने विचार रखे और जिन लोगों ने उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की मांग की, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं।

आज न्याय प्रशासन और निर्वाचन दोनों का समाज में इतना अधिक महत्व है कि प्रजातन्त्र और उसके अन्तर्गत संविधान द्वारा दिये गए अधिकार और कर्तव्य का सम्मान और रक्षा न्याय और निर्वाचन से ही होता है। लेकिन यह सरकार और इसका प्रशासन न्याय और निर्वाचन के प्रति इतनी उपेक्षा और इतनी गलतियों का कार्यान्वियन कर रही है, जिसका परिणाम यह है कि न तो न्याय निष्पक्ष है और न निर्वाचन। यह एक सिद्धांत की बात है कि न्याय और निर्वाचन देश और प्रदेश की उसी समय सेवा कर सकते हैं, जब कि ये निष्पक्ष रहे और उनकी निष्पक्षता के प्रति समाज और व्यक्ति का विश्वास हो। सरकार के लोग कह सकते हैं—(व्यवधान) उस पक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका मिलता है। पता नहीं वे लोग उस समय अपनी बातें क्यों नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो उन्हें बात याद आती है और वह तब कह देते हैं। योग्यता तो इसमें है कि जब अपने से कहें।

आज यह प्रशासन न्याय को न तो निष्पक्ष रख रहा है और न निर्वाचन को। इसका आधार है और इसके उदाहरण हमारे पास हैं, जिसको बाद में मैं रखूंगा। आज यदि किसी का बोलबाला है तो अन्याय के साथ न्याय का और न्याय के साथ अन्याय का। न्याय और निर्वाचन समाज की सेवा तभी कर सकते हैं, संविधान की रक्षा तभी कर सकते हैं जब ये निष्पक्ष और पवित्र हों और इनके प्रति जनता का विश्वास हो। किन्तु इस सरकार के कारनामे ऐसे हैं कि जनता का विश्वास न्याय और निर्वाचन की निष्पक्षता से दिन प्रति दिन उठता जा रहा है। इस देश में एक समय ऐसा था, जब न्याय की निष्पक्षता का पक्ष लेने के लिये, उसे बल प्रदान करने के लिये लोगों ने जीवन और सम्पत्ति को खतरे में डाला। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। लेकिन आज इस प्रशासन की देन है कि व्यक्ति जो न्याय और निर्वाचन की निष्पक्षता के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपनी सम्पत्ति और अपनी रक्षा के लिये न्याय और निर्वाचन की निष्पक्षता को खतरे में डाल रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है।

फिर इस समाज की रक्षा और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा कैसे हो पाएगी। जैसा मैंने कहा था उदाहरण बाद में दूंगा, न्याय की निष्पक्षता पर एक गहरा प्रहार, छोटे-छोटे प्रहार तो अनेक हुए पहले भी, उस समय हुआ था जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वरीयता क्रम को तोड़कर अपने अनुकूल मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वहां की गई। भले ही यह कदम वैधानिक हो, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि इससे देश की जनता का जो न्याय की निष्पक्षता पर विश्वास था, उस पर भी कुछ कुठारा घात हुआ था। यह ही आवश्यक नहीं है कि न्याय किया जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसमें जनता को दिखलाई पड़े कि न्याय उसके साथ किया जा रहा है। इस सिस्टम से जनता को भ्रम में डालकर यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि न्याय निष्पक्ष चलाया जा रहा है। यह न्याय के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है और न्याय प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है और उन्हीं पद चिन्हों पर प्रदेश अब भी आज चलने जा रहा है।

न्याय मन्त्री ने कहा कि हम स्पेशल जजेज नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो षड़यंत्र है, उससे न्याय की निष्पक्षता पर पुनः कुठाराघात होगा। वह यह कि स्पेशल जजेज उन्हीं को नियुक्त किया जायगा जो रिटायर्ड हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और प्रमाणों से सिद्धकर सकता हूं कि रिटायर्ड लोगों को अवैतनिक पद दिये जाने से न्याय निष्पक्ष नहीं हो सकता। यह प्रशासन कलंकित होकर रहेगा। किसी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी तरह से एक वर्ष के लिए अपनी सर्विस

पाये वह निष्पक्ष रहेगा। अपने हाथ में नौकरी देने का अधिकार जो रखेगा और नियम रखेगा कि अगर उसकी सेवायें ठीक रहेंगी तो एक साल बढ़ाते हुए ६८ साल की उम्र तक उसे सेवारत रहना निश्चित है, तो वह सेवारत रहते हुए उसके (सरकार) अनुकूल कार्य करेगा, और न्याय की निष्पक्षता को एक तरफ रख देगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति में वरीयता का आधार तोड़ा गया और यह कहा गया कि न्यायपालिका सरकार के अनुकूल हो, पार्लियामेन्ट सरकार के अनुकल हो, तब प्रशासन चलेगा। लेकिन सारी चीजें अनुकूल होते हुए भी मुद्रास्फीति की यह स्थिति आ गयी है।

प्रधान मन्त्री जैसे गर्व से कहने वाले व्यक्ति को भी यह कहना पड़ता है कि मुद्रा स्फीति की स्थिति इतनी बिगड़ती चली जा रही है कि अनेक अप्रिय निर्णय लेने पड़ेंगे। सारी चीजें कमिटेड होते हुए भी देश का उत्थान करने में सरकार असफल है। यह पद्धति बदलनी पड़ेगी कि रिटायर्ड लोगों को स्पेशल जज नियुक्त किया जायगा, अगर नहीं बदलते तो जनता का विश्वास उठ जायगा। गांवों में लोग कहावत कहते हैं कि यह न्यायालय नहीं है यहां तो सच बोल उनकी भावना हो गयी है कि न्यायालय में झूठ बोला जाता है और झूठ वहां से प्राप्त होता है। ये हैं न्याय प्रशासन के परिणाम। इसके साथ कह रहा था कि अगर न्याय को निष्पक्ष रखना है तो आप विश्वास दिलायें कि न्याय निष्पक्ष है।

आज रिटायर्ड लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। मेरा स्पष्ट मत है कि किसी भी वैतनिक पद पर अवकाश प्राप्त व्यक्ति को न नियुक्त करें। जो जजेज सर्विस में हैं उनको बनाएं या नयी भरती करके नियुक्ति करें। अगर किसी रिटायर्ड व्यक्ति को किसी वैतनिक पद पर रखते हैं खासकर न्यायिक पदों पर तो स्पष्ट अन्याय कर रहे हैं। इस निष्पक्षता को तोड़ने के लिए कहा जाता है कि वकालत पेशे का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। आज सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात कही। मैं बिलकुल उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

आज दशा यह है कि लोअर कोर्ट के जजेज इस बात पर निर्णय देते हैं कि किस पक्ष से कौन सा वकील हाजिर हुआ है। यह निष्पक्षता की भावना के विरुद्ध है। आज सरकार वकीलों में सीनियारिटी और योग्यता का ध्यान न रखते हुए डी० जी० सी० कौन नियुक्त होगा सरकार यह निर्णय करती है। इससे निश्चित निष्पक्षता पर असर पड़ता है। बस्ती में बांसी के मुंसिफ के बारे में मांग है, उसने एक भी निर्णय आज तक नहीं दिया है जो बिना पैसे का निर्णय दिया गया हो। यह मांग है कि सी० आई० डी० से जांच कराएं। निर्वाचन के बारे में एक ही बात कहनी है और वह सिद्धांत की बात है। निर्वाचन पद्धति को जातिवाद, क्षेत्रवाद और पैसा ये तीन चीजें प्रभावित करती हैं। मेरा मत है कि निर्वाचन का सारा खर्चा सरकार वहन करे। इस पद्धति को बदल कर सूची पद्धति लागू करे जिससे चुनाव में पार्टी की सिद्धांत और नीति प्रधान होगी न की उम्मीदवार। जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे जिस पार्टी को उतने ही उसके उम्मीदवार सदन में बैठ सकेंगे। यह नहीं होगा कि ३३ प्रतिशत वोट मिले और उस पार्टी का बहुमत हो जाय और सरकार बने।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

मान्यवर, मेरा पांचवां नम्बर था।

श्री अधिष्ठाता—

यह आपका भ्रम है। आप कृपया बैठिये। आपको अवसर मिलेगा।

*श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोन्डा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और बजट का स्वागत करता हूं। मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। अभी हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने एक तर्क दिया और वह सही भी है मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार न्यायालयों में और भर्ती करने जा रही है। २००/२५० नये मुंसिफों की भर्ती होने जा रही है। यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रखे जायं जिससे जनता को सही और शीघ्र न्याय सुलभ हो सके। इस ओर हमारी सरकार प्रयत्नशील है और आगे बढ़ रही है।

हमारे संविधान में जो नीति निर्धारित तथ्य हैं उसमें आर्टीकिल ३८ देखिये तो आपको मालूम होगा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि जनता को न्याय दिलाती रहे। हमारे संविधान की राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों पर सारी चीजें चल रही हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि गरीबों को न्याय दिलाने की अधिक से अधिक चिन्ता करनी चाहिये। मैंने स्वयं देखा है कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। गरीब लोग वकील तक नहीं रख पाते हैं और इसके अभाव में उनको सजा मिलती है। इसको हमें देखना है। हमारा प्राविधान है कि कत्ल के मुकदमें में सरकारी वकील देते हैं ऐसे ही गरीब लोगों के लिये प्राविधान होना चाहिये। जैसे सिविल सूट में पापर सूट फाइल किये जा सकते हैं। इसमें भी संशोधन करना चाहिये और ऐसे नियम बनने चाहिये कि जिनके पास थोड़ी जमीन है उनको भी पावर मान लिया जाय ताकि गरीबों को न्याय मिल सके।

आज जब हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं तो हमें गरीबों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना है। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार न्याय-पालिका को भी प्रभावित करती है। आज इतिहास बताता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों के जब मामले चले हैं तो इन्होंने रूलिंग्स नहीं देखी है जो बहु चर्चित रही हैं, उन्होंने शायद अखबार नहीं पढ़ा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है और सरकार के खिलाफ मुकदमों में फैसले हुए हैं। यह शायद विरोधी दल के लोग नहीं जानते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं कि जो आरोप सरकार के ऊपर लगाये जाते हैं वह गलत हैं। आरोप लगाने के पहले आप जानकारी कर लें। मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि इस तरह के आरोप न लगाये जायें तो अच्छा होगा।

मैं माननीय न्याय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि विधान पालिका, कार्य पालिका और न्याय पालिका में कुछ गड़बड़ी दिखायी पड़ती है। विधान पालिका, कार्य पालिका और न्यायपालिका के कार्य अलग अलग हैं। इनके कार्यों में कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है। यह चीज रोजमर्रा देखने में आ रही है। मैं न्याय मन्त्री जी से मांग करूंगा कि अगर इस देश में समाजवादी व्यवस्था को कायम करना और गरीबों को न्याय दिलाना है तो न्याय को सस्ता बनाना पड़ेगा।

कुछ वर्ष पहले हाई कोर्ट में रिट्स होती थी, उनकी कोर्ट फीस बढ़ा दी गयी है। मेरा अनुरोध है कि रिट्स की जो कोर्ट फीस है उसको बढ़ाना नहीं बल्कि उसमें कमी की जानी चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ लड़के रिट करना चाहते थे तो वह इसलिए नहीं कर पाये कि उनके पास पैसा नहीं था इसलिए वह हाईकोर्ट में नहीं जा सके। केवल पैसे का इंतजाम नहीं कर सके। मैंने देखा कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वह हाई-कोर्ट में नहीं जा सके। गरीब किसान या छात्र अपने मुकदमों को आगे नहीं ले जा सकते और वह सफर करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं न्याय मन्त्री जी से यह अपील करूंगा कि इन चीजों की ओर गौर करें और सरकार इस पर विचार करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय जो न्याय पालिका में भ्रष्टाचार है वह सही है। मैं उदाहरण दूंगा। मैंने लिखकर माननीय मन्त्री जी को दिया पता नहीं उन्होंने उस पर क्या किया। गोंडा जिले का एक केस है। मर्डर का मुलजिम हो तो सरकार उसको वकील देती है। थाना परसपुर का मुलजिम था। उसने कहा कि मेरे पास वकील नहीं है मुझको वकील दिया जाये। जज ने बिना वकील दिये हुए मुकदमा सुन लिया। मैंने लिख कर दिया कि इस तरह की चीज हो रही है। हमारे सामने तमाम जजों के खिलाफ कार्यवाही की है और यह भी हुआ कि कुछ लोगों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया।

मैं अपील करूंगा माननीय मन्त्री जी से कि जो वहां के जिला जज हैं उनके खिलाफ बहुत से लोगों के आरोप हैं और मैं निश्चित मत का हूं कि उनके खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार के तमाम मामले निकलेंगे, यदि उनके विरुद्ध जांच करायी जाये। विरोधी पक्ष के लोगों न यह आवाज उठायी कि प्रदेश के हिस्से होना चाहिये। मेरठ में एक बेन्च होना चाहिये। आज जो प्रदेश के विभाजन की बात की जा रही है, वह नहीं होनी चाहिये और जो ऐसा कहते हैं वह इसलिए कहते हैं कि विरोधी पक्ष के जो नेता हैं वह वहां जाकर मुख्य मन्त्री बनें हमारे विरोधी पक्ष के भाई लोग बटवारा की बात करते हैं। आज अब्दुल हमीद और आशा राम में बंटवारा की बात करना चाहते हैं। आज गंगोत्री से निकली हुई भूमि का बंटवारा करना चाहते हैं। वह दशद्रोही की बात कर रहे हैं। जो लोग आज बंटवारा की बात कर रहे हैं, मैं उसका विरोधी हूं। हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार इस मामले में सजग है। इस पर वक्ता को जवाब भी दिया गया। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो विरोधी पक्ष की तरफ से कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका विरोध करने तथा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उसमें आमूल परिवर्तन की कोई चर्चा नहीं की है। बहुत दिनों से जूडिशियरी और इग्जीक्युटिव के सेपरेशन की बात की गई है। जो भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमें हैं उन मुकदमों का फैसला मजिस्ट्रेट्स करते हैं और उन मुकदमों का फैसला ऐसे मजिस्ट्रेट्स करते हैं जो सीधे-सीधे जिलाधिकारी के अधीन रहते हैं और दबाव डालकर उसमें राजनैतिक लोगों को भी फंसाया जाता है। जिला जज बहुत से मुकदमों में जमानत ले लेते हैं, परन्तु जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वे जमानत नहीं लेते हैं, तस्दीक के लिये भेज देते हैं वे केवल परेशान करने के लिए जमानत नहीं लेते हैं। मान्यवर अगर इसमें आमूल परिवर्तन के लिए जूडिशियरी और इक्जीक्युटिव को अलग होना चाहिये। मुकदमों के फैसलों के लिए यह पृथकीकरण बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न्याय प्रशासन में आमूल परिवर्तन नहीं होगा।

जहां तक सी० आर० पी० सी० का संबंध है, केवल धारा ३०२ के ऐसे फौजदारी मुकदमों में ही अभियुक्त की पैरवी के लिए सरकार की तरफ से वकील का प्राविधान है। धारा ३०२ आई० पी० सी० में सरकारी वकील अभियुक्त को मिलते हैं। जाब्ता दीवानी के मुकदमों में केवल पापर मुकदमों का प्राविधान है। लेकिन इससे गरीब लोगों को कोई राहत नहीं मिलती है। मान्यवर, जो हरिजन भाई हों, गरीब हों उनके लिए यह प्राविधान होना चाहिये कि उनकी कोर्टफीस माफ हो तथा उनको सरकार की तरफ से वकील मिलना चाहिये। चाहे वह फौजदारी का मुकदमा हो या दीवानी का मुकदमा हो। मान्यवर, ऐसा हरिजन तथा गरीब भाइयों के लिये प्राविधान होना चाहिये जिससे कि वह न्याय पा सकें। मान्यवर, आज गरीब, हरिजन भाई लोग अपनी मजबूरी के कारण न्याय नहीं पाते हैं। उनके साथ वकील तथा कोर्ट फीस की रियायत होनी चाहिये।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय---]

आज यदि कोई ५०० रु० की लागत का मुकदमा दाखिल करने जाय तो उसको कम से कम वकील और तलबाने कोर्ट फीस के लिये १५० रु० चाहिये और लड़ते-लड़ते ५०० रु० से ज्यादा उसके खर्च हो जाते हैं और डिक्री होने तक और अधिक रुपया उसके खर्च हो जाते हैं। मान्यवर, मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों से अधिक कोर्टफीस लगती है। उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों से ३० प्रतिशत अधिक कोर्टफीस लग रही है। मान्यवर, जमीन के सम्बन्ध में जो मुकदमें दायर करने के लिये जायं उनको रियायत मिलनी चाहिए।

मान्यवर, आज कचेहरी में जाकर देखें, वकीलों के लिए बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। वकील लोग मुख्तारखाने में, पेड़ के नीचे तख्त लगाकर बैठते हैं। जाड़ा हो, या गर्मी हो, बरसात हो या लू चल रही हो लेकिन वकीलों को बैठने के लिये साधन नहीं है कचेहरियों में। मुअक्किलों के लिए कोई साधन कचेहरियों में बैठने का नहीं है। आज वकील व उनके मोअक्किल लोग जाड़ा, गर्मी, लू बरसात आदि बरदास्त करते हुए कचेहरियों में बैठ रहे हैं। आज कचेहरियों में बार एशोसियेशन के लिये जो इमारतें हैं उनके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि वकीलों तथा मुअक्किलों के लिये बैठने के लिए बजट में प्राविधान करना चाहिये था।

दीवानी की अदालत में जो मुंसिफ लोग होते हैं या जज होते हैं उनके आवास की दिक्कतें होती हैं। इनको जिलाधिकारी के पास जाकर अलाटमेंट का आवेदन-पत्र देना पड़ता है और वह इनकी अलाटमेंट का हुक्म करने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। तो जो भी गृह आवास बनाये जायं उनमें उनके लिये प्राविधान किया जाना चाहिये कि वह दीवानी के मैजिस्ट्रेट और मुंसिफों और जजों को ही दिये जायेंगे और आवंटन का कार्य जिला जज के हाथ में सुपुर्द किया जाना चाहिये।

संविद की जब सरकार थी तो उसने आनरेरी मैजिस्ट्रेट प्रणाली को समाप्त किया था। पता नहीं, क्यों कांग्रेसी सरकार फिर से अवैतनिक मैजिस्ट्रेट की प्रक्रिया आरम्भ करने जा रही है। नियम बदला है, लेकिन डेढ़ सौ से तीन सौ रुपया मासिक वाहन भत्ता का प्राविधान जो सरकार कर रही है तो वह अच्छी तरह से जान ले कि जो भी स्पेशल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये जायेंगे वह वाहन भत्ता देने पर मुकदमों का भाव लगायेंगे, न्याय बेचेंगे। तो इस नीति का मैं विरोध करता हूं। चाहे मैजिस्ट्रेटों के जो पद हैं उनमें वृद्धि करायी जाय और वेतन पाने वाले लोगों को नियुक्त कीजिये, लेकिन जो नौकरी से थक जाते हैं, उन थके-मांदे लोगों को डेढ़ सौ या तीन सौ रुपये के वाहन भत्ते का लालच देकर आप जनता को न्याय नहीं दे सकते हैं।

कचेहरियों से संबंधित एक मुंशी वर्ग होता है जो सारी जिन्दगी अदालत में खपा देता है। पहले वकीलों के लिए इंश्योरेन्स का प्राविधान किया गया था, अब मुंशियों के लिये भी कुछ प्राविधान किया जाना चाहिये, क्योंकि वह सारी जिन्दगी खपा देते हैं और मर जाते हैं। उनके लिए भी इंश्योरेंस का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। क्योंकि उनसे भी रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, वह कोर्ट फीस के रूप में, लाइसेन्स-फीस के रूप में जमा किया करते हैं। तो इस सम्बन्ध में कोई योजना बनायी जाय तभी इस वर्ग के लोगों को लाभ होगा।

जहांतक अदालतों में भ्रष्टाचार का प्रश्न है वह चरमसीमा पर है। हर व्यक्ति इससे अच्छी तरह अवगत है। न्याय बिक रहा है। जिस आदमी के पास पैसा, साधन, हैसियत हो वह किसी भी मुकदमें में किसी प्रकार का न्याय करा सकता है, यह आम चर्चा का विषय है। गोंडा के डिस्ट्रिक्ट जज के सम्बन्ध में अभी कहा गया। बार-असोसियेशन ने हड़ताल की प्रस्ताव पारित किया लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है गोंडा के डिस्ट्रिक्ट जज के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसका केस किसी आयोग को नहीं दिया गया,

न सी० आई० डी० से कोई जांच कराई गई। हाई कोर्ट के अधीन जितने भी मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ हैं यदि उनके विरुद्ध जब भ्रष्टाचार की शिकायतें आवें और प्राइमा-फैसाई सब्सटैंस पता लगे तो विशेष आयोग की जांच हेतु स्थापना की जानी चाहिए, वह चाहे जो निर्णय करे।

इन थोड़े शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अनुदान की धनराशि का विरोध करता हूं।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया—

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये और बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हम लोगों ने देश की आजादी के आन्दोलन में हिस्सा लिया था उस समय हम लोगों ने जनता से वादा किया था कि इस देश में न्याय सस्ता मिलेगा, लेकिन आज न्याय तराजू में तौलकर दिया जाता है। इसलिए मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं ताकि लोगों को न्याय सस्ता मिल सके।

मेरा सर्वप्रथम सुझाव यह है कि जो मुकदमे अदालतों में शुद्ध किये जायं उनको उस समय समाप्त किया जाय जबकि उनकी कार्यवाही पूरी हो जाय। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जुडिशियल आफिसर और एस० डी० एम० की अदालतें तहसील हेडक्वार्टर्स पर हों ताकि लोगों को जो जिला स्तर पर आने में कठिनाई होती है वह न हो और उनको न्याय सस्ता भी मिल सके। तीसरे, इस गरज से नहीं कि इस प्रदेश का बंटवारा हो, मैं इसका सख्त विरोधी हूं, लेकिन न्याय सस्ता होने के खातिर मैं यह सुझाव अवश्य देता हूं कि उच्च न्यायालय की बांचें इस प्रदेश में और भी स्थापित की जायं।

आगरा एक ऐसा स्थान था जहां पहले भी हाई कोर्ट की बेन्च थी। वह वहां से उठाकर इलाहाबाद भेजी गयी। आगरा से इलाहाबाद ३०० मील पड़ता है। अगर एक बेन्च आगरा में, एक मध्य में लखनऊ में और एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में रहे तो मैं समझता हूं लोगों को न्याय सस्ता मिल सकेगा और आने-जाने में जो हजारों रुपये का खर्च होता है उससे भी लोग बच सकेंगे।

चौथा मेरा सुझाव है कि जो न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट जाति के कोटा के आधार पर मुकर्रर किये जाते हैं वह न हो बल्कि योग्यता के आधार पर इनका चयन किया जाय ताकि वे उचित रूप से और न्यायपूर्वक फैसला कर सकें। पांचवां मेरा सुझाव है कि अंग्रेजी भाषा को न्यायालयों में से निकाल देना चाहिए। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसमें ब्रादर-इन-ला का मतलब साला भी है और बहनोई भी है। इस भाषा का तात्पर्य असल रूप में नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि फैसले हिन्दी में हों, हिन्दी में किताबें बनायी जायं हिन्दी में रूलिंग दी जाय ताकि छोटे से छोटा व्यक्ति भी उस को समझ सके। अन्यथा जो वकील मुवक्किल को बता देता है वही वह समझता है।

एक मेरा सुझाव यह भी है कि एक आयोग मुकर्रर किया जाय जो इस बात की जांच करे कि जो मुकदमे २०–२० साल से पड़े हुए हैं उनका फैसला क्यों नहीं होता। इसका मैं एक प्रमाण देता हूं। मेरा ही एक मुकदमा जो कई बार उच्च न्यायालय से लौटकर स्थानीय अदालतों में आता है और सन् ६० से ७४ हो गया, १४ वर्षों में भी उस मुकदमे की अपील का फैसला या उस मुकदमें का फैसला नहीं हुआ। उसका कारण था कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री के समधी उस मुकदमें में सम्मिलित थे। मैं माननीय न्याय मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वह मामले की जांच करें और अगर वास्तव में मेरी बात सत्य हो तो उस पर वह कार्यवाही करायें। इसके अलावा मेरा सुझाव एक यह भी है कि न्याय पंचायतों को शक्ति-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया]

शाली बनाया जाय। छोटे-छोटे मुकदमे उनके सुपुर्द किये जायं ताकि स्थानीय स्तर पर वह फैसले हो सकें और उन मुकदमों के लिए लोगों को कलेक्टरी और दीवानी में न जाना पड़े। इसके अलावा एक मुख्य सुझाव मेरा है कि जिस प्रकार से सिविल न्यायालय में वकीलों की फीस निश्चित है। उसी प्रकार से फौजदारी के मुकदमों की भी फीस मुकर्रर होना चाहिए क्योंकि इससे न्याय में देरी होती है और फौजदारी के मुकदमों के वकील हर तारीख पर फीस लेते हैं और उसके कारण वह मुकदमे को लम्बा खींचते हैं और उसमें मुवक्किल को परेशानी होती है और न्याय भी नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से सिविल अदालतों में फीसें मुकर्रर हैं उसी प्रकार से फौजदारी के मुकदमों में भी फीस मुकर्रर करें, सेशन ट्रायल पर अलग और छोटे-छोटे मुकदमों के लिए फीस अलग नियत करें।

मैं इस बात का विरोधी हूं कि प्रदेश का बंटवारा हो लेकिन इस बात को अवश्य चाहता हूं कि न्याय सस्ता मिले। मैंने उसी के लिये आपके सामने सुझाव दिये हैं और मैं चाहता हूं कि न्याय मन्त्री मेरे सुझावों पर विचार करें और इन पर अमल कराने की कोशिश करें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कट-मोशन का विरोध करने के लिये अनुदान की मांगों का समर्थन करने का अवसर दिया।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले कि इसके बारे में मैं कुछ कहूं इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर देने के लिए आपका कृतज्ञ हूं।

मान्यवर, दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद और इस सदन में काफी दिनों से सबके विचारों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सदन में कुछ लोग फैक्सनलिज्म के आधार पर बातें करते हैं वरना न्याय जैसे विषय पर जो केवल किसी पार्टी का सवाल नहीं है और न किसी व्यक्ति का सवाल है बल्कि देश, जिन्दगी और समाज का सवाल है, उस पर इस तरह की बहस न हुई होती। हम उस देश के रहने वाले हैं जो संसार का बहुत बड़ा प्रजातन्त्र है और ऋषियों का, गंगा, यमुना का देश है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा ही प्रदेश है जहां इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है। केवल प्रश्न यह नहीं है कि भ्रष्टाचार है किन्तु मूलभूत सवाल यह है कि भ्रष्टाचार को रोका कैसे जाय।

आज दुनिया के इस बहुत बड़े, जनतन्त्र में यहां की न्याय व्यवस्था यहां के जनतन्त्र की रक्षा करने में समर्थ हो सकती है या नहीं? अदालतों को हर सफल जनतन्त्र में गार्जियन ऐंजिल आफ दि पीपुल्स राइट्स होना चाहिए। अभी हमारे पूर्ववक्ता महोदय ने कहा था कि राजनीतिक आजादी के संघर्ष के आन्दोलनों में यह भावना हमने व्यक्त की थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ जहां दूसरी मांगें थीं वहां हमारे शहीदों ने यह सपना देखा था कि अंग्रेजों को इसलिए भी बाहर निकाला जाये क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता और उसी के लिये तमाम लोग शहीद भी हुए, तमाम संघर्ष हुए। मैं आज बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, इधर के लोग भी सरकार बना चुके हैं और उधर के लोग तो सरकार में बैठे ही हैं, प्रश्न आज यह नहीं है कि कौन कहां आसीन है, प्रश्न यह है कि क्या इंसाफ मिलने लगा? सत्ताइस साल की आजादी के बाद भी आज हम न्याय पर शक शुबहा जाहिर करते हैं या आज इस न्याय विभाग पर बहस करते हैं क्या यह सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि जनता को इंसाफ देने के प्रति हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं।

इंसाफ के बारे में तमाम चर्चा हुई है, भ्रष्टाचार के बारे में तमाम चर्चायें हुई हैं। मान्यवर, आपको मालूम है और हम लोग जो इस वकालत के पेशे से सम्बन्धित हैं वे जानते हैं इस देश और प्रदेश की जनता जानती है कि आज जिलों की अदालतों की बात छोड़ दीजिए, माननीय हाईकोर्ट के जजों के बारे में भी गली-कूचों में तरह-तरह की चर्चायें होती हैं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज देश और प्रदेश में स्काच ह्विस्की और जापानी

जार्जेट की साड़ियों में इंसाफ बिकने लगा है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी हम लोगों की बातों का जवाब अच्छी तरह से जरूर दे लेंगे, सवाल देश और प्रदेश में जनतन्त्र के कायम रखने का है, इंसाफ पर से शको-शुबहा को दूर करने का है, अन्यथा इंसाफ जिन्दा नहीं रह सकता।

एक किस्सा याद आ रहा है, एक राज्य समय में एक कानून था कि जब बादशाह मरता था तो सब जगह एक घंटी बजती थी। उस राज्य में एक गरीब आदमी की जमीन पर एक सबल ने कब्जा कर लिया। उसने मुकदमा दायर किया, हार गया, अपील की, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुयी, बादशाह के यहां गया, वहां भी सुनवाई नहीं हुयी, तो उसने बादशाह के यहां पहुंच कर उस घंटी को बजाना शुरू कर दिया जो बादशाह के मरने पर बजायी जाती थी। घंटी सुनकर जनता भाग कर इकट्ठा हो गयी। उसने पूछा क्या बात है, क्या राजा मर गया है? उस आदमी ने कहा कि यहां का राजा तो नहीं मरा है, पर इंसाफ मर गया है। जनतन्त्र की रक्षा के लिये यह एक चुनौती है। आप इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं कि नहीं?

हमारे कुछ दोस्तों ने हाईकोर्ट के बंटवारे की बात कही। कुछ माननीय सदस्यों ने जुडिशियल आफिसर्स और जिलों में स्पेशल मैजिस्ट्रेटों आदि की नियुक्ति की बात भी कही। जहां तक जिलों में स्पेशल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की बात है, हम इसका विरोध करते हैं। इनकी नियुक्तियां अंग्रेजी हुकूमत में ऐसे लोगों को खुश करने के लिये की जाती थीं जो मुखबिर होते थे, दलाली का काम करते थे, अंग्रेजों के दलाल थे। माननीय चौधरी साहब ने इनकी नियुक्ति प्रथा को समाप्त किया था। इस कांग्रेसी शासन ने फिर उसे चालू कर दिया है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जनता की परेशानी बढ़ेगी। यह आपके प्रशासन को और बदनाम करेंगे और जनता बगावत करेगी।

मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोलने का जहां तक सवाल है, मैं भी इसका विरोध करता हूं। जगह-जगह बेंच स्थापित करने से बे-इन्साफी बढ़ती है।

अब मैं मुकदमों की स्थिति पर आता हूं। ला-कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि सन् १९५४ में ५ प्रतिशत जनता मुकदमें लड़ती थी। आज उसका प्रतिशत २० हो गया है। कोर्ट फीस बढ़ाने की जो बात कही गयी तथा मुकदमों के देर से फैसला होने के लिये जो बातें कही गयीं वे सभी सही हैं। आप अगर गरीब जनता को इन्साफ की गारेन्टी नहीं दे सकते तो खाली कोर्ट-फीस बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आपकी यह व्यवस्था चल नहीं सकती अगर आप इन्साफ गरीबों को नहीं दे सकते। अगर आप जनता को न्याय देना चाहते हैं तो जजों की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को बिलकुल बन्द कीजिए।

अभी एक मेरे मित्र ने कहा कि जजों की वरीयता समाप्त करके इस मुल्क की जुडिशियरी की आजादी को खतरे में डाल दिया गया है। इसका मैं तो हामी नहीं हूं। हम आज भी कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी जुडिशियरी सामाजिक परिवर्तन का इंस्ट्रूमेंट बने तो आपको तमाम जजों की मनोवृत्ति को देखना होगा, उनके बैक ग्राउंड को देखना होगा, उनको शोशल चेंजेज का इन्स्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा।

अभी सरकार ने आदेश किया था कि डालडा का पुराना स्टाक पुरानी कीमत पर बिकेगा। लेकिन अभी-अभी माननीय जज महोदय ने इस आदेश को स्टे कर दिया और कहा कि डालडा नयी कीमत पर बेचा जायगा। अनेक चीजों के सवाल पर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर, प्रिवी पर्सेज के सवाल पर और अन्य सवालों पर कानून बनाये गये हैं। आज ऐसी काम्पलेक्स परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि आप कानून बनाने पर मजबूर हैं। लेकिन चाहे जितने कानून बनाये जायें, पर अगर इन कानूनों का परिपालन नहीं होगा, अगर इनको लागू करने की प्रक्रिया नहीं होगी तो आपका जनतन्त्र बेकार हो जायेगा।

[श्री देव कुमार यादव]

मैं महसूस करता हूं कि चाहे जितने कानून बनायें और चाहे जितनी अच्छी भावना को लेकर वह बनाये जायें, चाहे वह छुआछूत को दूर करने का कानून हो या हरिजनों को मुफ्त जमीन देने का कानून हो या बाल विवाह का कानून हो, परन्तु जब तक इनका परिपालन नहीं होता है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को लोहे के हाथों से कुचलिये और जजेज को सुविधायें दीजिए।

मान्यवर, 2 मिनट का समय और चाहता हूं।

मान्यवर, सारी सुविधा देने के बाद मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो प्राजीक्यूटिंग एजेंसीज हैं इनको भी आपको देखना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो यू० पी० के सरकारी वकील हैं वह मेरठ में 16 रुपये की फ़ीफ में साधारण फीस पर काम करते थे। उनका एप्वाइंटमेंट बिल्कुल पोलीटिकल हुआ था। इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय अच्छी नहीं है। इसलिए जजों को सुविधाएं देने के साथ-साथ तमाम न्याय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन जजों के साथ इंसाफ करिये, उनके साथ अच्छा सुलूक करिये। मैं एक किस्सा और बताता हूं सन् ६५ में केशव सिंह के मामले को लेकर यहां सदन में और हाई कोर्ट में झगड़ा शुरू हुआ था। सरकार ने निश्चय किया था कि जजों के लिये भी वकील देंगे। श्री एम० सी० सीतलवाड नाम के वकील को उनको दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी फीस अदा नहीं की जिससे इस प्रदेश की सरकार की बदनामी हुयी है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देव कुमार यादव—

तो मैं आग्रह करता हूं कि इस न्याय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिए और स्थान ग्रहण कीजिए।

*श्री प्रेम दत्त—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया है। हम सभी यह जानते हैं कि किसी प्रजातन्त्र को जिन्दा रखने के लिये आवश्यक है कि वहां की न्याय पालिका इतनी स्वतन्त्र और इतनी मजबूत हो कि उस देश का रहने वाला प्रजातन्त्र पर किसी प्रकार की आशंका न कर सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ हमारे देश की न्यायपालिका स्वतन्त्र है। इसके प्रमाण में बहुत से केसेज बताये जा सकते हैं जैसे डा० लोहिया, श्री डी० पी० मिश्रा का 6 वर्ष का निष्कासन तथा गोलक नाथ केस। ये सब बात के प्रमाण हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही है। इस तरह से अवांछनीय आरोप लगाकर न्यायाधीशों के प्रति अविश्वास का पैदा किया जाना उचित नहीं है। यह भी सही है कि न्याय दिया जाय बल्कि ऐसा लगे कि न्याय दिया गया है। यदि ऐसा नहीं होगा तो न्याय पर से लोगों का विश्वास हट जायेगा। इसलिए न्यायपालिका में ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की जनता में अविश्वास की भावना न पैदा हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि अपने यहां पर जो न्यायालय का सिस्टम है वह बहुत अच्छा नहीं है। हमारे यहां पर जो भी मुकदमे होते हैं चाहे वह माल विभाग के हों या फौजदारी के हों उनमें आखिर में हाई कोर्ट में जाने की व्यवस्था है। बोर्ड आफ रेवेन्यू में जो कांस्टीट्यूशन हुआ है और उसमें जो माल के मुकदमे जाते हैं मैं उसका विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि उन मुकदमों की कार्यवाही जो इवीडेन्स के आधार पर होती है उनके वे मुकदमे पहले डिप्टी कमिश्नर के यहां फिर एडीशनल कमिश्नर के यहां और फिर बोर्ड आफ रेवेन्यू के रिवीजन में जाते हैं। उसके बाद में तब रिट होती है। श्रीमन् वहां होता यह है कि डिप्टी कमिश्नर या एडीनशल कमिश्नर, मैं उनकी विद्वता पर आक्षेप नहीं करता हूं लेकिन चूंकि वे कानून या ला ग्रेजुएट नहीं होते हैं अतः प्रायः देखा जाता है कि उनके फैसले हाई कोर्ट में बहुत कुछ पलट जाते हैं।

तो अपने देश या प्रदेश में संविधान की व्यवस्था है हाई कोर्ट के अन्दर जजेज हैं, मुंसिफ हैं। तो क्यों न इस माल विभाग को जो अलग काम करता है उसको उसमें मर्ज कर दिया जाय। इससे फायदा यह होगा कि जो जजेज और मुंसिफ ला ग्रेजुएट होते हैं तो उनकी मुकदमों की फाइन्डिंग्स ज्यादा मजबूत होती है। उन पर कोई राजनीतिक प्रेसर नहीं पड़ता है। इसलिए उनके फैसले अच्छे होते हैं। इस प्रकार माल विभाग के अधिकारियों जैसे एस० डी० ओ० आदि के अधिकारों को खत्म करके मुंसिफ व जजेज को को दे देना चाहिए जो उसी तरह फैसले करेंगे जिस प्रकार कि दीवानी व फौजदारी के मुकदमों के होते हैं।

मैं मान्यवर कुछ सुझाव और देना चाहता हूं। मैं वकील भी हूं। मैं महसूस करता हूं कि 109 दफा जो जाब्ता फौजदारी की है उसको खत्म कर दिया जाय। इस दफे के अन्दर जितने चालान आते हैं मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उसमें 99 फीसदी गरीब लोग बन्द किए जाते हैं। श्रीमन्, गरीबी देश की अभिशाप नहीं होनी चाहिए। यदि अभिशाप है तो यह दफा चले वरना इसे खत्म कर देना चाहिए। जब पुलिस विभाग वाले कोई दूसरी दफा के अन्तर्गत केस नहीं बना पाते तो वे इसी दफा के अन्तर्गत मुकदमे को दर्ज करते हैं।

मैं नहीं चाहता कि गरीब आदमियों पर इस तरह से हमला हो और वे १०९ के मुलजिम बनें। यह धारा संविधान के विरुद्ध भी पड़ती है क्योंकि इससे किसी भी आदमी के फ्रीडम आफ मूवमेंट का हनन होता है। एक बात और इस सिलसिले में है कि मुलजिम को जो बेनीफिट आफ डाउट मिलता है मैं उसका विरोधी हूं। कारण यह है कि मुकदमा चलता है, सबूत होते हैं, मुलजिम का बयान होता है और शक का फायदा देकर मुलजिम छोड़ दिया जाता है। मान्यवर, इसका फायदा ज्यादातर कत्ल करने वाले मुलजिम को मिला करता है। फैसले में दो चीजे हों। शहादत काफी है तो मुलजिम को मृत्यु दंड दिया जाय और अगर शहादत कम है तो उसको छोड़ दिया जाय लेकिन जो बीच का माध्यम है बेनीफिट आफ डाउट इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये। जज का विवेक हो कि मुलजिम के खिलाफ शहादत काफी है तो उसे फासी या आजीवन कारावास हो और बेनीफिट आफ डाउट के नाम पर जो गड़बड़ी होती है वह समाप्त कर देनी चाहिये।

श्रीमन्, इसी तरह से और भी बातें हैं। जो मुकदमे होते हैं वह डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर हुआ करते हैं। न्याय सस्ता दिलाने के लिये आवश्यक है कि हमारे एस० डी० ओ० या एस० डी० एम० बजाय सदर में बैठकर मुकदमा करें तो वे तहसील में जायं और मुकदमे करें। प्रायः देखा गया है कि डेढ़ साल या दो साल मुकदमा चलता है। इसी तरह के बरासत के मुकदमे चलते हैं तो यह भी तहसीलदार को रिश्वत दिलाने का साधन है। बरासत का मुकदमा हुआ, तहसीलदार का फैसला हो गया। अब उसका रिवीजन जिसमें कोई सुनवाई नहीं क्योंकि पाइन्ट आफ ला उसमें होगा क्या और इस तरह से गलत आदमी कब्जा किये

[श्री प्रेम दत्त]

रहता है। जब २२९-बी का प्राविधान जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में है तो ३३/३९ की जो दफा है इसको समाप्त कर देना चाहिये। वरासत के नाम पर मुकदमे होते हैं और तहसील-दार पैसे खाते हैं और जब तक २२९-बी का मुकदमा नहीं होता तब तक गलत कब्जा चलता रहता है। इस लिये मेरा सुझाव है कि ३३/३९ को समाप्त कर दिया जाय और २२९-बी के अन्दर ही फैसला हो।

इसी प्रकार यह जो न्याय पंचायत के मुकदमें हुआ करते हैं इसमें भी बड़ी बेईमानी होती है। न्याय पंचायतों के मुकदमों में पंच लोगों को मिलाया और मुकदमा दाखिल हुआ और फैसला हो गया। मैं समझता हूं कि इन मुकदमों में भी वकीलों को जाने का मौका मिले जिससे कि गड़बड़ी न हो। अब मान्यवर, जहां तक लखनऊ बेंच का सवाल है तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सब लोग परेशान हैं कि इलाहाबाद में रहे या लखनऊ में रहे। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा जिला फतेहपुर है, क्योंकि वह न पूरब में है और न पच्छिम में है, वह बीच में है। उसके उत्तर में गंगा जी है और दक्षिण में जमुना जी हैं। यह बहुत सुन्दर जगह है, वहां कर दिया जाय।

*श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

मोहतरम स्पीकर साहब, मैं इस कटौती के प्रस्ताव की ताईद करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, न्याय के सिलसिले में ३ चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है कि न्याय करने वाला आजाद है कि नहीं। दूसरी चीज है कि उसके अन्दर करप्शन है कि नहीं। और जो बहुत जरूरी चीज है, वह यह है कि न्याय ज्यादा वक्त से मिलता है या कम वक्त से और कम खर्च पर मिलता है या ज्यादा खर्च पर मिलता है।

जहां तक करप्शन और आजादी की बात है, बहुत से मेम्बरान ने इस पर अपनी तकरीरें दीं। इसमें संदेह नहीं है कि न आजादी है मुकम्मिल तौर पर और न यह करप्शन से बरी है। तो ये दोनों बुराइयां जल्द से जल्द दूर होनी चाहिये। तभी हमको इंसाफ मिल सकेगा। दूसरे खर्च इस कदर है कि आम इंसान को इंसाफ नहीं मिल पाता और जब तक इंसाफ मिलने की नौबत आती है वह रहता ही नहीं। मैं अपने जिले की बात रखना चाहता हूं। मेरे जिले में अगर कोई मुकदमा दायर होगा, तो उसमें फैसले में ५—१० साल लगेंगे। इस का नतीजा यह है कि वहां जालसाजी और करप्शन ज्यादा हो रहे हैं। असल आदमी मौजूद नहीं। फर्जी आदमी खड़ा कर सुलानाम कर देते हैं। असल आदमी को जब पता चलता है तो या तो वह गरीब होता है या फिर चुस्त नहीं होता और थक जाता है।

अपने जिले की बात बताना चाहता हूं। रजिस्ट्री में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। असल आदमी का पता नहीं, बैनामा लिख लिया जाता है। तत्काल फसला होता नहीं। जब तक फैसला हो, वह जिन्दा नहीं रहता या परेशान हो जाता है। तो इन बातों की वजह से बड़ा करप्शन है। इंसाफ बहुत देरी से और बहुत खर्चे के साथ मिलता है। एक बात यह है कि जब देश में या प्रदेश में इंसाफ वक्त से नहीं मिलता तो इससे जरायम बढ़ते हैं। कत्ल में कत्ली या दूसरे लोगों को जब यह मालूम होता रहता है कि अदालत में फैसल देर से होते हैं तो वे अपनी बुद्धि से फैसला करने की कोशिश करते हैं और कानून हाथ में ले लेते हैं। कत्ल और फौजदारियां हो जाती हैं। जरायम होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि समाज के अन्दर अशांति बढ़ जाती है। इसलिये इंसाफ की तीनों चीजें जरूरी हैं। एक इस्टीट्यूशन है आजादी नहीं है। दूसरी है, करप्शन इसके अन्दर है। तीसरी इन्स्टीट्यूशन जो बड़ी भयंकर है, न्याय बड़ा मंहगा है और बड़ी देर में मिलता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है और न्याय नहीं मिलता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्साफ जल्दी और सस्ता न मिलने के कारण दूसरी बुराइयां समाज में फैलती हैं। जनाबेवाला, मैं अब कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट बनायेंगे। अवश्य स्पेशल मैजिस्ट्रेट के बारे में यह राय है कि ये मुनासिब नहीं है। १५० रुपये या ३०० रुपये इन स्पेशल मैजिस्ट्रेट की तनख्वाह होगी। सरकारी रीडर होगा सरकारी चपरासी होगा। अगर वह केवल इतनी कम तनख्वाह पाने वाले होंगे तो पता चलेगा कि मैजिस्ट्रेट से ज्यादा तनख्वाह पाने वाला चपरासी है और उससे ज्यादा तनख्वाह पाने वाला रीडर है। नतीजा यह होगा कि फिर वही करप्शन शुरू हो जायेगा। मान लें कागज पर कि वे रिश्वत नहीं लेंगे। लेकिन वे ऐसी कमजोरियों के शिकार हो जायेंगे कि मुमकिन है कि बुराई और बढ़ जाय।

अगर स्पेशल मैजिस्ट्रट की कोई स्कीम है तो कम से कम उसक साथ ही साथ यह होना चाहिये कि उसको मुनासिब तनख्वाह मिलनी चाहिये। डेढ़ दो सौ से काम चलने वाला नहीं है। वे पूरी तनख्वाह पर काम करने वाले होंगे तभी समाज के अन्दर किसी किस्म का करप्शन शुरू न हो सकेगा। पिछली बार इस किस्म के मैजिस्ट्रट ना-कामयाब रहे हैं उसमें यह शिकायत थी कि जिसकी वजह से ये आनरेरी मैजिस्ट्रेट सिस्टम खत्म हुआ। उसके खत्म होने के बाद नामिनल एलाउन्स देने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कामयाब नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सही इंसाफ नहीं हो पायेगा। इसके दूसरे पहलू पर भी सोचें। कम से कम इतना वेतन अथवा एलाउन्स होना चाहिये कि वह अपनी गुजर औकात कर सके और अपने को रीडर अथवा चपरासी से नीचे न समझें। तीन तरह के मुकदमे होते हैं रेवेन्यु, सिविल तथा क्रिमिनल। ये कम्पाऊंडेबिल हों और पंचायती तर्ज को इनमे एनकरेज किया जाय और जब ये तीनों किस्म के मामले अदालतों में जायंगी तो पहली बार तारीख की ही कोशिश यह होनी चाहिये अदालत की तरफ से कि उनको सालसी तरह से तय कराया जाय, बढ़ाया न जाय ताकि मुकदमों की संख्या में कमी हो, जल्दी फैसले हों और मुल्क में पंचायती और सालसी रवायात की ओर बढ़े।

हम इस बात को भी देखें कि कानून हम ज्यादा न बनायें क्योंकि ज्यादा कानून बनाना समाज के लिये मुफीद नहीं होता। बल्कि मुफीद यह होता है कि कम से कम कानून बने और ज्यादा से ज्यादा उनका पालन हो। होता यह है कि पालन कम होता है और कानून ज्यादा बनाये जाते हैं। लिहाजा यह देखा जाय कि कम से कम कानून बने और पूरी कामयाबी के साथ उन पर पालन किया जाय।

आखिर में इंतखाब के बारे में मैं अर्ज करूंगा। वाकया यह है कि इंतखाब आजाद होने चाहिये, सस्ते होने चाहिये। लेकिन आज इंतखाब न आजाद हैं और न सस्ते हैं। यदि कुछ भी लोगों की यह राय हो जाय कि इंतखाब आजाद नहीं है तो यह एक बुरा मर्ज है और यह मर्ज जन्म देता है ताकत वाली चीज को इस्तेमाल करने का। जहां इंतखाबी किस्म की सरकार बनती है वहां अवाम खासतौर से इस बात का इन्तजार करती है कि इंतखाब आयेगा तो बुरे व अच्छे की तमीज हो जायगी लेकिन जब वह देखती है कि इंतखाब आजाद नहीं है और ईविल प्रेक्टिसेज से इंतखाब जीता जाता है तो अवाम का भरोसा उस पर से उठ जाता है। फिर दूसरी चीज समाज में आती है जिनको दहशत पसन्दी कहा जाता है और वैसी ही जहनियमत समाज में पैदा होने लगती है।

आखिर में मैं इस कटौती के प्रस्ताव की ताईद करता हूं और मंत्री जी का जो प्रस्ताव है उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मैं आभारी हूं अधिष्ठाता महोदय कि आपने मुझे न्याय और निर्वाचन के अनुदानों की चर्चा के सम्बन्ध में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मैं न्याय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत

[श्री बाल कृष्ण सनवाल]

न्याय और निर्वाचन के अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और विरोधी दल के सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। मैं जब विधिवत् तौर पर जब कटौती के प्रस्ताव को देखता हूं तो यह आशा करता था कि शायद कुछ क्रान्तिकारी बात कटौती के प्रस्ताव पर कही जायगी और कुछ आमूलचूल न्याय के ढांचे में परिवर्तन की बात होगी लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला मामला सामने आया।

वही पुरानी रिट कि इलाहाबाद और लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंचेज हैं क्यों न मेरठ में हो। मेरठ की दूरी उनको इलाहाबाद से ज्यादा लगी और यह नहीं देखा कि पहाड़ के लोगों की क्या स्थिति होगी। टेहरी और पिथौरागढ़ से इलाहाबाद की दूरी उनको कम लगी और मेरठ से अधिक लगी जब कि मेरठ स इलाहाबाद आने जाने में उसके लिये साधन अधिक ह। यदि इलाहाबाद हाई-कोर्ट की कोई बेंच मेरठ ले जायी जाती है तो अन्ततोगत्वा वह एक अलग प्रदेश के रूप में उभरेगी जो कि आगे चलकर बहुत खतरनाक बात होगी। जो भूमि भारत की है, जिसको गंगा और यमुना सींचती है, जहां राम और कृष्ण का जन्म हुआ है उसमें प्रदेश के बंटवारे की बात करना भारत के बंटवारे की बात करना होगा। उससे भारत की एकता को खतरा पैदा करना होगा। अगर उत्तर प्रदेश एक है, बिहार और मध्य प्रदेश एक है तो भारतवर्ष एक रहेगा। यदि आप बंगाल में जायं तो लोग उन्हें बंगाली कहते हैं, गुजरात में गुजराती कहते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री कहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का आदमी अपने को हिन्दुस्तानी कहता है और वह तभी तक कहेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश एक है। इसलिये इसके पीछे जो भावना है वह बाद में आगे चलकर बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिये मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारी न्याय की जो प्रणाली है उसके तीन अंग हैं वे ऐसे हैं जो कि हमें विदेशी शासन से प्राप्त हुए हैं जिनको हम जिले की अदालत कह सकते हैं, हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट कह सकते हैं। उसमें जिस तरह से व्यवस्था हुई है उसमें जो प्रक्रिया है वह हमें विदेशी सत्ता की शासन प्रणाली की देन है। उसके बाद एक नई व्यवस्था जो भारतीय परम्परा के आधार पर बनी, जिसके आधार पर न्याय-पंचायतों का गठन हुआ उसको सबल बनाने के लिए हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी जोर दिया और साथ ही साथ जो दिक्कतें थीं उनको भी दूर करने का प्रयास किया। यह एक ऐसा काम है जो नई दिशा हमारी न्याय प्रणाली को देता है। मैं यह निवेदन करूंगा और मैं महसूस भी करता हूं कि हमारी जो न्याय प्रणाली है वह काफी खर्चीली है और उससे बचने के लिये अगर हम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र को नहीं बढ़ाते हैं चाहे वह दीवानी हों या माल की हों या फौजदारी के क्षेत्र की हों तो वह व्यवस्था और खर्चीली हो जायेगी।

मैं चाहता हूं कि फौजदारी के झगड़े उन्हीं न्याय पंचायतों में तय हो जायं तो बड़े-बड़े लोग जो कि बड़े-बड़े वकीलों की फीस बर्दाश्त कर सकते हैं वे ही हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लेकिन आम जनता नहीं जा सकती है, उनके लिये इन न्याय पंचायतों को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। उनको प्रवीण बनाकर ट्रेनिंग के द्वारा जनता को सस्ता और अच्छा न्याय मिल सकता है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इस दिशा में कदम उठायें और पंचायतों को अधिक अधिकार देकर उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में उचित कदम उठावें।

मान्यवर, यहां पर और भी अनेक कदम उठाने की चर्चा की गई है जिससे कि आम जनता को सस्ता न्याय सुलभ हो सके। मैं एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि जो

हमारी जुडीशियरी है उसका मान रहे इसके लिये आवश्यक है जिसकी चर्चा हमारे माननीय न्याय मंत्री ने अपने भाषण में की है, जजों को आवास की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये। अदालतें अमूमन शहरों में होती हैं और वहां पर निवास की बड़ी कमी होती है उसके कारण कभी-कभी यह देखा जाता है कि महीनों-महीनों तक कई जज होटलों में रहते हैं और खुशामद करते रहते हैं। भाई, हमें रहने के लिए स्थान दिला दीजिये, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दरवाजे पर जाकर लगा रहे हैं कि हमें आवास एलाट कर दें, यह उस कुर्सी की प्रतिष्ठा के खिलाफ है।

मुंसिफ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जिला जज सब जिलाधिकारी के स्तर के ही आदमी होते हैं और कहीं-कहीं पर तो जिला न्यायाधीश का दर्जा अधिक होता है और उनको जिलाधिकारी के दरवाजे पर जाकर द्वार खटखटाना पड़े कि निवास मिले, तो इससे न्यायपालिका की शक्ति कमजोर होती है। वह कमजोर होता है तो प्रजातंत्र का जो पिलर है वह कमजोर होता है और उसके प्रति जनता की प्रतिष्ठा कम होती है। इसलिये हर कीमत पर, हर स्थान पर उनके लिये निवास स्थान उपलब्ध अवश्य कराए जाएं। केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोयरिटी देने की बात होती है या यह कहा जाता है कि नये निवासों में उनके लिए लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये जाया करेंगे अथवा जो जज लोग खाली करेंगे, वे न्याय शाखा के लोगों को ही मिलेंगे, तो केवल इससे काम करने वाला नहीं है। यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, कुछ स्थानीय समस्यायें भी हैं। जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हैं, वहां पर एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का भी काम करते हैं। यह 10 दिन अल्मोड़ा में रहते हैं, 10 दिन पिथौरागढ़ तथा अन्य स्थानों पर इसी तरह से कुछ दिन रहते हैं, इससे जनता के काम में बाधा पड़ती है। इसलिये जहां पर कमी है वहां-वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होनी चाहिये।

नैनीताल का भी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं वहां पर 4 महीने से मुंसिफ महोदय की नियुक्ति नहीं हुई है। उनके स्थानान्तरण के बाद नये मुंसिफ की वहां नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे वहां सारे का सारा काम पड़ा है। एक बात यहां देखने में आई है, कहा यह जाता है कि न्याय सस्ता हो और हर क्षेत्र में न्यायालय खोले जाएं। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि न्यायालय जहां पर भी हों, वे एक स्थान पर हों, तो सुविधा होगी। मुंसिफ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक स्थान पर बैठते हों तो उनके यहां अपील वहां पर पास में ही की जा सकती है। लकिन आजकल कुछ ऐसा ढंग चला है कि अदालत एक जगह और दूसरी अदालत दूसरी जगह होती है। यदि ऐसी ही बात है तो मोबाईल कोर्ट स क्यों नहीं कर दी जाएं। एक तरफ तो कहते हैं कि धन का अभाव है, इसलिये आवास नहीं बन सकते हैं, इसके विपरीत हेड क्वार्टर से हटा-हटा कर सब डिवीजन्स में अदालतें बनाई जाती हैं, जिससे जगह की और भी अधिक कमी पड़ जाती है, खर्च बढ़ जाता है और वहां अदालत का वातावरण नहीं रहता है, जिससे अदालत की गरिमा नहीं रहती है। इसलिये म निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं होनी चाहिए। इस बारे म लोगों को परेशानी और असमंजस में नहीं बनाये रखना चाहिये। यह समस्या नैनीताल जिले में खासकर है। सरकार अपनी नीति इसमें स्पष्ट करे, ताकि लोगों में अव्यवस्था और असमंजस न बना रहे।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और वहीं उस कटौती के प्रस्ताव का, जिसमें कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है, जिसमें लब्बोलबाब एक ही बात का है कि हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ म की जाए जो बहुत न्यायोचित नहीं मालूम पड़ती है, यह बनाना है तो जो उससे भी दूर स्थान उत्तराखंड है, वहां बनाया जाए, विरोध करता हूं।

*श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं, सरकार के तीन अंगों में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, न्यायपालिका सर्वोच्च और पवित्र संस्था है । आज देखा जाय कानून के नाम पर समाज में सब जगह घनघोर अत्याचार और भ्रष्टाचार और अन्याय फैला हुआ है। न्यायपालिका में जनता को विश्वास है । जनता चाहती है कि जो हमारे साथ जुर्म, अत्याचार हो रहे हैं, न्यायालय में जायेंगे तो न्याय मिलेगा । लेकिन मान्यवर, छोटी-छोटी अदालत से लेकर, अदालत पंचायत में तहसील की कोर्टों में, जिले के कोर्टों में कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है । गरीब पिछड़े वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग जिस प्रकार पहले त्रस्त थे आज भी त्रस्त हैं ।

दूसरी तरफ आप देखें, हमारा जिला इतना दूर-दूर तक फैला हुआ है, मिर्जापुर राबर्ट्सगंज, दुद्धी, ढाई सौ मील की दूरी है । लोग कहते हैं कि सस्ता न्याय मिलना चाहिये । ढाई सौ मील चल कर जिले के कचहरियों में लोग आते हैं । कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सस्ता न्याय मिलेगा । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दुद्धी और राबर्ट्सगंज क्षेत्र में जहां पर हरिजनों और आदिवासियों का बाहुल्य है, वहां पर न्याय की व्यवस्था नहीं है, राबर्ट्सगंज में कोर्ट है, दुद्धी में पंद्रह दिन के बाद एस०डी०एम० जाता है । वहां यह बराबर मांग की जा रही है कि सस्ता न्याय दिया जाय, राबर्ट्सगंज तथा दुद्धी को मिला कर एक जिला बनायें और जब तक यह जिला न बन पाये मुंसिफ कोर्ट राबर्ट्सगंज दुद्धी में रखी जाय, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाय । साथ ही साथ कारागार भी हो ताकि अगर मुंसिफ कोर्ट से सजा हो तो कारागार में रखा जा सके ।

हरिजनों के मामले में आये दिन चर्चा होती है । सरकार यह भी घोषणा करती है कि हम हरिजनों के हिमायती हैं और हम हरिजनों को न्याय दे रहे हैं । सरकार पर दबाव पड़ा है और अब हरिजनों के मुकदमे थाने में लिखे जाते हैं । लेकिन हरिजनों के मुकदमों में अत्याचारी लोग जबरदस्ती गवाहों को पकड़ कर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एफीडेविट दिलवा देते हैं । जिन के गवाहों को बदमाश लोग दबा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, गवाहों को धमका रहे हैं ऐसे मामलों को रोका जाय ताकि उनको न्याय मिल सके । गांव रोरवा, थाना कोन का मामला है । वहां पर बुट्टू को भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने मारा । बैजनाथ को पाखाने के रास्ते मिर्चा और पेट्रोल भर कर मारा गया उसकी डाक्टरी हुई और एस०पी० पकड़ कर ले गये । जब गिरफ्तारी हुई, उसमें गवाहों को कोर्ट में ला कर उनको तोड़ कर ऐफीडेविट दिलवा दिया गया । इस पर रोक लगना चाहिये । हमें संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वह खतरे में है ।

कहा जाता है कि कमजोर लोगों को सस्ता न्याय देंगे, कहां न्याय है । न्याय के नाम पर घनघोर अत्याचार हो रहा है । मैं मिर्जापुर राबर्ट्सगंज से विधायक हूं । वहां के गुंडों ने मेरे घर को घेर लिया और ११ तारीख को मेरे हाथ में मवेशियों को ला कर डाल दिया । मेरा कत्ल करने का बराबर प्रयास किया जा रहा है । २७ जून को मैंने एस०पी० और जिला मैजिस्ट्रेट को लिख कर दिया था । वहां से आ कर मैंने स्पीकर महोदय और माननीय मुख्य मंत्री को भी दिया । कहा जाता है कि शैडो दिया जायगा । उससे कुछ नहीं हो सकता । संविधान में दिया हुआ है कि लाइफ और प्रापर्टी की रक्षा का अधिकार दिया हुआ है । इस प्रकार पिछड़े वर्ग के आदमी को और जो दबाया जा रहा है उनको कैसे न्याय मिल सकेगा । इस तरह से आप देखें कि जो आपकी न्याय की व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है । जो लोग न्याय पाने के लिये कोर्ट्स में जाते हैं उनको लूटा जाता है । उनको न्याय नहीं मिल पाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात यह है कि १५ अक्टूबर, १९७२ को एक आदमी जिसका नाम जाटा है, कोन थाने में ट्रैक्टर से दबा कर मार दिया गया और उसकी लाश भी जला दी । उसकी सी०आई०डी० की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई । इसी तरह के मैं और मामले रखना चाहता हूं । एक मामला गोलीकांड का लखीमपुर में १५/१६-१०-७२ को हुआ । उसमें न्यायिक जांच के आदेश हुए । उसकी रिपोर्ट सरकार के पास १ जनवरी, १९७४ को आ गई । लेकिन वह आज तक प्रकाशित नहीं हुई । इस तरह से न्याय नहीं हो रहा है बल्कि जुल्मी और कातिल लोग मंत्रियों और विधायकों के यहां त्राण पाते हैं । यह गलत बात है । जो अत्याचार करता है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिये । आज जो प्रदेश में दुर्व्यवस्था फैली हुई है वह दूर होनी चाहिये । न्यायपालिका निष्पक्ष संस्था है और उसको स्वच्छ बनाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिये । जो जुल्म का केस आता है उसमें जुल्म को करने वाले को सजा मिलनी चाहिये ।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इन शब्दों के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दू कोड बिल में डाउरी सिस्टम खत्म कर दिया गया है । लेकिन इसमें सख्ती नहीं की जाती है और अनेक प्रकार के अपराध होते हैं । उसी तरह से छुआछूत का मामला है । छुआछूत भी दूर नहीं हो पाई है । जिलों में एक भी ऐसा केस दर्ज नहीं हुआ । हरिजनों के साथ जो जुल्म होते हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है । कानून बने तो उसका ठीक तरह से पालन भी होना चाहिये । न्यायपालिका सुप्रीम बाडी है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू ।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । आज सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया कि न्यायपालिकाओं में जहां भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये उसको समाप्त नहीं किया है । जहां पहले न्यायालय में बीस आने पैसे लगते थे वहां अब ढाई रुपये लगने लगे हैं दूसरी बात यह है कि यहां पर न्याय केवल पैसों के बल पर ही मिल रहा है जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिये नहीं मिल पा रहा है ।

श्रीमन्, कचहरियों की हालत विचित्र है । मुद्दत से मुकदमें पड़े हुए हैं । लोग दौड़-दौड़ कर तारीख पर अपने घर से पैसा खर्च करके आते हैं और जब वे कचहरी में पहुंचते हैं तो पेशकार साहब ढाई रुपया लेकर तारीख छोड़ देते हैं और गरीब लोग बेचारे मन मार कर घर वापस लौट जाते हैं । इस तरह से एक-एक मुकदमें में कई-कई पेशियां होती हैं । इनसे वकील लोग और पेशकार लोग पैसा ऐंठते हैं । गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है और गरीब दौड़ता फिरता है और उसको न्याय तब तक नहीं मिलता है जब तक कि वह अपना सारा सामान न बेंच ले । अगर दूसरी पार्टी उसको अधिक पैसा देती है तो उसके पक्ष में निर्णय दे दिया जाता है और कम पैसा देने वाले को न्याय नहीं मिल पाता है ।

मेरा सुझाव है कि संविधान की कुछ धाराओं का परिवर्तन किया जाये । उत्तर प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को प्रदेश की जनता को गरीब लोगों को न्याय देने के लिए जो आई०पी०सी० की धारायें हैं १०९, ११० और १२५ । तो इनकी तहत में किसी भी सभ्य आदमी को पुलिस पकड़ कर ले जाये और उसको हवालात में बन्द कर दे और उसकी पिटाई करे । ये ऐसी धारायें हैं । मैं समझता हूं कि इन धाराओं को हटा देना चाहिये जिससे प्रदेश का गरीब किसान, हरिजन पुलिस के चंगुल में न आ सके । ऐसी धाराओं को रहने की आवश्यकता नहीं है ।

[श्री हरि केवल प्रसाद]

इसी तरीके से दो एक चीजें आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं । आज प्रदेश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर रजिस्ट्री आफिस न हो । हर न्यायालय में जहां पर माल के मुकदमे देखे जाते हैं वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी बिडम्बना होती है।

मैं देवरिया जिले के दो एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं । हमारे इलाके में बगही के सज्जन हैं और नूमखार की एक बुढ़िया है । वह स्वर्ग में या नर्क में चली गयी है । पता नहीं हमारे मंत्री जी के शासन काल में उस बुढ़िया को जो स्वर्ग में बैठी ह या नर्क में बैठी है, उसके मरने की तारीख के बाद उसकी सारी जायदाद का बैनामा करा लिया गया । श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि रुद्रपुर में एक कृतपुरा गांव है । वहां पांचू बयान देता है सी०ओ० के सामने और उस बयान को ए०सी०ओ० लिखता है । उसके बाप को ४० वर्ष मरे हुए हो गये हैं उनका निशानी अंगूठा बना लेता है । यह है आपका प्रशासन और यह है न्याय मंत्री का शासन । अगर यह बात गलत हो जाये तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । मैंने नकल ली है मैं आपके पास भेज दूंगा ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हरिजन हैं गरीब लोग हैं उनके घर हैं लेकिन वे कागजात में किसी न किसी गांव के बड़े आदमी के नाम से लिखे हुए हैं । और जब वे न्याय की मांग करते हैं तो उन्हें न्याय नहीं मिलता है । एक दो नहीं हमारे देवरिया जिले में हजारों-हजारों मुकदमें ऐसे हैं जिनमें तारीखें पड़ रही हैं । उनके मकान आज चकों में पड़ते चले जा रहे हैं ।

श्रीमन् आज जहां यह हालत है वहीं हालत परगनाधीशों की बड़ी विचित्र है । मैं महराजगंज, जिला गोरखपुर के परगनाधीश के बारे में बात करना चाहता हूं । मान्यवर, जब उनके यहां पर मुकदमा दाखिल खारिज का जाता है और उनके न्यायालय में पहले से ही ५०० मुकदमें पड़े हुए हैं, तो वह किस प्रकार से फैसला कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

न्यायालय में आप समझ लें कि एक रेवेन्यू, राजस्व वाला है । आप जितनी बातें कह रहे हैं वह सब राजस्व से संबंधित हैं ।

श्री हरि केवल--

मान्यवर, हमको न्याय कैसे मिले । श्रीमन् परगनाधिकारी के न्यायालय में ५०० मुकदमें पड़े हुए हैं, वह रहता है मंत्री के घर में इसलिये उसको कोई चिन्ता नहीं है । वह तो कहता है कि मैं तो मंत्री के घर में रहता हूं, हमारे ऊपर कोई क्या कर सकता है । श्रीमन् जहां पर ऐसी बात है वहां पर हमको यह दूसरी चिन्ता हुई ।

हमारे मा० मंत्री जी यह कह रहे थे कि हमको विशेष मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करना है । तो हमको यह शंका हुई गोरखपुर, देवरिया, बस्ती जिले में सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई हैं वह तो किसी न किसी रूप में मंत्री जी के रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग ही हैं या कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं । कहीं इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से या अपनी रिश्तेदारी या परिवार के लोगों को उसमें भी मंत्री जी न रख लें और वे लोग मंत्री जी की रहनुमाई में उनके निर्देशों के साथ चल कर प्रदेश की जनता के जो गरीब लोग हैं जिनको न्याय से वंचित करने का एक काम मंत्री जी करने जा रहे हैं । मुझको शंका है कि मंत्री जी जो नियुक्ति करने जा रहे हैं उस नियुक्ति के लोगों को न्याय मिलने में बाधा पड़ेगी जिस तरह से वकीलों की नियुक्ति अपने परिवार के लोगों को किया है । इसमें कोई दो राय नहीं है श्रीमन् ।

श्रीमन् निर्वाचन का मामला बड़ा विचित्र है । निर्वाचन में जिस तरह से धांधली की जाती है उसकी भी एक अजीब किस्म की कहानी है । जहां अन्याय और निर्वाचन दोनों एक एक तरफ से चल रहे हैं इससे तमाम लोगों को न्याय कैसे मिल सकेगा । मैं अन्त में आपसे यही चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को प्रदेश में न्याय मिल सके ।

*श्री बांके लाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । न्याय के बारे में हमारे बहुत से वकील लोग जो विधायक की शक्ल में यहां पर आये हैं, बैठे हैं, बहुत बढ़िया सुझाव यहां पर दिया है । लेकिन मैं समझता हूं कि जलेबी की दूकान की रखवाली जब कुतिया को सौंप दिया गया है तो परिणाम क्या निकलेगा ।

सवाल यह है कि न्याय मंत्री जब कि हमारे बहुत से मा० सदस्य अपना सुझाव पेश कर रहे थे, न्याय मंत्री का पता नहीं था । न्याय मंत्री को मुस्तकिल ढंग से बैठकर मा० सदस्यों के सुझाव को विधिवत सुनना चाहिये उच्छृंखलता छोड़कर । जब भी किसी भी मंत्री का विवाद आता है तो संभवतः वह मंत्री छोड़कर चम्पत हो जाते हैं और सुनते हैं तो इतनी लापरवाही से सुनते हैं और गम्भीरता से सुझाव को नहीं लेते हैं । इसलिये मैंने कहा कि जब जलेबी की दूकान को कुतिया को सौंप दिया गया तो परिणाम क्या निकलेगा ।

मान्यवर, न्याय विभाग को जब कार्यपालिका अपने प्रकार से प्रवाहित करेगी तो शायद किसी भी देश की जनता को अच्छी तरह से न्याय नहीं मिल सकेगा । मिल ही नहीं पायेगा। शुरू की बातों की आप याद करें जब वजीरे आजम हिन्दुस्तान ने जिस समय सारी मर्यादाओं को तोड़ करके तीन कमिश्नरी जजों को छोड़ करके चौथे जूनियर जज को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बना दिया । इसका मतलब क्या है ? न्याय-पालिका स्वतंत्र नहीं रह पायी । और जब न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पायेगी तो न्याय ठीक से देश की जनता को नहीं मिल पायेगा । तो शुरू-शुरू में वजीरे आजम हिन्दुस्तान ने उच्च न्यायालय पर हमला किया और अपने प्रभाव को इस्तेमाल करके जो काम किया वह आपको भी मालूम है।

श्री अध्यक्ष---

उच्च न्यायालय को छोड़ दीजिये ।

श्री बांकेलाल---

क्योंकि आप भी साथ छोड़ कर चले गये उनके समर्थन में । खैर, कोई बात नहीं, उसका जिक्र क्या करूं । लेकिन प्रथम हमला वजीरे आजम हिन्दुस्तान ने किया । अब रही बात यहां की । बहुत से हमारे वकील दोस्त खड़े होकर कहें कि बैलट से नहीं, बुलेट से हूकूमत बदली जायगी-कुछ लोग कहते हैं । तो कभी-कभी इंसाफ के लिए भी हथियार और तलवार उठानी पड़ती है । जनता जब परेशान हो जायगी, इंसाफ नहीं मिलेगा और वोट से भी सही हूकूमत नहीं बन पायेगी तो उसको अस्त्र उठाना पड़ेगा और कई बार, कई मुल्कों में ऐसा हुआ है । अच्छे-अच्छे मुल्कों में राजमुकुट जनता के चरणों पर लुढ़क गये हैं, गिरे हैं, इसलिये कहूंगा कि हम लोगों के सुझाव को बहुत अच्छी तरह से लें ।

गरीब लोगों के ऊपर मुकदमा जब राजस्व विभाग का दाखिल होता है तो यह परगना हाकिम क्या देखा करते थे । राजस्व विभाग के एक मैजिस्ट्रेट कसया में मुकदमें देखा करते थे । माननीय मंत्री जी के सामने वह समस्या आयी थी, इन्हें याद भी होगा कि एक मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कितने ही गरीब लोगों को बिना खेत के कर दिया । न समन गया और न उसे सूचना मिली, कोई बात नहीं । देवरिया जिले में कसया की अदालत की बात कह रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बांके लाल--

हूं जहां माननीय न्याय मंत्री का घर है, जहां उनका दरबार लगता है । हजारों लोग बिना खेत के हो गये । बिना सूचना के गैर-हाजरी में खारिज हो गये और अदालत में दस्तखत हो गये फर्जी दस्तखत बन गये । वकील ने दस्तखत बना दिये । वकीलों की जमाअत यहां बहुत जीतकर आयी है सदस्यों की शक्ल में । इन्होंने ऐसा जाल-फरेब किया कि हजारों-हजारों लोग बिना खेत के हो गये । यह न्याय है कसया की अदालत का जहां के मंत्री जी हैं ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम है । माननीय मंत्री जी का जो जिला है वह हमारा भी है । तहसील ऐसे मुकाम पर बनी है जो सुन्दर मुकाम नहीं है, जहां से हिन्दुस्तान शुरू होता है वहां से तहसील शुरू होती है । माननीय मंत्री जी ने कभी विचार नहीं किया कि खड्डा में नारायणी के पास से लोग कसया में आते हैं और हाटा में आते हैं, तहसील कितनी दूर पड़ती है कोई साधन नहीं है । ट्रेन से आते हैं तो मुकदमें का आधा समय हो जाता है । इसलिये ठीक से न्याय नहीं पाते हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि तहसील के मुकाम को उठाकर या तो रामकोला कर दें या कप्टेनगंज में कर दें ताकि खड्डा को सुविधा हो ।

कहा गया कि प्रदेश को बांटने जा रहे हैं अगर हाईकोर्ट की मांग करते हैं । अगर किसी ने यह आवाज उठा दी कि मेरठ में हाई कोर्ट होना चाहिये तो क्या बुरी बात है । बहुत से लोग कहते हैं कि कुर्सी के लालच में यह बात हो गयी । वह दिन याद रखें जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कुर्सी के लालच में हिन्दुस्तान के तीन टुकड़े कर दिये, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और बीच में हिन्दुस्तान जिसका भय आप लोगों को हमेशा बना रहता है । तो कुर्सी के लालच में नहीं बल्कि सही और सस्ता न्याय पाने के लिए अगर यह मांग की जा रही है कि मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच खोल दी जाय तो हर्ज क्या है जैसे मैं आज कह रहा हूं कि हाटा की आबादी ६-७ लाख की है, उसको दो हिस्सों में बांट देना चाहिये तो क्या हर्ज है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुंसिफी कसया में होनी चाहिये ।

दूसरी एक समस्या की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कैसे न्याय मिले । अभी हाल ही में गोरखपुर जिले में महाराजगंज थाने में एक बहुत ही बढ़िया दरोगा था । वहां एक लेखपाल ने अपनी भौजाई का गला चाकू से काट दिया । दरोगा ने उसको 302 में गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया । जब वह जमानत पर छूट कर आया तो जो गवाह थे उनके घर फूंक दिये, दो घर जल गये, दो भैंसें जल गयीं और एक बच्चा जलते-जलते बचा । उस दरोगा ने उस लेखपाल को पकड़ा और पकड़ कर उसके मुंह में कालिख पोत कर दस गांवों में घुमाया । मेरे ख्याल से उस दरोगा ने बहुत बढ़िया काम किया । लेकिन उस दरोगा का ट्रांसफर यहां से माननीय मंत्री जी ने कर दिया ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप पुलिस बजट पर बोल रहे हैं ।

श्री बांके लाल--

वह विभाग भी वही देखते हैं । उस दरोगा को तो इनाम मिलना चाहिये था लेकिन उसका ट्रांसफर मंत्री जी ने कर दिया । जो ईमानदार अधिकारी है उसको सभी बेईमान मिल कर रहने नहीं देते हैं । इसी तरह से जो ईमानदार एम०एल०ए० है उसको भी लोग जीने नहीं देते हैं, दिन रात तंग किया करते हैं । आज न्याय मांगने के लिये भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है और गरीब लोगों को तो कतई न्याय नहीं मिलता इस हुकूमत में ।

जब हुकूमत के लोग ही अपने प्रभाव के मजिस्ट्रेट, जज और सारे अधिकारियों को प्रभावित करते रहेंगे तो फिर इंसाफ मिलेगा कैसे । ये अपने को तो डुबायेंगे ही साथ में देश को भी ले डूबेंगे ऐसी हालत है इनकी ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर घोरतम समर्थन करता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने न्याय पर हमारे मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए कुछ समय दिया है कि मैं कुछ कह सकूं । यह सब से अच्छी बात है कि हम न्यायपालिका के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं । मानवता के विकास के साथ-साथ यदि हम उसके इतिहास को देखें तो न्यायपालिका की आवश्यकता बढ़ती गयी । जब जंगल कानून था तो जंगल का कानून माना जाता था लेकिन ज्यों ही सभ्यता ने मानव की जिन्दगी में प्रवेश किया तो न्यापपालिका की आवश्यकता पड़ी और धीरे धीरे उसका विकास होता गया । केवल राज्य के कानून ही नहीं समाज में भी लोग एक सामाजिक कानून बनाते हैं और जहां भी मानवमात्र होगा वहां उसको अच्छी तरह संचालित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम कुछ कानून बनायें जिससे हमारा बौद्धिक, मानसिक और आर्थिक विकास हो सके ।

कई तरह के तंत्र आज इस दुनिया में हैं, कहीं राजतंत्र है, कहीं तानाशाही है, कहीं जनतंत्र है और जहां जनतंत्र है वहां आवश्यक होगा कि न्यायपालिका इतनी सुदृढ़ हो और शक्तिशाली हो कि जिस पर उस देश के जन जन का भरोसा हो और ऐसा भरोसा हो कि अगर उसके साथ कोई अन्याय करेगा तो उसको न्याय मिल सकेगा । इसीलिये कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में और छोटी-छोटी बैठकों में भी यह प्रयास किया कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हों और यह प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका कार्यपालिका से आज अलग हो चुकी है । यह बड़े प्रशंसा की बात है और उत्तर प्रदेश सरकार को मैं उसके लिये बधाई देता हूं । उसमें जो कमी रह गयी उसको भी दूर करने का प्रयास किया जायगा, ऐसी मेरी आशा है और विश्वास है ।

श्रीमन्, हमारा यह भी प्रयास है कि जैसा हमारा स्लोगन है, हम गरीबी को हटाना चाहते हैं और समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं और यह प्रयास और यह कार्य तो तभी संभव है जब हमारे समाज के नीचे स्तर के लोग हैं उन्हें हम न्याय दे सकें । हमारी पुलिस सेल अलग से स्थापित हुई है । जिससे हम हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं उससे उनको कुछ राहत मिलेगी लेकिन उसी के साथ आवश्यक है कि न्यायपालिका में जो वकील रखने पड़ते हैं और उनपर जो व्यय होता है सरकार उनका खर्चा भी वहन करती तो बड़ा भारी कल्याण होता ।

मुंसिफ मैजिस्ट्रेट कायम किये गये हैं उनके पहले वह सारा काम एस०डी०एम० जो सब डिवीजन पर होते थे किया करते थे । उसके साथ एक बात चलती थी कि जो कार्यपालिका के लोग थे जहां उन पर न्याय देने का मत था वहां उनके कार्य संचालन में आवश्यकता होती थी इसीलिये उसको अलग किया गया है लेकिन उसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक व्याप्त है । अब जब अलग किया गया है तो निश्चित नहीं कहा जा सकता कि जो नयी व्यवस्था है वह भ्रष्टाचार से अलग है । वहां भी भ्रष्टाचार प्रवेश कर गया है । तो मैं न्याय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसा प्रयास करें कि वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह दूर हो सके ।

आजकल जितनी भी कचहरियां है, कोर्ट्स हैं जिला स्तर पर कोई भी कचहरी नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार न हो । वहां पर पेशकार बैठते हैं और मैजिस्ट्रेट्स के सामने मुवक्किल पैसा देते हैं, मैजिस्ट्रेट उसे देखता है, पता नहीं उसमें उसका भी हिस्सा

[श्री देव बहादुर सिंह]
होता है या उनको इजाजत है। ऐसा कार्य क्यों होता है यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए सरकार के प्रति और न्याय के प्रति असन्तोष बढ़ता है।

(एक आवाज---यही बात तो हम भी कह रहे हैं)

इसमें घबड़ाने की बात नहीं है जो वास्तविक है वही मैं निवेदन कर रहा हूं। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इस भ्रष्ट तरीके से जो न्याय दिया जा रहा है वह समाप्त हो। क्योंकि जिसमें रिश्वत का उपयोग किया जाय वह न्याय है ही नहीं। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि न्यायपालिका से भ्रष्टाचार सदा-सदा के लिए दूर हो जाय।

अब मैं थोड़ा अपना जिक्र कर लूं। नैनीताल एक बहुत लम्बा चौड़ा जिला है। बहुत दिनों से वहां के लिए आदेश है कि वहां पर जो न्यायपालिका है उसका कुछ अंश रुद्रपुर में लाया जाय। जैसे मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है, एस०डी०एम० का कोर्ट है वह वहां जावें लेकिन आज पांच साल से वह आदेश सरकार की फाइलों में पड़ा हुआ है। मैं न्याय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे बाहर निकालें और ऐसा प्रयास करें कि जो न्याय पाने में लोगों के बहुत पैसे लगते हैं वह बच सके और लोगों के नजदीकी स्थान जो हैं वहां वह उसे प्राप्त कर सकें।

जहां तक हाई कोर्ट की बात है, इलाहाबाद एक तीर्थ-स्थान है और यह अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश के लोग वहां जावें अदालत के ही नाम पर सही। तो उसमें दो बातें होती हैं एक तो त्रिवेणी का स्नान और उसके साथ-साथ अपना मुकदमा भी देख सकते हैं और यह सब करके तब घर को वापस आते हैं। मेरठ में भी कोई तीर्थ-स्थान

(व्यवधान)

बना लीजिए जब बन जायगा देखा जायगा। इलाहाबाद का एक अपना विशेष स्थान है। जिस प्रकार से लखनऊ का अपना स्थान है और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसी प्रकार से इलाहाबाद भी अपना स्थान रखता है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका का भी अपना कुछ दायित्व और कर्त्तव्य होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार न्यायपालिकायें अपना फैसला दें। अमेरिका के अन्दर वहां की जो न्याय पालिका है, सुप्रीम कोर्ट, वह समय के अनुसार अपना फैसला को बदलता है, कभी वहां उसके लिए संविधान में संशोधन नहीं हुआ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

यह कौन तय करेगा कि वह समाज के अनुकूल है या विपरीत है ?

श्री देव बहादुर सिंह---

मैं उसे आप पर ही छोड़ता हूं। मेरा कहना यह है कि समाज के अनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप फैसला होना चाहिए। आज जो हमारा समाजवाद की स्थापना का उद्देश्य है, गरीब और अमीर की खाई को पाटने का प्रयास है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में अगर कहीं कोई कानूनी अड़चन आती है तो न्याय पालिका को उसे दूर करना चाहिए।

जहां तक जजों की नियुक्ति आदि का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि उनकी नियुक्ति, पदोन्नति तथा किसी भी प्रकार की उन पर आक्षेप लगाने आदि की चर्चा यहां पर नहीं होना चाहिए। यदि जजों ही की हम यहां पर आलोचना करने लगेंगे तो वे उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पायेंगे जिस कार्य को हमने उनके ऊपर सौंपा है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री लक्ष्मण सिंह—

कांग्रेस पक्ष और इस पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने अपनी जो भी बातें रखी हैं उनसे एक बात तो स्पष्ट है जिसे सभी ने स्वीकार किया है कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसका उन्मूलन किस प्रकार हो यह माननीय न्याय मन्त्री के सोचने की बात है। यह उनसे वास्ता रखता है।

एक बात माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने स्पेशल मैजिस्ट्रेटों की बाबत कही है, मैं भी उसी को कहना चाहता हूं। तजुर्बा यह बताता है कि जो आदमी रिटायरमेंट के करीब आता है तो वह सरकार की गुड-बुक में होने के लिए सदा सरकार की हां में हां मिलाता है। फिर इनको आप ३०० रुपया माहवार देंगे, और पेशकार २५० रु० तो वेतन पायेगा, २५० रु० और ऊपर से पैदा कर लेगा, इस प्रकार जब वह मजिस्ट्रेट से ज्यादा पायेगा तो दोनों के बीच क्या स्थिति होगी इस पर भी आप विचार करने की कृपा करें। इससे समाजवाद तो आ जायगा, मगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

मेरठ में जहां तक बेंच खोलने की बात है, मुझे खुशी है उसका करीब-करीब सभी ने समर्थन किया, वह बात दूसरी है कि किसी ने आगरा के लिए सुझाव दिया, किसी ने देहरादून के लिए सुझाव दिया। मगर बेंच की बात को सभी मानते हैं। बेंच खोलने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

लखनऊ में भी तो एक बेंच है। जब यहां एक बेंच हो सकती है तो दूसरी और क्यों नहीं हो सकती। सरकार भी इसके लिए राजी थी, पर उसके ऊपर इलाहाबाद के कुछ सम्पन्न वकीलों का ऐसा दबाव पड़ा कि सरकार उसे कर नहीं पायी है। बांकेलाल जी ने अभी अपने यहां एक तहसील और खोलने की बात कही हमारे देश में जितने ही सूबे बढ़ा दिए गए, प्रदेशों में कमिश्नरी भी बढ़ा दी गयीं, जिले भी बढ़ा दिए गए, तो इस कार्य को देशद्रोही कार्य नहीं कहा गया, बेंच अगर एक और खुल जायगी तो वह देशद्रोही कार्य हो जायगा, वह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

आज की जो न्याय पद्धति है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय न्याय मन्त्री जी सब जगह का दौरा करें और वहां की वर्किंग को देखें। उसमें आवश्यक सुधार करें।

जजों के तबादले होते हैं, मेरठ से देवरिया, देवरिया से सहारनपुर आदि। इसमें बड़ा खर्च होता है। अगर सूबे के बटवारे की बात को मान लिया जाय, हाई कोर्ट की एक बेंच वहां भी खोलने की बात को मान लिया जाय, तो इस खर्च में कमी हो सकती है। यह जो पुस्तक सरकार ने छापी है, उत्तर प्रदेश १९७३, इसमें लिखा है कि पछला ५७ का गदर पश्चिम के लोगों ने ही शुरू किया था...

(व्यवधान)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मंगल पांडेय कहां के थे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

वह कहीं के भी हों, मगर शुरुआत उन्होंने मेरठ से ही की थी। भले ही वे देवरिया या गोरखपुर के रहने वाले हों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय भी लोगों की यह मांग थी कि यू०पी० का बटवारा होना चाहिए। अंग्रेजों ने जो सूबे बनाये थे,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

आगरा को पहले अलग सूबा रखा गया था। उस समय भी यह मांग थी कि यू० पी० को दो हिस्सों में बांटा जाय। आज अगर आप इस मांग को स्वीकार नहीं करते, हाई कोर्ट की बेंच को वहां स्थापित नहीं करते, तो जनता इसे बरदाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के बंटवारे की मांग को देशद्रोही मांग बताना सरासर गलत है। इस तरह की बातें करने से जो नफरत फैल चुकी हैं, वह और फैलेगी।

मान्यवर, मेरा तो यही कहना था कि एक दूसरी बेंच बने। अगर इसमें डिले होगा तो पश्चिमी जनता दूसरे सूबे की मांग करेगी। आपको मालूम है कि पहाड़ी इलाका भी मांग कर चुका है। लेकिन यह अलग बात है कि वह लाठी, बल्लम, भाला लेकर आपके सामने नहीं आये। और इस में तो महसूस करता हूं कि बेंच बननी चाहिए जिससे उनको न्याय सस्ता होगा। उनको सुविधा अधिक होगी। इसमें कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल आम जनता की सुविधा का है। इससे लोगों को दूर-दूर जो भागना पड़ता है वह नहीं पड़ेगा और उनको सुविधा होगी। अभी मेरे एक साथी ने कहा कि इलाहाबाद में बेंच होने से त्रिवेणी के स्थान की सुविधा होती है और इलाहाबाद में कहा जाता है भ्रष्टाचार नहीं है और नगर प्रशासन बहुत अच्छा है। और अगर मेरठ में बनेगी तो वहां भ्रष्टाचार होगा।

तो मेरा कहना है कि मेरठ में बेंच की तत्काल आवश्यकता है। अगर आप इन्साफ नहीं करते हैं और इस मांग को २–४–६ साल तक दबाये रखते हैं तो दबाये रखने से ठीक नहीं होगा। इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं लीडर्स पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं कि उनके लड़के हाईकोर्ट के जज और गवर्नमेंट के एडोवोकेट बने हुए हैं और न मैं यह कहता हूं कि उनको नौकरी न मिले। मैं यह भी नहीं कहता हूं कि लखनऊ की बेंच को हटाया जाय। लखनऊ की बेंच ठीक है, वह चलती रहे और न्याय अगर लखनऊ बेंच का गिरा हुआ है तो मेरठ की गिरी हुई बेंच से हम काम चला लेंगे और अगर लखनऊ बेंच का न्याय ठीक है तो वहां न्याय का भी स्टैंडर्ड ठीक होगा।

अभी एक साथी ने कहा कि भुट्टो साहब चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो और वह प्राइम मिनिस्टर बने। वह बंगला देश और पाकिस्तान का बंटवारा चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे यह इल्जाम मैं महसूस करता हूं कि ठीक नहीं है। इसी तरह का इल्जाम जो यहां लगाया गया वह मेरे ऊपर नहीं लगाया गया, पर मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब यह नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश के दो हिस्से हों और वह मुख्य मन्त्री बने। वह तो पहले भी मुख्य मन्त्री बन चुके हैं। और अगर आप उनको यह मौका देना चाहते हैं कि वह प्राइम मिनिस्टर बनें तो यह बात अलग है।

मान्यवर, बेंच खोलने से उनके खर्च में कमी होगी। उनको इन्साफ सुलभ होगा। और जो इतने अपराध हैं और जिन पर कन्ट्रोल आसानी से नहीं हो पाता है, उन पर कन्ट्रोल करने में सुविधा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन दोबारा करता हूं और माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि इन सब प्वाइंट्स का जवाब देकर वह मुझे और सदन को और जनता को सन्तुष्ट करेंगे।

*श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि न्याय पालिका और कार्य पालिका दोनों विषय अब अलग-अलग हो गए हैं। यह जो १ अप्रैल, १९७४ का जो सिविल प्रोसीडर एमडमेंड ऐक्ट है उससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो यह बिल्कुल ही अलग हो गयी है। यहां के एस० डी० एम० के पास १०७–११४ और ११७ को छोड़कर उनके पास कोई पावर नहीं रह गयी है। जो केस उनके पास १ अप्रैल, १९७४ के पहले के हैं जो उनको ट्रांसफर किए गए हैं या जो और पड़े हैं वह अब उन्हीं का निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नहीं। इसके लिए मुझे कहना इसलिए पड़ा है कि हमारे पास मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की कमी थी। और १९८ नियुक्तियां की जानी हैं। १०० का इंटरव्यू हो रहा है और बाकी १०० के बारे में कार्यवाही हो रही है। और अगर उनमें से अच्छे लड़के आ जायेंगे तो उनमें से भर्ती कर लेंगे। इस प्रकार जो हमारे पास कमी है उसकी पूर्ति के लिए देर होती है तो पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है। उसमें सरकार से कोई तालुक नहीं है।

मान्यवर, डिसेंट्रेलाइजेशन आफ पावर की बात कही गई है। मैं सारे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अपीलेंट और रिवीजनल के कुछ अधिकार हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिये हैं। कुछ पावर जैसे वैल्यूशन के रूप में या अन्य रूप में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को देने पर विचार किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने मेरठ के बेंच बनाने के बारे में कहा है। एक सदस्य ने मेरठ को नहीं आगरा को बेंच बनाने के लिए कहा, किसी ने बरेली की मांग की। इस प्रकार मान्यवर इसका अन्त नहीं होगा। यदि एक जगह बेंच बनाई गई तो इस प्रकार दूसरी जगहों का भी सिलसिला चल जायेगा। परन्तु ला कमीशन ने जब-जब मांग हुई है उसका विरोध किया है।

श्री राम सेवक यादव––

मान्यवर, यदि तीसरी बेंच बनी तो जैसा उन्होंने कहा कि बेंच बनने की प्रक्रिया का सिलसिला जारी हो जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो काम है उसका बंटवारा किस प्रकार है। लखनऊ और इलाहाबाद में इसका औचित्य क्या है? जो पश्चिमी इलाका लखनऊ के नजदीक है उनको इलाहाबाद क्यों दौड़ाया जाता है?

श्री राजमंगल पांडेय––

मान्यवर, एडवोकेट जनरल इस बारे में आये थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह से कांस्टीट्यूशन में प्राविधान किया गया है। अवध के जिले किस तरह से लखनऊ से अटैच किये गये। इसका कई दफे फैसला भी हो चुका है। इसको यदि आप जो बजटरी में प्राविधान है उसको देखें तो महसूस करेंगे कि चीफ जस्टिस ने किस प्रकार वर्क का विभाजन किया है। अभी जो ११–१२ जिले लखनऊ से अटैच हैं उन्हीं के केसेस पेंडिंग पड़े हैं।

श्री राम सेवक यादव––

प्रश्न लोगों को सस्ता न्याय दिलाने का है तथा मुकदमें में जो लोग फंसे हैं उनको सुविधा दिलाने का है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जो लखनऊ के नजदीक हैं उनको यहां सुविधा है कि वहां? तो इसमें सरकार को क्या सुविधा पड़ती है?

श्री राजमंगल पांडेय––

मान्यवर, केवल सस्ता न्याय दिलाने का प्रश्न नहीं है। न्याय सस्ता और इस तरह का हो कि जो न्याय पा रहा हो तो उसे भी मालूम हो और जो न्याय दे रहा हो उसे भी मालूम हो। ला-कमीशन ने कहा है कि प्रदेश में एक ही कोर्ट होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में एक बेंच इस समय है परन्तु पहले एक बेंच और थी। यह बेंच

[श्री राज मंगल पाण्डे]

जोधपुर में बनी। परन्तु ला कमीशन ने उसको समाप्त करने की सिफारिश की जो इसलिए वह समाप्त कर दी गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी दूसरी बेंचों को बनाने की बात को नहीं माना गया। यहां पर तो पहले से ही दो हाईकोर्ट चल रहे हैं। अब और नहीं हो सकते हैं। यदि न्याय उन लोगों के हाथों में चला गया तो पता नहीं कि वे सस्ता न्याय दिलाने में मदद कर सकेंगे कि नहीं। इसको मान्यवर देखने की बात है।

मान्यवर, यहां पर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की बात कही गयी। रिटायर्ड आफिसर्स जिनका जुडिशियल एक्सपीरियेंस ७ वर्ष का है केवल उनको ही रख रहे हैं। यह आशंका व्यक्त की गयी कि सरकार का कुछ मतलब है उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट रखने में तो सरकार का छत्र ऐसा है जो बहुत सी सर्विसेज पर है। अगर इसको मान कर चलें तो हाई कोर्ट की नियुक्तियों पर भी प्रदेशीय शासन का कुछ न कुछ है। उसकी राय है। यह कहना कि हाई कोर्ट के जजेज जो न्याय देते हैं वह भी उत्तर प्रदेश की सरकार के होने पर मिलता है अनुचित है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

इन्दिरा गांधी पर चल रहा है और आज तक फैसला नहीं हुआ।

श्री राममंगल पांडेय---

राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त करने में और बैंकों के राष्ट्रीयकरण में क्या नहीं करना पड़ा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में १३-१४ करोड़ रुपया मुआवजे में देना पड़ा और प्रीवी पर्स के मामले में सन् ७१ में चुनाव कराना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और उसका अपना गौरव और प्रतिष्ठा है। लेकिन सन् ७१ में पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना पड़ा क्योंकि जनता का जो कोर्ट है वह सबसे ऊपर है। इसके बावजूद भी यह कहना कि हमारा न्यायपालिका में विश्वास नहीं है और हम उनके काम में इंटरफीयरेन्स करते हैं, मुनासिब नहीं है। मान्यवर, सूबे के बंटवारे की बात कही गयी तो इससे उसका ताल्लुक नहीं है।

एक बात और। गरीबों के बारे में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कही गयीं। मान्यवर, अगर कोई गरीब है और मुद्दई के रूप में सूट लाना चाहता है तो सिविल प्रोसीजर कोड में है कि उसके लिए किसी फीस की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन्स कोर्ट में जायगा तो वहां भी आलरेडी लीगल एड है। गवर्नमेंट आफ इंडिया एक कमेटी भी बना रही है। हम भी बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के गरीबों को न्याय दिलाने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाय और उसके ऊपर जो खर्च हो रहा है उसका भार उठाने के लिए क्या स्रोत ढूढें। मान्यवर, मैंने अपने भाषण में पहले ही बतलाया था कि बिल्डिंग्स के लिए १० करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यह पैसा कहां से आये। यह कहना कि कोर्ट फीस न हो, स्टाम्प फीस न हो तो अगर ऐसा होगा तो इस वित्तीय बोझ को कोई भी सरकार उठा नहीं सकेगी। विजीलेंस सेल के बारे में कहा गया। मान्यवर, हाई कोर्ट के तहत में एक विजीलेंस सेल है जोकि चीफ जस्टिस के डिस्पोजल पर है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय मन्त्री जी ने चूंकि विजिलेंस सेल की बात कही तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हाई कोर्ट में तो सेल है। मुंफस्सिल कोर्ट्स की जो हालत है उसको भी देखें। बांसी की बात मैं आपसे कहता हूं वहां कोई भी ऐसा फैसला नहीं जो न बेचा गया हो...

श्री रामसेवक यादव—

'सैल' नहीं 'सेल' है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बस्ती जिले का देख लें। बांसी का देख लें। जिस जुडिशियरी पर अभिमान रहता था उसके नमूने देख लें ।

श्री राजमंगल पांडेय—

जस्टिस बस्ती में बिक रहा तो इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं अपनी जातीय जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। यह कह देना काफी नहीं कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी मुंसिफ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में अपने दस्तखत से भेज दें। यह नहीं कि किसी की एप्लीकेशन कोई फारवर्ड कर दे क्योंकि आजकल एप्लीकेशन्स आती हैं और जब जांच होती है तो कहा जाता है कि उसकी एप्लीकेशन ही नहीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, क्षमा करेंगे इन्टरप्शान के लिए। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन दरख्वास्तों को मैं फारवर्ड करता हूं उनकी सी०आई०डी० से जांच करवा लें और अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे सजा दें ।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मन्त्री जी को जानकारी होगी एक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, जो अब हटा दिया गया है, उसने डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ, यहां तक कि अपने आपके ऐडमिनिस्ट्रेटिव हाई कोर्ट जज के खिलाफ, आपके चीफ जस्टिस के खिलाफ, रिट भी की है और गवनमेंट को लिख कर भी दिया है कि करप्शन होता है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह जीता-जागता नमूना है ।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, यह वह जुडीशियल मजिस्ट्रेट हैं, जिनके कार्य के बारे में सारी बैंड इन्ट्रीज भरी पड़ी हैं। मान्यवर, मैं फाइल भेज दूं आपक पास और आप उसको देख लें। यह ऐसा जुडीशियल मजिस्ट्रेट है कि इसने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं छोड़ा। इसके कंडक्ट के बारे में इसकी सारी चरित्र पंजिका भरी हुई है इन्ट्रीज से। सिवाय डिफायन्स को छोड़कर, इसने कोई काम नहीं किया दूसरा। हमारे माननीय सदस्य उसकी पैरवी कर रहे हैं इस माननीय सदन में। यह तो जुडीशियरी के स्तर को नीचे गिरायेगा और जो अच्छे और कर्मठ एवं ईमानदार अधिकारी हैं उनको कहने को मिल जायगा कि ऐसे जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का सम्मान मिला हाउस में। तो यह बात उचित नहीं होगी ।

श्री राम सेवक यादव—

आप उसको सजा दें, जेल भिजवायें, विजीलेंस बिठायें। लेकिन अगर उसकी किसी के खिलाफ शिकायत है, सेशन जज के खिलाफ रिट थी, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराते ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जांच तो नहीं लेकिन मैं चौधरी साहब की ही पार्टी के या आपके पास फाइल भेज दूं, फैसला कर लें। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं कहता हूं जो मातहत अधिकारी अपने ऊंचे अधिकारी के खिलाफ ही आर्गूमेन्ट पेश करे, रोजाना ऐसी-वैसी बातें रखें, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ऐडमिनिस्ट्रेटिव हाई कोर्ट के जज के खिलाफ लिखे, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ऐसी गन्दी भाषा का प्रयोग करे, ऐसे अधिकारी की पैरवी करना, मान्यवर, शर्म की बात होनी चाहिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मन्त्री जी ने अभी कहा कि माधव बाबू अपने हाथ से लिखकर भेज दें तो जांच कराऊंगा। मैं कहता हूं अगर मैं अप्लीकैन्ट न बनकर अगर मेरे पास कोई लिखकर भेजता है और मैं उसको फारवर्ड कर देता हूं तो आप उसकी क्यों नहीं जांच कराते ? और अगर उसकी बात गलत निकले तो मुझको सजा दें। अगर मन्त्री जी वास्तव में मेरी कुछ इज्जत करते हैं तो जांच क्यों नहीं कराते और सदन में मेरी गलती तब साबित करें ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, कोई चीज माधव बाबू लिखें और कोई चीज दूसरा व्यक्ति लिखे तो दोनों चीजें फर्क हैं। मैं कहता हूं कि अगर वह कोई चीज लिखकर देते हैं कि बस्ती में इस किस्म की बात है, तो यकीनन, इस सदन में कहता हूं मैं वह कार्यवाही करूंगा कि जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर...

श्री अध्यक्ष—

अब इस तरह इन्टरप्शन में नहीं जाना चाहिए।

श्री राज मंगल पांडेय—

आज, मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट और सिविल जज का डिसमिसल हुआ है। कुछ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स के खिलाफ कार्यवाही होने जा रही है। मैं केवल माधव बाबू की बात नहीं करता, मैं हरेक माननीय सदस्य के लिए कहता हूं कि वह अपनी बात की प्रमाणिकता के बारे में लिखकर दें तो मैं अवश्य जांच कराऊंगा। लेकिन अब रोजमर्रा के जीवन में साधारण इधर-उधर की दरख्वास्तें दी जायं, और बाद में दरख्वास्त देने वाला कह दे कि मैंने दरख्वास्त नहीं दी, तो इससे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा, उन दरख्वास्तों के बारे में जांच कराने में कि जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। हां, अगर कोई माननीय सदस्य अपनी जानकारी के मुताबिक लिखता है, तो जांच अवश्य होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अब इस तरह, हरेक आदमी तो नहीं लिखा सकता।

श्री राज मंगल पांडेय---

यह कहा गया कि न्याय पंचायतों के पावर्स को हमने ले लिया है। मेरी समझ में हमने उनके किसी पावर को कम नहीं किया। रेन्ट कन्ट्रोल के जितने केसेज हैं, वे जिला जज के यहां होते हैं। उसमें कुछ नहीं कहना। अन्त में मैं जुडीशियरी के बारे में कहूंगा कि इसके कार्य के बारे में हमको घमंड है, गर्व है, ऐसा कहने में हमें कोई संकोच नहीं हमारी जुडीशियरी की सेवायें निहायत ऊंची हैं। १ प्रतिशत या २ प्रतिशत कहीं कर-प्शन मुमकिन हो, वह दूसरी बात है। लेकिन लोकतन्त्र को बचाने में सबसे बड़ा सहयोग यदि किसी का रहा है तो वह जुडीशियरी का रहा है। एक नहीं बीसों फैसले करके इसने यह बात दिखला दी है। कार्यपालिका का उस पर कोई दबाव नहीं। इन शब्दों के साथ में अपने बजट के प्रस्ताव को रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४ न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,१६,१०,७०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५---निर्वाचन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५---निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१९,१५,९०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आज नियम ५१ के अन्तर्गत ८ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उनमें से नियमानुसार सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, दशरथ सिंह, राम पति, मंगरे सिंह, विजय पाल सिंह तथा राजेंद्र चौधरी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। यह सूचना लखनऊ में समाचार पत्रों के वितरित न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है। यह इस प्रकार है---

"आज लखनऊ में समाचार पत्रों के वितरकों ने हड़ताल कर दी है। समाचार पत्रों का वितरण नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप नगर की जनता नये समाचार जानने से

[श्री अध्यक्ष]

वंचित रह गयी। अखबार मालिकों ने अखबार की कीमत बढ़ा दी, परन्तु उसके अनुपात में वितरकों को कमीशन न देने से उनमें असन्तोष एवं उत्तेजना है। सरकार का ध्यान इस समस्या के निवारण के लिए आकृष्ट किया गया था परन्तु उपेक्षा करने के कारण मामला गहन हो गया और आज वितरण बन्द है।" यह मामला महत्व का है और अविलम्बनीय भी है। इसलिए इसे आज केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

शेष जो ७ सूचनायें और हैं उनको अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि नियम ५१ के अन्तर्गत नियमानुसार एक ही सूचना एक दिन में स्वीकार की जा सकती है जो कि पहले स्वीकार कर ली गयी है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

बरेली में बिजली की परेशानी है। इस सम्बन्ध में वहां की जनता में बड़ी बेचैनी व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष--

नियमानुसार में एक पहले ही स्वीकार कर सकता हूं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

आगरा में मेडिकल कालेज की परीक्षा के सम्बन्ध में मैंने दिया था...

श्री अध्यक्ष--

एक दिन में एक ही स्वीकार किया जा सकता है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

एक सूचना में मुख्य मन्त्री के नाम से चकबन्दी निरस्त होती है और दूसरी के अनुसार माल मन्त्री के आदेश के अनुसार ज्यों की त्यों रहती है। यह आपस में विरोधीभास है। बड़े महत्व का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

उसे कल फिर लिख कर दीजिए।

श्री मोहम्मद शकील अहमद--

आगरा में मेडिकल कालेज के छात्रों की परीक्षा के सम्बन्ध में भी वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले ही बता दिया कि एक दिन में एक सूचना ही नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार की जा सकती है।

एक सदस्य--

सरकार के पास कार्यवाही के लिए तो भेज दीजिए...

श्री अध्यक्ष--

आज जो सदन के समक्ष सबसे महत्व का होगा उसी को हम स्वीकार कर सकते हैं। एक दिन में एक ही विषय स्वीकार करना हमारे अधिकार में है। आप कल भी लिख सकते हैं, परसों भी लिख सकते हैं...

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मैंने आपको एक पत्र लिखा था उसके सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। केवल दो मिनट का मौका दें। सदन में जो पर्चा बंटा था...

श्री अध्यक्ष--

पत्र का उत्तर आपको मिल जायगा, उसको देखियेगा।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ (क्रमागत)†

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारे माननीय तिवारी जी जानते हैं कि आज किसानों की क्या-क्या कठिनाइयां हैं उनको किन-किन मुसीबतों का सामना आज करना पड़ रहा है। प्रदेश में गन्ना और चीनी उद्योग की हालत किस हालत में पहुंच गई है। जब वे इसकी चर्चा कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जो सरकार १७ साल से आज तक सोयी हुई थी वह आज जग गयी उठ खड़ी हुई है और किसानों के दुख-दर्द के लिए जागरूक है। लेकिन जब तिवारी जी ने कल यह काला विधेयक सदन में पेश किया तो मुझे लगा कि उन्होंने किसानों के गले पर छुरी चलाने का प्रयास किया है। वही कहावत इनके लिए ठीक उतरती है कि "मुंह में राम और बगल में छूरी"। मैं आदरणीय तिवारी जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--

उधर बहुत शोर हो रहा है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

उन्हें बताना चाहता हूं कि जब १५ नवम्बर, १९६१ को इस सदन में विधेयक को सदन उठाया गया था तो उस समय माननीय तिवारी जी सत्ता पक्ष की ओर न बैठकर विरोध पक्ष में बैठते थे और इस विधेयक का उन्होंने जोरदार शब्दों में विरोध किया था और विरोध में अपना मत दिया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज वे उसी विधेयक के द्वारा किसानों के गले पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गये हैं।

मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार महाभारत काल में युधिष्ठर भगवान् कौरवों के दरबार में बैठे हैं और उसी के अन्तर्गत कांग्रेस रूपी दुश्शासन जनता रूपी द्रोपदी की चीरहरण कर रहा है। भरी सभा में कुल की नारी की बेइज्जती कर रहे हैं और द्रोपदी की लाज लूटी जा रही है और युधिष्ठर महराज खामोश बैठे हैं, उनकी जबान पर ताला लगा है, वे बोल नहीं सकते, किन्तु इस काले कानून के खिलाफ माननीय तिवारी जी की अन्तरात्मा में भी यही भावना है जो कि उनकी १६ नवम्बर, सन् १९६१ में इधर बैठने पर थी।

मैं अब चाहूंगा कि वे अपनी अन्तरात्मा की आवाज को खोलकर विचार करें और देखें और प्रधान मंत्री का आदर्श अपनायें जिसमें कि उन्होंने अपनी प्रियदर्शी माननीया इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रपति के चुनाव में अन्तरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के विरोध में वोट दिया था। चूंकि हमारे तिवारी जी अपने अन्तरात्मा की आवाज को सुनें तो इस बिल के विरोध में खड़े हो जायेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी अन्तरात्मा की आवाज को पहचानें और उसी के अनुसार स्वयं इस बिल को वापस ले लें। मैं तिवारी जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि सन् ६१ में जिस बिल का उन्होंने विरोध किया था उसी को यहां लाकर वे किसानों के सिर पर लादने का प्रयास

---

†१५ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही से।

[श्री बाबूलाल वर्मा]

कर रहे है ? जब गन्ना और चीनी का नाम लिया जाता है तो जिस पदार्थ के सुनने से ही मुंह में पानी आ जाता है उस मीठे पदार्थ को कांग्रेस की गलत नीतियों ने कड़वा कर दिया है और चीनी कड़वी हो गई है । आज चीनी कहीं प्राप्त नहीं हो पा रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह गन्ना किसान जिस प्रकार पैदा करता है और जिस प्रकार की किसान की जो खराब हालत है, उस पर विचार करें तो पता चलेगा कि आज किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । आज उनका करोड़ों रुपया मिलों पर बाकी है, २१ करोड़ रुपया चीनी मिलों पर ही बाकी है वह मारे-मारे फिरते हैं, उसको जेल में बन्द किया जाता है । आज पैसा न होने के कारण किसान की नौजवान लड़की बैठी रहती है, वह धन के अभाव में उसके हाथ पीले नहीं कर पाता है, उसका लड़का बीमार होता है, तो उसको दवा नहीं मिल पाती है और दवा न मिलने पर जब वह मर जाता है तब उसको कफन भी नहीं मिलता है और वह बिना कफन के दफन किया जाता है ।

माननीय तिवारी जी ने कल के अपने भाषण में निवेदन किया कि इस विधेयक के लाने से किसान के गन्ने के दाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक रुपया प्रति क्विंटल जो क्रय कर लगाने का प्रस्ताव किया है, इसका सीधा असर किसानों के गन्ने के मूल्य पर पड़ेगा । फिर भी सरकार कभी नाक सामने से नहीं पकड़ती है अपनी आदत के अनुसार, वह सदा पीछे से पकड़ती है, ताकि नाक जिसकी पकड़ी जाय, वह समझ न सके कि उसकी नाक किसने पकड़ी है । यह निश्चित है कि इससे चीनी के दाम बढ़ेंगे या फिर गन्ने का दाम घटेगा । दोनों में से एक अवश्य होना है । पहले आप गन्ने के दाम तय करें । आपने इसे जो पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ दिया है, वह अच्छा नहीं है, उसको आप जल्दी तय करें । आज इस सदन में तय करें कि गन्ने के दाम २० रुपया क्विंटल होंगे । और फिर उसके बाद यदि आप बिल यह लाते हैं, तो गन्ने के दाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा । नहीं तो मैं समझता हूं कि गन्ने के दाम पर असर पड़ेगा और अवश्य पड़ेगा । मैंने हिसाब जोड़ा है ११ पैसा प्रति क्विंटल चीनी के दाम बढ़ जायेंगे या गन्ने का दाम एक रुपया प्रति क्विंटल घट जायगा । इसलिये यह किसानों पर सीधा प्रहार है ।

मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि सन् १९६१ में जब यह बिल आया था, उस समय से आज तक १३ वर्ष हो गये और ३६ से ४० करोड़ रुपया किसानों से जो गन्ना कर आपने वसूला है उसको किस मद में खर्च किया ? क्या उसको किसान पर खर्च किया है ? आपकी सरकार ने भूमि विकास कर लगाया इसको वसूलने के लिये आपने कहा था कि यह पैसा किसान की भूमि के विकास पर व्यय किया जायगा, किन्तु आप बतायें क्या वह उस पर खर्च हुआ । जिस तरह से भूमि विकास कर के नाम पर १७ करोड़ रुपया वसूला और उसे दूसरे मद में खर्च कर दिया, उसी तरह से मुझे सन्देह है कि ४ करोड़ धनराशि प्रति वर्ष इसको इसमें वसूल करके दूसरे मदों में खर्च कर दिया जायगा । जो किसानों का मिलों पर बकाया है, यदि उसके बारे में आप कहते कि इस तरह से जमा धन पहले उनके बकाया के भुगतान करने पर खर्च किया जायगा तथा शेष धन खेती के विकास पर खर्च किया जायगा तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इसका समर्थन करता । करोड़ों रुपया किसानों का बाकी है, उनका दिल जानता है, न जाने कितना उनके दिलों में दर्द है । माननीय मंत्री जी मुस्करा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं वह उनकी मुस्कराहट ऊपर की है । वह अपने दिल की बात को ध्यान में रखें तो उनको मालूम होगा कि और वह हमारी बात से सहमत होंगे ।

गन्ना विकास परिषद् की आपने स्थापना की है, जिस समय आपने उसकी स्थापना की, उसके थोड़ा समय बाद तक तो उसका कुछ काम सड़कों आदि के निर्माण के रूप में दिखाई पड़ा । लेकिन मैं देखता हूं कि पिछले ५-६ साल से उस गन्ना विकास परिषद् का कुछ पता ही नहीं चला है, वह धरती पर है या नहीं । यदि वह अब भी जिंदा होगी तो आपके कागज पर ही जिन्दा होगी । आज किसानों को गन्ना मिलों तक ले जाने के लिये जो सम्पर्क मार्ग चाहिये, उसका

कहीं पता नहीं है । जो सड़कें और पुल बने भी वे बाढ़ में बह गये, उनका कहीं पता नहीं है । फिर भी आपने कहा कि किसानों के विकास के लिये यह पैसा हम लगायेंगे । अब गन्ना विकास परिषद् की हालत क्या है ? जरवल रोड के पास घाघरा घाट है। वहां पर एक सड़क बनी है एक मील झुखिया से धुरनपुर तक वह किसान के पैसे से गन्ना सोसाइटी की ओर से बनी है । वह सड़क जो किसान के पैसे से बनी है उसका नाम क्या रखा गया है ? सरदार औतार सिंह सड़क । यह कौन थे ? राजस्थान के गवर्नर सरदार जोगेन्दर सिंह के पिता थे, जो रहते थे भंगहा में जरवल से ७० मील दूर और जिनकी किसानों के प्रति कोई सेवा नहीं है । लेकिन चूंकि राज्यपाल के पिता थे इसलिये उनके नाम से सड़क बनायी गयी है । और उन्हीं राज्यपाल द्वारा इसके उद्धारण पर ५० हजार और सड़क बनने पर ५ हजार रुपया व्यय हुआ ।

१९७०–७१ में किसानों के गन्ने का दाम दिलाने के लिये मजदूरों का पैसा दिलाने के लिये हम लोगों ने १० किसानों को लेकर भूख हड़ताल की । सात दिन तक मिल गेट पर पड़े रहे । हमारा एक बुढ्ढा किसान था वह अनशन के कारण बीमार पड़ गया और कुछ दिन बाद दम तोड़ गया । उस आदमी के नाम पर उस सड़क का नाम रखा जाता या किसी किसान के नाम पर सड़क का नाम रखा जाता तो अच्छा होता लेकिन राज्यपाल के पिता के नाम पर सड़क का नाम रखा गया ।

आप कहते हैं कि मिलों की हालत खराब है, उसको ठीक करना है, उनका नवीनीकरण करना है । ऐसी मिलों का जीर्णोद्धार करके पूंजीपतियों को सौंप देंगे और उन्हें खुश करेंगे क्योंकि किसान की ओर आपका ध्यान जाता नहीं । किसान आपको देता ही क्या है । केवल वोट देता है । दाम और नोट मिल मालिक देता है । इसलिये मिल मालिकों को खुश करने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है । मैं इसका घोर विरोध करता हूं । आपने कल के भाषण में कहा है कि यह जो विधेयक लाया जा रहा है इसके द्वारा जो पैसा लिया जायगा फैक्ट्री के विकास के काम में खर्च किया जायगा । आपने बार बार प्रश्नोत्तर काल में मिलें घाटे में जा रही है । मिलें बीमार हैं, इसलिये रिकवरी नहीं आ रही है । मैं आपके सामने ऐसे तथ्य रखूंगा जिनसे साबित करूंगा कि मिलों के जर्जर होने से उनको घाटा नहीं है ।

आपने नयी दो फैक्टरियां सहकारी क्षेत्र में खोली है, उनमें घाटा क्यों हो रहा है, नई मिलें है उनमें छः सालों से घाटा हो रहा है । मैं जरवल मिल के बारे में कुछ बातें कह कर समाप्त करूंगा । आपने जो कहा है कि फैक्टरियों के जर्जर होने से मिलों को घाटा हो रहा है यह केवल आपका बहाना है यह सत्य नहीं है । जरवल मिल की समस्या १९६१ से शुरू हुई । १९६७–६८ में उस मिल के ऊपर ४३ लाख रुपया किसानों का और साढ़े ८ लाख रुपया मजदूरों का बकाया था । (व्यवधान) उस वर्ष ४४ हजार ५६८ बोरे चीनी बनी, और गन्ने का दाम १२ रुपये ७५ पैसा था । चीनी का दाम १ रु० ५८ पैसे था । इतना कम उत्पादन होने के बाद चीनी सस्ती होने के बावजूद और गन्ना मंहगा होने के बाद भी कुल रुपये का भुगतान हो गया १९६७–६८ के बाद जब आपने रिसीवर नियुक्त किया तो उस समय का उत्पादन देख लें । १९६८–६९ में ७६ हजार ५३० बोरी चीनी बनी । १९६९–७० में १ लाख २८ हजार ७९७ बोरी चीनी का उत्पादन हुआ । १९७०–७१ में ८८ हजार ९९७ बोरी चीनी का उत्पादन हुआ ।

गन्ने का रेट आपने १२ रुपये ७५ पैसे से घटा कर १०,११,१२ रुपये कर दिया । महंगायी चार गुना बढ़ गयी । १९६७ में जो साबुन पचास पैसे का मिलता था आज डेढ़ रुपये का मिल रहा है । ९५ पैसे लिटर डीजल था वह ३ रुपये लिटर मिल रहा है । मारकीन का कपड़ा ७५ पैसे मीटर में मिलता था, वह ४ रुपये मीटर बिक रहा है । इतनी मंहगाई के बाद ११–१२ रुपये क्विंटल गन्ने का दाम रखा है । चीनी का दाम १ रुपये ५८ पैसे था उसको बढ़ा कर २ रुपये १५ पैसे कर दिया ।

[श्री बाबूलाल वर्मा]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने चीनी के बारे में भेद भाव रखा है । जैसे बुढवल, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया की चीनी मिलों की चीनी कंट्रोल में २१५ रुपये क्विंटल और खुले बाजार में ४२० रुपये का भाव रखा है ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ने का भाव आप तय करते हैं । जितने रुपये मन चीनी बिकती है उतने आने मन गन्ने का दाम होना चाहिये । इस हिसाब से इस समय गन्ने का दाम २० रुपये क्विंटल होना चाहिये । जरवल चीनी मिल के बारे में आंकड़े दिये गये हैं । लेकिन यह मिल जर्जर होने के कारण घाटे में नहीं आई है । उसके और कारण है ।

कांग्रेस पार्टी की वहां पर यूनियन है । उसने जो घपले किये है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । वहां डेली वेजेज पर ५०० मजदूर रखे जाते हैं । लेकिन केवल १५० मजदूर ही काम पर आते है और बाकी ३५० मजदूरों का पैसा रख लिया जाता है । ये लोग काम पर नहीं जाते हैं । मंत्री के घर पर काम करते हैं । दो मजदूर मंत्री जी की भैंस के तेल लगाने के लिये हैं और उन्होंने मछली तालाब बना रखा है उस पर दो आदमी चारा खिलाने के लिये रहते हैं । बच्चे स्कूल भेजने के लिये नौकर अलग से हैं । इस तरह से ७५ हजार रुपया माहवार मजदूरों के नाम पर दिखाया जाता है वह इनकी जेब में जाता है ।

मंत्री जी ने कहा था कि इन मिलों की मशीनरी जावा से खरीदी गई यह ठीक नहीं है । यह जे०जे० विलन कम्पनी बेलजियम से ५ प्लांट खरीदे गये १९३१ में जो रामकोला, सरसावां, वाल्टरगंज, नवाबगंज, जरवल रोड तथा मुहीउद्दीनपुर में लगाये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वैसे आप बोल सकते है लेकिन बिल पर ही बोलिये ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मैं इसी पर आ रहा हूं । यह जो कहा गया कि मिल की जर्जरता के कारण घाटा हो रहा है । उसी को मैं बता रहा था । इस मिल में पिछले साल जो लकड़ी खरीदी गई वह ५० हजार की खरीदी गई और दो लाख रुपये की दिखाई गई । इसी तरह से चीनी के बोरे २ रु० ५५ पैसे में प्रति बोरे खरीदे गये लेकिन ३ रुपये १५ पैसे दिखाये गये । इसी तरह से चीनी २७५ रुपये क्विंटल कागज में दिखाई गई और ३१५ रुपये क्विंटल बेची गई । यह भाव खरीदने वाले ने ही तार दिया था ।

आपके रिसीवर ने क्या किया है । श्री बी०के० कक्कड़ रिसीवर ने ६ जनवरी, १९७२ को जाली दस्तखत करके दो हजार रुपये निकाल लिये । मैंने जब सारे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की तो उस समय ही डी०एम० श्री सत्यनारायण शुक्ला थे । उन्होंने श्री जे०बी० सिंह मजिस्ट्रेट को जांच के लिये भेजा और मामला जांच में सही पाया गया । लेकिन डी० एम० ने मामला दबा दिया । मैं निवदन करूंगा कि इसकी फिर से जांच कराई जाये । इस तरह की चीजें हो रही है । शीरा सवा छै रुपया प्रति क्विंटल हिसाब से बेचा लेकिन केवल ८ आने के हिसाब से दिखाया गया है । इसी तरह से प्रैस मड की गाड़ी सवा छै रुपये में बेची गई लेकिन उसको केवल ५० पैसे में बेचा जाना दिखाया गया है । तो मान्यवर, वहां का जो सामान मंगाया जाता है उसमें गड़बड़ी होती है । नेताओं ने उसको चूस लिया है । वहां के ईंटें को उठा ले गये हैं कहा जाता है कि मिल जर्जर हो गयी है । जर्जर नहीं हो गयी है । अगर जर्जर आज है तो १९५८ में भी थी । आप उसकी जांच करायें ।

अब मैं अपनी बात पर आता हूं । आप बहाना बना रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप गन्ने का दाम तय कर दें । आपने किसानों को मिल मालिकों के भरोसे छोड़ दिया है । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको प्रवर समिति

को भेज दिया जाय । मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अगर उनको दुबारा चुनकर आना है तो वे इसका समर्थन करें । किसान खड़ा रहेगा । सरकार गिर जायगी, टूटेगी और बिगड़ेगी । सरकार को बिगड़ने दीजिये, किसान की चिन्ता कीजिये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)--

मान्यवर, मुझे मौका नहीं दिया । नियम ५१ के ऊपर भी...

श्री अध्यक्ष--

दूर मुंह करके बोलें । सुनाई नहीं पड़ता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारी उद्योग मंत्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके समथन में मैं खड़ा हुआ हूं । इस प्रदेश में गन्ना उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । सन् १९३१-३२ में जब देश गुलाम था तो इस प्रदेश में १४ शुगर फैक्टरीज थी और १४ लाख ७० हजार एकड़ जमीन में गन्ना पैदा होता था । सन् १९३७ तक इस प्रदेश में ७२ शुगर फैक्टरीज स्थापित हो चुकी थी और २४ लाख ७० हजार एकड़ गन्ना इस प्रदेश में पैदा हुआ था उस वक्त से निरन्तर दूसरे प्रदेशों में भी गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा और शुगर फैक्टरीज की स्थापना भी हो रही है ।

१९३७ में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्य ऐसे थे जो कुल देश की चीनी का ८५प्रतिशत पैदा करते थे । प्रति वर्ष यह प्रतिशत घटता गया । और उत्तर प्रदेश जो अकेला-५५ फीसदी चीनी पैदा करवाया आज केवल ३५ प्रतिशत ही पैदा करने लगा है । बिहार जो २८ फीसदी पैदा करता था वह ९.३ प्रतिशत पैदा करने लगा है । जहां तक नई शुगर फैक्टरीज की स्थापना का सवाल है जिस समय से देश स्वतंत्र हुआ है उस वक्त से और अब तक यहां केवल कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज स्थापित हुई है---बाजपत, सरसावां, मझोली, बासपुर और औरैय्या और शेष जितनी भी शुगर फैक्टरीज इस देश में स्थापित हुई है वह तमाम गुजरात महाराष्ट्र, आन्ध्र और मैसूर आदि में स्थापित हुई है । इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति शुगर केन पर निर्भर करती है । आज शायद २३ लाख से ऊपर कृषक परिवार, ८५ हजार से अधिक, मजदूर इस शुगर फैक्टरीज में काम पर लगे हैं और शुगर फैक्ट्री से लाभान्वित होते है । आंकड़े देखने से यह जाहिर होता है कि क्षेत्रफल भी और शुगर की रिकवरी भी हमारे प्रदेश में दूसर प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम है । क्षेत्रफल तो मान्यवर, बढ़ता जरूर चला गया और आज बढ़ते बढ़ते १२ लाख हेक्टयर हो गया है, जिसका अर्थ हुआ ३० लाख एकड़ । जबकि १९३७ में २४ लाख ७० हजार एकड़ था ।

तो दो वर्षों में क्षेत्रफल कभी बढ़ता है और अगले दो वर्षों में घटता है । मान्यवर हम अपनी पैदावार के औसत को लें कि कितनी हमारी पैदावार का औसत आता है इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में, तो आपको यही अन्दाज होगा, स्वर्गीय डाक्टर कैलाश नाथ काटजू ने जब १९३७ में उत्तर प्रदेश और बिहार का शुगर केन बोर्ड बनाने का शुगर की प्राइस और शुगर केन की प्राइस के निर्धारित करने का एक बिल तत्कालीन असेम्बली में पेश किया था तब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की औसत पैदावार प्रति एकड़ ३०० मन है और मेरे पास मान्यवर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि आंकड़े सन् ५०-५१ से ७१-७२ तक के है । १९५०-५१ में २९१.०४ मन प्रति एकड़ उससे अगले वर्ष में २६८ । फिर २५१ फिर २६३ फिर ३०९, फिर २७१, फिर २८६, फिर २६४, फिर २८१ फिर २७४ और अगले वर्ष ४१० । और फिर घटना शुरू हुआ ।

[श्री विरेन्द्र वर्मा–]

तो यह बात साबित करती है, जाहिर करती है कि उत्तर प्रदेश में रकबा तो चाहे बढ़ा हो शुगरकेन का, लेकिन प्रति एकड़ पैदावार उत्तर प्रदेश में बढ़ी नहीं–चाहे थोड़ी–बहुत किन्ही सालों में बढ़ी है, लेकिन अगले सालों में फिर घट गयी है । अगर हम इसकी तुलना हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों से करें तो मान्यवर, पांडचेरी की ३३.७ टन प्रति एकड़ है तामिलनाडु की ३५ टन प्रति एकड़ है और आंध्र की ३०.९ प्रति एकड़ है और उत्तर प्रदेश की १७.७ । यानी उन प्रदशों से आधी । और जब मान्यवर, हमारी अर्थ व्यवस्था शुगरकेन के ऊपर आधारित है। चीनी की रिकवरी भी यहां कम होती है और प्रति एकड़ पैदावार भी कम, तो हम कहीं टिक नहीं सकते आंध्र के मुकाबले में, महाराष्ट्र के मुकाबले में और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में जहां हमसे दुगनी पैदावार होती है और चीनी की रिकवरी भी ज्यादा है ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । बिल क्या है और माननीय सदस्य क्या बोल रहे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है । बोलना चाहिये बिल पर...

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था से समझदारी नहीं खरीदी जा सकती है–समझिये या न समझिये ।

श्री मोती लाल देहलवी—

समय खराब हो रहा है इसलिये...

श्री वीरन्द्र वर्मा—

मान्यवर, अगर अधिक पैदावार गन्ने की तरफ हम ध्यान दें तो १९५८–५९ में उत्तर प्रदेश में ९०.५२ टन प्रति एकड पैदा हुआ था । उसके मुकाबले में आंध्र में १५२.९३ टन प्रति एकड़ पैदा हुआ था । इससे जाहिर है कि दक्षिण में जो ट्रापिकल एरिया कहलाता है वहां रिकवरी १२ फीसदी तक महाराष्ट्र आदि स्थानों में होती है और हमारे यहां रिकवरी ९.५ फीसदी और अधिक से अधिक १० फीसदी होती है इसलिये रिकवरी भी कम, प्रति एकड़ पैदावार भी कम और दक्षिण की रिकवरी भी ज्यादा और प्रति एकड़ पैदावार भी ज्यादा । तो इससे हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार हम अपनी इस बेसिक इंडस्ट्री को इस प्रदेश में उठायें क्योंकि यहां के लाखों इन्सानों की अर्थ व्यवस्था इस पर निभर करती है । किस प्रकार गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन हम बढ़ायें और इसकी रिकवरी में हम इजाफा करें । यह सवाल सब से बड़ा है । दक्षिण भारत में कोयम्बटूर का शुगरकेन का एक बड़ा अनुसंधान स्टेशन है । वहां से शुगरकेन की नयी वैरायटीज निकलती है । हमारे यहां भी शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में शुगरकेन के छोटे रिसर्च सेन्टर हैं । क्योंकि हमारे यहां की जलवायु दक्षिण भारत से बिलकुल भिन्न है, वहां जिस प्रकार का गन्ना पैदा होता है, जिस प्रकार की गन्ने की बीमारियों वहां होती है उससे भिन्न प्रकार का गन्ना और बीमारियां यहां होती है इसलिये इस सब-ट्रापिकल एरिया में आवश्यकता इस बात की है कि यहां ऐसी वैरायटीज पैदा की जाय जो ड्राई एरिया के लिये भी मुनासिब हों और कहीं वाटरलागिंग का एरिया हो उसके लिये भी मुनासिब हो, ज्यादा रिकवरी निकल सके और प्रति एकड़ में पैदावार भी ज्यादा हो सके और क्योंकि यहां जलवायु भिन्न है दक्षिण से इसलिये अनुसंधान की यहां बड़ी आवश्यकता है ।

कल उद्योग मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की थी कि जो रुपया इस प्रकार एकत्रित होगा उसके जरिये गन्ने के विकास और अनुसंधान की तरफ विशेष रूप से खर्च करने की व्यवस्था की जायेगी । इसस पेश्तर सन् ३७ में इसी प्रकार का सेस लगाया गया था स्वर्गीय डाक्टर कैलास नाथ काटजू जी ने यह आश्वासन दिया था हाउस को कि जितनी कटौती इस प्रकार होगी वह

अधिकांश शुगर फैक्ट्री और गन्ने के विकास पर व्यय होगी । लेकिन आंकड़ों से जाहिर होता है कि १९५५–५६ में जितना धन कटा था उसका ३५.४ प्रतिशत गन्ने के डेवलपमेंट पर खर्च हुआ था और वह घटते घटते सन् ७२–७३ में १३.३ प्रतिशत आ गया है । इसलिये मैं आपके जरिये माननीय उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य के खातिर यह धन एकत्र किया जाता है, यानी गन्नेके विकास के लिये, अनुसंधान के लिये, सड़कों के निर्माण विकास के लिये या सिंचाई के लिये उसी पर यह खर्च किया जाय । जो पुरानी मिलें है उनके मिल मालिकों को आप इसमें से रुपया दें इसके पक्ष में मैं नहीं हूं लेकिन जिनके आप रिसीवर हो जांय उनके जीर्णोद्धार की तरफ आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिये ।

रिकवरी की तरफ हमारा ध्यान इस कारण भी और जाना चाहिये क्योंकि गन्ने की कीमत रिकवरी के साथ वाबस्ता कर दी गयी है । मैं अब ८.५ से ऊपर रिकवरी होती है तो १ फीसदी तक रिकवरी का फायदा उत्तर प्रदेश को भी मिलता है और दक्षिण भार में ढाई तीन फीसदी तक रिकवरी का फायदा वह उठाते है उस न्युनतम गन्ने का प्राइस के ऊपर जो भारत सरकार तय करती है । इसलिये आवश्यक है कि हम इस तरफ ध्यान दें और बेहतर से बेहतर रिकवरी देने वाली वैरायटी को जन्म दें ।

शाहजहांपुर से एक गन्ना निकला था जिसको ३१२ हमारी तरफ कहते थे । अब ११४८ नम्बर का गन्ना निकला है । वह भी काफी दिनों से चल रहा है । ३१२ गरीबपरवर गन्ना कहलाता था । कम पानी दें तब भी जिन्दा रहता था और ज्यादा पानी में भी जिन्दा रह जाता था । कम खाद में भी जिन्दा रह जाता था । मुझे जंचता है कि हमारा शाहजहांपुर का रिसर्च स्टेशन है या मुजफ्फरपुर का और गोरखपुर का है प्रदेश की विभिन्न जलवायु और विभिन्न भूमियों की दृष्टि से इस प्रकार का नया बीज और नयी वैराइटी नहीं निकाल सकीं । जो ३१२ को रिप्लेस कर सके और उससे बेहतर हो । नई कोई किस्म निकाली तो उससे अगर उसमें रिकवरी बढ़ेगी तो प्राय: ईल्ड कम होती है और अगर ईल्ड ज्यादा होगी तो रिकवरी कम होगी । इसलिये इस बात के अनुसंधान की आवश्यकता है कि ऐसी नई वैराइटी आवे जिससे रिकवरी भी ज्यादा हो और ईल्ड भी प्रति एकड़ ज्यादा हो, जिससे काश्तकार को भी फायदा हो और चीनी का उत्पादन भी हमारे यहां बढ़े ।

मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि इस रुपये के जरिये सभी अनएकनामिक अलाभकर मिलों को लाभकर मिलो में परिवर्तित किया जा सके और जिनके जरिये आज किसानों का भला नहीं हो रहा है उनका भला हो सके । सन् १९३७ में ७२ शुगर फैक्टरियां यहां पर स्थापित हो चुकीं थीं और आज सत्ताईस सालों की आजादी के बाद यहां अब तक ७४ शुगर फैक्टरियां हैं। ७२ में से कुछ उठकर चली गयीं, कुछ बन्द हो गयीं और कुछ नयी आ गयी लेकिन अब तक कुल ७४ फैक्टरियां ही इस प्रदेश में स्थापित हैं ।

इस प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये २२ नयी शुगर फैक्टरियां सहकारी क्षेत्र में लगेगी उनके लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिये गये हैं और यह उन स्थानों पर जहां किसानों की आर्थिक अव्यवस्था सुधारना आवश्यक होगा वहां वह स्थापित की जायेंगी । इन शब्दों के साथ जो बिल पेश किया है उद्योग मंत्री जी ने, मैं कहता हूं कि बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है सब ट्रापिकल एरिया में अनुसंधान की, जबरदस्त आवश्यकता है इस प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये गन्ना विकास की और बड़ी आवश्यकता है चीनी की ज्यादा रिकवरी की और ईल्ड प्रति एकड़ की। गन्ने का विकास हम करें और पुरानी मिलों का जीर्णोद्धार करने का प्रयत्न करें सड़ी गली मिलों को किसानों और मजदूरों के हित में चलाना भी आवश्यक होगा इसीलिये और पैसों की आवश्यकता है और यह जो ६७ पैसों से बढ़ाकर १ रुपये प्रति कुन्टल की मांग की गई है इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि यह किसानों पर लगेगा । न पहले यह ६७ पैसा किसान पर लगता था और न अब यह १ रुपया किसान पर लगेगा । यह शुगर परचेज पर है यानी जितनी बोरियां बनेंगी अब तक ६७ पैसे प्रति बोरी था अब १ रुपये प्रति बोरी होगा। मान्यवर, २१ करोड़ रुपया जो गन्ना, किसानों

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

का मिल मालिकों पर बाकी है उसकी तरफ भी हमारे उद्योग मंत्री ध्यान दें। जहां पर बाकी रह जाता है उस पर जो साढ़े सात फीसदी सूद का प्राविधान आपके ऐक्ट में है उसे १२ प्रतिशत करने के लिये ऐक्ट में संशोधन करें। बढ़ती हुई महंगाई के जमाने म आज जो किसानों की आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिये वह बढ़े हुये सूद पर कर्जा ले रहा है अतः बढ़े हुये सूद पर उसकी कीमत मिल जायगी तो उसका भी कल्याण होगा और इस प्रदेश का भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो विधेयक माननीय उद्योग मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर मैं दो एक बातें रखूंगा।

श्री अध्यक्ष—

विधेयक पर समय दिया जाता है, आप लें।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो यह गन्ना क्रय-कर संशोधन विधेयक रखा है और जो यह कहा गया ह कि यह अत्यन्त जरूरी विधेयक है इसलिये अधिक समय बढ़ाकर पास करें ताकि अगले क्रशिंग सीजन में इसको लागू किया जा सके। मान्यवर, इस विधेयक के अनुसार, क्रय-कर ६७ पसे से बढ़ा कर १ रुपया किया गया ह और यह प्राविधान किया गया है कि बढ़े हुये कर से जो पैसा आयेगा उसको दो मदों में खर्च किया जायेगा। एक मद में यह है कि इस पैसे से गन्ने की किस्म में सुधार किया जायेगा और अनुसंधान करके अच्छे बीज बनाने की कोशिश की जायेगी। दूसरा विधि यह कि जो हमारी जर्जर मिलें हैं, उनको ठीक किया जायेगा उनकी क्षमता बढ़ाने और उनके आधुनिकीकरण करने के काम में इस धन का उपयोग किया जायगा। मैं समझता हूं कि मंत्री जी के अनुसार कि यह बिल जल्दी पास हो तो मेरी राय है कि जिस तरीके से यह बिल पास कराना चाहते हैं उस तरीके से जो इसके कुछ पहलू हैं उन पर अच्छी तरह से इशारा नहीं पड़ेगा।

जहां तक गन्ने की किस्म को सुधारने की बात है, उस पर अनुसंधान करने की बात है, यह सही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ने की अच्छी किस्में नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में फी एकड़ गन्ने की जितनी पैदावार होनी चाहिये वह कम है। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिलनाडू, पांडिचेरी के मुकाबले में हमारे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ कम होता है। रिकवरी कम होती है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि श्री वीरेन्द्र वर्मा ने अपने भाषण में सारी बातें अच्छे ढंग से पेश कर दी हैं। इसलिये इस निधि से जो गन्ने की किस्म में सुधार किया जायेगा वह स्वागत योग्य है।

लेकिन जो दूसरी निधि है और जिससे दो प्रकार के काम होंगे। प्रथम यह कि पुराने जर्जर मिलों की मरम्मत करना और उनका आधुनिकीकरण करना और दूसरे नये मिलों की स्थापना करना। जहां तक नये मिलों को कायम करने की बात है और सरकार ने २२ नये मिल खोलने का निश्चय किया है। इसके लिये पैसे की जरूरत है और इसके लिये इस निधि की स्थापना हुयी है, यह भी स्वागत करने योग्य है। परन्तु इस निधि का दूसरा पहलू कि प्राइवेट जर्जर मिलों की सरकारी पैसे से मरम्मत की जायेगी, यह बात कुछ हानिकारक है।

प्रश्न यह नहीं है कि जर्जर मिलों की मरम्मत न की जाय, उनकी उत्पादन क्षमता को न बढ़ाया जाय और उनका आधुनिकीकरण न किया जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि इन मिलों को जर्जर करने की जिम्मेदारी किस पर है। सरकार पर या उन मिल मालिकों पर। यह विषय है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है।

आज से ३०–४० साल पहले यह मिल लगे और इन मिल मालिकों ने करोड़ों रुपया कमाया है और उसी पैसे से महाराष्ट्र, आन्ध्र, मद्रास आदि जगहों पर नयी चीनी की मिलें खोली हैं और उन्होंने हमारे प्रदेश की चीनी मिलों को ठीक से चलाने और इनकी क्षमता को सुधारने की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया है। यह बात ठीक है कि चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिये परन्तु इस जिम्मेदारी को सरकार को उसको अपने सिर पर ओढ़ लेना, जो जिम्मेदारी मिल मालिकों की है और जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेना सही बात नहीं है।

एक दूसरी बात और भी है कि यह मिल दिन प्रति दिन जर्जर क्यों होते जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि इसका कारण यह भी है कि जब से यह प्रश्न उठा कि मिल का राष्ट्रीयकरण होगा तब से इन मिलों की दशा में और गिरावट आयी है। १९६९ में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तब १९७० में कांग्रेस ने यह बात सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार की गयी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और किया जायेगा। तब से मेरा अनुभव है कि मिल मालिकों ने चीनी मिलों की ओर तवज्जों नहीं दी।

मैं समझता था कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी खड़े हुये हैं और इस पर प्रकाश डालेंगे। मान्यवर चौधरी चरण सिंह की सरकार ने जो ३ आदमियों की एक कमेटी बनाई थी उसमें श्री वर्मा जी भी थे और उन्होंने सिफारिश की थी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। लेकिन इस पहलू पर उन्होंने एक शब्द भी यहां नहीं कहा है। बल्कि इन्होंने मिल मालिकों की वकालत की है कि उनके मिलों का सरकारी पैसे से जीर्णोद्धार किया जाय। आज क्या यह जरूरत नहीं है कि मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। सरकार ने कहा है कि हमने भारत सरकार को इसके संबंध में लिखकर भेज दिया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने भी हरा सिगनल दे दिया है कि आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब आप राष्ट्रीयकरण न करके सरकारी पैसे से मशीनों का जीर्णोद्धार कराके मिल मालिकों का मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मिलों का मुनाफा घट रहा है। उनकी बैलेन्सशीट देखते हैं तो आपको बड़ा दर्द होता है क्योंकि मिलों की उत्पादन क्षमता घट रही है। इस लिये आप ऐसी निधि बनाना चाहते हैं कि जिससे मिलों की हालत सुधारी जाय।

परन्तु किसानों का जो ३० करोड़ रुपया बाकी है तो इससे उनकी क्षमता गिर रही है। वह कहां से बैल खरीदेगा, कहां से खाद लेगा, कहां से बीज लेगा और कैसे अपना खर्चा चलायेगा तो इस पर भी आपने कोई ध्यान दिया है। यदि किसानों की दशा को सुधारने पर भी इस विधेयक में विचार किया होता तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन आप एक तरफ सोचते हैं। इसलिये यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि इस प्रदेश की सरकार चीनी मिल पर मालिकों का प्रभाव रहता है और आज भी है इसीलिये आज राष्ट्रीयकरण का नाम नहीं लेते हैं। बल्कि बिल इस बात का लाया गया है कि सरकारी पैसे से उनकी मदद की जाय। उनकी जर्जर मशीनरी को रिप्लेस किया जाय। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद उनकी मशीनों का जीर्णोद्धार किया जायेगा और फिर से उनको महाराष्ट्र भेजा जायेगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनके कारखानों की उत्पादन क्षमता गिर गई है इसलिये उनका जीर्णोद्धार होगा। अतः उत्पादन बढ़ाने के नाम पर, इकानामी के नाम पर आप सरकारी पैसे को वहां लगायेंगे। इसी प्रकार कानपुर के जो टेक्सटाइल मिलें हैं और जिनका उत्पादन गिर गया है तो उनका भी आप जीर्णोद्धार करेंगे। इस प्रकार अच्छी मिलें भी अपनी मशीनरी का रखरखाव तथा मरम्त बन्द कर देंगी क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार उत्पादन बढ़ाने के नाम पर पैसा देगी। यह नीति आपकी ठीक नहीं है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। चीनी मिलें जो जर्जर हो गई हैं यदि सरकार उनकी जिम्मेदारी लेती है तो ठीक नहीं है। उनका राष्ट्रीयकरण करके उनको अपने कब्जे में लेने के बाद ही उन पर पैसा

[श्री भीखालाल]

लगायें। अतः मैं इस प्राविधान का विरोध करता हूं और मैं अपने माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह विधेयक पेश है सदन में, सचमुच गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पैदावार है और शुगर पर हमारी अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। जैसा कि वर्मा जी ने इस विधेयक के हर पहलू पर आंकड़े देकर यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश में प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार घटती चली जा रही है जिससे शुगर इन्डस्ट्री पर बुरा असर पड़ रहा है। इस विधेयक में यह जो व्यवस्था है कि गन्ने का पैदावार बढ़ाने के लिये अनुसंधान केन्द्र कायम किया जायेगा और गन्ने की अच्छी नस्लों पर रिसर्च किया जायेगा ताकि गन्ने की पदावार बढ़ सके।

यह जो विकास का और अनुसंधान का पहलू है जैसा कि कृषि के विभिन्न केन्द्रों पर हो रहा है, लेकिन जितना सुचारु रूप से होना चाहिये, उतना नहीं हो रहा है, इसका मैं समर्थन करता हूं। इससे गन्ने की पैदावार बढ़ेगी जिससे हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में प्रति एकड़ जितनी पदावार हो रही ह उसके मुकाबले में हमारी पैदावार आ सके। इस दृष्टि से जहां तक कर बढ़ाने का जो प्राविधान किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस माननीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि एक राय होकर इसका समर्थन करें। जहां तक गड़बड़ी का सवाल है, इस सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री काटजू का हवाला दिया गया। इस विधेयक में ३ आदमियों की कमेटी बनने का प्राविधान है जिसे एक सचिव गन्ना, गन्ना आयुक्त और शुगर कारपोरेशन के अध्यक्ष होंगे, जो स्टेट के हित में काम करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि इस माननीय सदन के एक-एक सदस्य विरोध पक्ष और सरकारी पक्ष से भी इस कमेटी में हों। मैं समझता हूं उससे विकास के नये-नये रास्ते खुलेंगे और इसमें काफी मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय भीखा लाल जी ने लम्बा-चौड़ा लेक्चर दे दिया, तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इस बात का कोई प्राविधान नहीं है कि आधुनीकरण मिलों का करके, मिल-मालिकों को मुनाफा कमाने की छूट दे दी जायेगी। माननीय भीखा लाल जी इस बात से सहमत होंगे तो जो पुरानी मशीनों से काम चला रहे हैं मिल मालिक उसस मजदूरों का शोषण हो रहा है और कर्मचारी भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जो एक सच्चे समाजवादी भी हैं और उद्योग मंत्री भी हैं, इतना मैं उनसे अपील करूंगा कि जिन मिलों की मशीनरी पुरानी जीणशीर्ण हो गई हो, जो पुराने कारखाने के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, ऐसी सारी मिलों में वह रिसीवर नियुक्त करें और अपने कब्जे मे ले लें और फिर सरकारी ढंग से उनका आधुनीकरण करके अच्छी क्षमता पदा करें और प्रोडक्शन को बढ़ावें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस बिल के पास हो जाने पर शुगर की पैदावार बढ़ेगी और गन्ने की भी पैदावार बढ़ेगी।

श्री दशरथ सिंह--

अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक लाया गया है उसके पीछे जैसा गन्ना मंत्री जी ने बताया उसके दो पहलू हैं--पहला तो गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा और फक्ट्रियों का आधुनीकरण किया जायेगा। लेकिन उसमें एक पहलू को भुला दिया गया है। अगर आप पिछले दो-तीन वर्ष के आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो मालूम होगा कि भावों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ गन्ने की पैदावार बढ़ी और घटी है। यदि गन्ने का सही दाम मिलना शुरू हो जाय तो गन्ने की पैदावार बढ़ेगी। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट होता है। १९७१–७२ में सरकार ने ७.३७ पैसा गन्ने का दाम रखा दूसरी तरफ ९.५५ लाख हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल हो गया। जब १९७२–७३ में इसका दाम ८ रुपया प्रति क्विन्टल कर दिया गया तो वही क्षेत्रफल बढ़ कर १०.३० लाख हेक्टर हो गया।

कहने का तत्पर्य यह है कि किसानों को जब गन्ने का सही दाम मिलता है तो वह उत्साहित होता है और अधिक गन्ने की बुआई करता है और अधिक उपज करने में समर्थ होता है। लेकिन जब उसे कम पैसा मिलता है तो हत्सोसाहित होता है और पैदावार प्रति एकड़ घट जाती है। आपने जैसा कहा कि एक रुपया प्रति क्विन्टल कटौती किया जायेगा और ६७ पैसे से अतिरिक्त जो धन होगा उसको निगम के मातहत खर्च किया जाये। एक-तिहाई तो गन्ने का उत्पादन बढ़ाने में और दो-तिहाई जीर्णशीर्ण फैक्ट्रियों के उद्धार में। यहां भी आपने सौतेला व्यवहार किया। एक-तिहाई तो गन्ना उत्पादक को और दो-तिहाई मिल-मालिकों को।

यह फैक्ट्रियों के उद्धार का प्रश्न कहां से आ गया। वह तो कांग्रेस सरकार की जेब से आया है। यही फैक्ट्रियां मुद्दतों से चली आ रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, गन्ने का भुगतान भी सही करती रही हैं और अब वही फैक्ट्रियां गन्ने का सही दाम उचित समय पर देने में नाकामयाब हैं, फैक्ट्रियां ठीक से नहीं चल रही हैं। मैं पूछता हूं ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? इसकी बुनियाद क्या है। बुनियाद है 'राष्ट्रीयकरण का नारा' सरकार ने राष्ट्रीयकरण का नारा दिया और खतरे की घण्टी बजी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

भूतपूर्व कमिश्नर, मेरठ, श्री पी० एन० कपूर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सतर्कता आयोग द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

मान्यवर, ८ जुलाई को माननीय मंजूर अहमद ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में मानतीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि यह जो कपूर साहब जो कि मेरठ के अन्दर कमिश्नर हुये हैं, के विरुद्ध सर्तकता आयोग द्वारा कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया गया। और उसके बाद भी माननीय मंत्री जी इस सदन को आवश्स्त नहीं कर सके। कि कौन से कारण थे कि जब प्रागदर्शन में एक केस हो चुका तों क्यों नहीं उनको निलम्बित किया गया।

मान्यवर, कुछ फैक्टस मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मई, १९७० में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कपूर साहब को जानबूझ कर मेरठ बुलवाया। मई, १९७० में कपूर साहब मेरठ जाते हैं और जून १९७० में इनके साहबजादे और इनकी बहिन एक कंपनी बनाते हैं "मार्डन विन्डसर इंडस्ट्रीज"। जून के महीने में लीज के बारे में दरखास्त दी जाती है। उसके बाद दिसम्बर ७० में लीज देहरादून में मंजूर होती है। देहरादून मान्यवर मेरठ डिवीजन के अन्दर आता है। जब यह बतौर कमिश्नर मौजूद थे तब यह लीज मंजर हुई। इसके पूर्व जिले के दो व्यक्तियों ने इस लीज के लिये दरख्वास्त दी। वे लगातार कोशिश करते रहे और लखनऊ आकर यहां का दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन वन विभाग और सिंचाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

विभाग ने इस पर आपत्ति की। लेकिन इसी स्थान पर कपूर साहब के साहबजादे को लीज मंजूर हुई।

मान्यवर, यह लीज कौन मंजूर करता है। एक एस० डी० एम० साहब जो देहरादून के अन्दर लगातार १५ साल से रह रहे थे और जिनका तबादला होता था लेकिन रोक दिया जाता था उन्होंने इसको मंजूर कराया। ये एस० डी० एम० साहब श्री बी० एस० सेठ थे जिन्होंने माननीय कमिश्नर साहब के दबाव में आकर लीज की सिफारिश की और मंजूर हो गयी। अब मान्यवर बी० एस० सेठ साहब का क्या हुआ। जब उन्होंने देख लिया कि कमिश्नर साहब उनकी अंटी में आ गये तो बी० एस० सेठ ने अपने भाई के नाम देहरादून के अन्दर दूसरी लीज मंजूर करा दी, वही लीज जिसके बारे में दसरे लोगों ने दरख्वास्त दी थी लेकिन वह मंजूर नहीं हुई थी। लेकिन जब एस० डी० एम० साहब के हाथ में कमिश्नर साहब की गर्दन आ गयी तो उन्होंने अपने भाई के नाम यह लीज मंजूर करा दी।

मान्यवर, इन सेठ साहब का तबादला हुआ लेकिन कहां, मंसूरी के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव पद होता है उस पर हुआ। और यह सारा जाल बट्टा आज भी चल रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं जहां पर लीज मंजूर करायी वहां एक दूसरा व्यक्ति हरिश्चन्द्र था। उसने एक प्राइवेट सड़क खानों में जाने के लिये बना रखी थी। उसने अपनी सड़क को इस्तेमाल नहीं करने दिया और कहा कि अगर सड़क इस्तेमाल करनी है को किराया दो। इस पर मान्यवर लीज होल्डर को बुलाया गया और सेठ साहब द्वारा उसको सताया गया और धमकी दी गयी और इसके बाद वगैर किसी पैसे के वह सड़क कमिश्नर साहब के पुत्र को इस्तेमाल करने दी गयी।

मान्यवर, यह कहेंगे कि लड़के और बहिन को अधिकार है ब्यापार करने का। लेकिन श्री पी० एन० कपूर ने अपने दस्तखतों से चक काट कर इस कंपनी के अन्दर रुपया दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के सामने आल इंडिया सरविसेज की जो सेवा नियमावली है वह होगी। उसके नियम ३ के अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी अधिकारी वगैर केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकार के कोई व्यापार नहीं कर सकता।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बस्ती)—

उस समय कौन चीफ मिनिस्टर थे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

पांडेय जी से पूछ लीजियेगा। यही नहीं मान्यवर, देहरादून के अन्दर एक गांव जस्सूवाला है। वहां ७० बीघा जमीन अपने बच्चे के नाम करायी यह धमकी देकर कि यह जमीन सीलिंग में आ जायगी और तुम्हारे हाथ से चली जायेगी। यह जमीन सस्ती दर पर ली गयी। यही नहीं मान्यवर, इसकी सेल डीड बाद में की गयी जबकि वहां हल्ला मचना शुरू हो गया। जब कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने वाला हो, तब जाकर सेलडीड की कार्यवाही शुरू की गयी। उसके पहले उस पर काश्त करते थे। बीज सहजपुर ब्लाक से आया। काम करने वाले तमाम कर्मचारी और ब्लाक का स्टाफ, इनके फार्म पर काम करता था। इनके सुपुत्र के साथ काम करने वाले भूपेन्द्र कोहली का भी नाम आया परमिट देने के सवाल पर।

मान्यवर, आप जानते हैं कि मेरठ रीजन में परमिट की कितनी कीमत है। एक-एक परमिट एक-एक लाख रुपया का बिक रहा है। यह मोटर की परमिट किसको दी जाती है? अरविन्द कुमार के बिजनेस पार्टनर श्री भूपेन्द्र कोहली को यह परमिट दी जाती है मान्यवर, ३ चीजें विजिलेंस कमीशन ने मान ली है। इस बात को मान लिया है कि इस अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नाजायज दबाव डालकर यह लीज मंजूर कराई। यह बात मान ली गयी कि ग्राम जस्सूवाला के अन्दर इस अधिकारी ने ७० बीघे जमीन मिट्टी के भाव

लेकर पद का दुरुपयोग किया। विजिलेंस कमीशन ने इस बात को मान लिया कि इस अधिकारी ने भूपेन्द्र कोहली को गलत ढंग से परमिट ग्रान्ट कराई और हरिश्चन्द्र रोड जो प्राइवेट रूट थी, उस पर दबाव डाल कर उसका इस्तेमाल किया। इन तमाम बातों को विजिलेंस कमीशन ने मान ली है लेकिन अफसोस है कि मंत्री जी आज यह आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हैं कि इस कमिश्नर को मुअत्तल किया जाय।

माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि इनको मुअत्तल करने का उनको अधिकार नहीं है लेकिन मैं पंजाब का केस बताना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि आई० ए० एस० अधिकारी को भी राज्य सरकार चार्जशीट लगाकर मुअत्तल कर सकती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पाण्डे जी तो जानते हैं, क्योंकि वह एक वकील हैं। लेकिन वह यहां तैयार नहीं है कि इस गैर-कानूनी तरीके से जो लीज इन्होंने मंजूर कराई है, उस लीज को कैन्सिल कर दें, इसके लिये वह कोई आश्वासन दे दें। इसी सदन के सामने यह सरकार कहती है कि इतने इतने पुलिस के सिपाहियों को मुअत्तल कर दिया, इतने चपरासियों को मुअत्तल कर कर दिया, इतने क्लर्कों को मुअत्तल कर दिया। तो आप छोटे आदमियों को तो मुअत्तल कर देते हैं लेकिन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते और कहते हैं कि हम स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं।

जब कोई मगरमच्छ फंसता है, बड़ा अफसर फंसता है, तो मंत्री जी का कलेजा दहल जाता है, कलम हिलने लगती है। अगर आपको प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देना है तो सबसे ऊंचे स्थान पर जहां भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको खत्म कीजिये। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस कमिश्नर को मुअत्तल करेंगे और उनकी लीज को जब्त करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष--

मुझको मालूम है।

*श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

मान्यवर, जो प्रश्न सामने है वह है, जो अभी नेगी जी ने बताया कि यह अधिकारी अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ। बाकी जो कुछ उन्होंने कहा, उसमें काफी सच्चाई है। निदेशक, बिजीलेंस ने आरोप नं० १ और २ के ऊपर आरोपपत्र देने की बात कही है। आरोप १ है श्री कपूर की लीज का और आरोप २ है कि इन्होंने अपने निकट संबंधी को यातायात की सुविधा देने हेतु अपने पद का दुरुपयोग किया जो अखिल भारतीय सेवा नियमावली के नियम ३ के अन्तर्गत दोषी पाया गया है। २ पर बात की गयी। उस दिन उस पर किसी ने प्रश्न नहीं पूंछा। ये कपूर साहब इस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया में डेपुटेशन पर हैं और शायद वहां इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ज्वाइन्ट सेक्रेटरी हैं।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

विदेश तिजारत के सिलसिले में गये हुए हैं।

श्री राज मंगल पांडेय--

वह ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। वैसे माननीय सदस्य की जानकारी सही होगी। प्रश्न यह है कि अधिकारियों के सस्पेंशन के बारे में कुछ नियम भी हैं। जो पहले पूरन चन्द्र पांडेय थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पांडेय]

उन्होंने अधिकारियों के बारे में सारे नियम लिख कर भेजे थे और उनकी बिना पर आज भी काम हो रहा है और वे नियम इस प्रकार हैं:--

"मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या १२/१/६५-दो-ख-१९६५, दिनांक २६ जुलाई, १९६५ की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने का निर्णय लेने में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना चाहिये और आनुशासनिक प्राधिकारी को सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये। निलंबन की आवश्यकता व्यक्ति निरपेक्ष कारणों पर स्पष्टतः आधारित होनी चाहिये और ऐसा करने में सक्षम अधिकारी को अन्य कारणों से प्रभावित नहीं होना चाहिये।

देखने में यह आया है कि इन अनुदेशों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों को छोटी-छोटी बातों पर निलंबित कर दिया जाता है। इसके बाद आरोप-पत्र बहुत देरी से दिया जाता है जिससे निलंबन की स्थिति वर्षों तक चलती है। इससे एक ओर तो निलंबित कर्मचारी के आत्म सम्मान को भारी ठेस पहुंचती है और दूसरी ओर उसे इस काल में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। नियमानुसार निलम्बन साधारणतया तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप इतने गम्भीर न हों कि, उनके प्रमाणित हो जाने की दशा में, उसे सेवा से पदच्युत, पृथक् अथवा पदावनति करने की सम्भावना हो।"

उस दिन भी इस नियम के पालन के बारे में मैंने सदन को बताया था। आज मैं बतला दूं कि उनका उत्तर आ गया २ मई को। वहां पर एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं भारत सरकार ने उनको भेजा था। उनका २६ अप्रैल का स्पष्टीकरण है जो यहां ४, ५ मई को पहुंचा है। स्पष्टीकरण भी लम्बा है और इन सारी चीजों को स्क्रुटिनाइज करने के लिये एकाइंक्वयरिंग आफिसर नियुक्त कर दिया है। प्रोसीजर इसमें कुछ लम्बा होता है। मई में स्पष्टीकरण आया है। दो महीने में इंक्वायरिंग आफिसर जब तक यह तय न कर ले क्या सजा दी जाय-डिसमिस किया जाय-रिडक्शन इन रैंक किया जाय या कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाय क्योंकि ५० साल की सर्विस उनकी हो गयी है, तब तक इस मामले में कुछ करना संभव नहीं मालूम होता है।

अब प्रश्न यह है कि सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। विजिलेंस ने भी केवल यही रिपोर्ट दी कि दबाव डाल कर यह-यह काम किये। अब इंक्वायरिंग आफिसर के लिये इंक्वायरी करने की यह एक चीज है क्या सर्विस रूल्स इतनी आजादी देते हैं कि उनको डिसमिस कर दिया जाय, डिमोट कर दिया जाय। उनकी रिपोर्ट का इन्तजार हो रहा है। कम्पलसरी रिटायरमेंट की बात भी है। ५० वर्ष के ऊपर उनकी सर्विस हो गयी है। लिट्टिगेशन किया जाय। ५, ७ मई वर्ष मुकदमा लड़ा जाय। हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक मामला जायगा। सरकार यह भी उचित समझ सकती है कि यह सब करने के बजाय कम्पलसरी रिटायरमेंन्ट कर दिया जाय। ये सारी की सारी चीजें सरकार के विचाराधीन हैं। हमको कोई हमदर्दी नहीं है। ६९-७० की बात कही गयी।

शासन उस समय किसी का हो जबाव उसका उसी को देना पड़ता है जो इस समय शासन में हो। लेकिन उस समय जो हुआ उसका सारा दोष हमको दिया जाय तो यह दुख की बात है। ६०-७० में जब वह मेरठ में कमिश्नर थे किसने पोस्टिंग की, किस वजह से भेजे गये उसका जबाव हमसे पूछा जाय तो यह दुख की बात है। हमारी परम्परा है कि हम किसी को दोषी नहीं ठहराते हालांकि ६९ में गुप्त जी भी के चौधरी साहब भी के और हम भी उनके साथ थे। उनका भी कोई दोष नहीं है। उनके सामने किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं था। सन् ७२ में इन्क्वायरी हुई, ७३ में आरोप-पत्र दिया गया, ७४ में स्पष्टीकरण मांगा गया। तो सवाल यह है कि इस अधिकारी को मुअत्तल किया जाय या नहीं।

सरकार के सामने और भी चीजे हैं जैसे कम्पलसरी रिटायरमेंट उनका हो सकता है। हम जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करेंगे और मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी कोई हमदर्दी इस व्यक्ति पर नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अनुचित दबाव डाल कर सारे प्रशासन की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाता हो, उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होगी। जो कार्यवाही होगी वह आपकी भावनाओं के अनुकूल ही होगी और कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे आपको यह महसूस हो कि हमारी इनके प्रति हमदर्दी है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और विजीलेंस ने दो मुद्दों पर उस व्यक्ति को दोषी ठहराया। मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है तो तत्काल मुअत्तली होती है। मैं जानना चाहता हूं कि ये वहां पर कमिश्नर थे। वहां से हटने के बाद फौरन गवर्नमेंट आफ इंडिया में टेक्सटाइल कमिश्नर बनाये गये और वहां से भी हटने के बाद कामर्स मिनिस्टरी में फारेन इक्सपोर्ट के ज्वाइन्ट सेक्रेटरी बना दिये गये। प्रश्न यह नहीं है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे बल्कि प्रश्न यह है कि शासन ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिसके ऊपर कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप हों और जिसे कि विजिलेन्स ने साबित भी कर दिया हो कार्यवाही न करने के बजाय टेक्सटाइल कमिश्नर बम्बई में बना दिया गया और उसके बाद कामर्स मिनिस्ट्री में ज्वाइन्ट सेक्रेटरी फारेन इक्सपोर्ट का पद दे दिया गया हो तो यह क्या उनकी पदोन्नति हुई, उसके कार्यों की सराहना हुई या भर्त्सना हुई? मैं यही जानना चाहता हूं कि कार्यवाही का यही सिलसिला चल रहा है कि उसने यह तरक्की और सराहना का काम किया?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय यादव जी जहां बैठे हुये हैं उनके गुनाहों की सजा हम भुगत रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष जी, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। इस तरह से सरकार की कुर्सी पर बैठने का मौका मुझे नहीं मिला है। सुकर्म किये हों तो वह भी आपके ही हैं और कुकर्म किये हों तो वह भी आपके ही हैं। चाहे चौधरी चरण सिंह, मुख्य मंत्री रहे हों, गुप्ता जी रहे हों या कमलापति जी रहे हों, किसी के मुख्य मंत्री रहने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं और न भाग ही सकते हैं। कोई अधिकारी यदि किसी के मुख्य-मंत्रित्व काल में गलती या भ्रष्टाचार करता है और वह उसके लिये पकड़ा जाता है तो क्या कहकर उसे छोड दिया जायेगा कि उसके शासन में वह मुख्य मंत्री नहीं था। ७२ में जानकारी हुई, ७३ में विजीलेंस की रिपोर्ट हुई तथा इसके अलावा भारत सरकार से लेकर लखनऊ तक आपकी ही सरकार है इस अधिकारी को क्यों पनाह दी गई?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर मैं कहूंगा कि सन् ७२ में जो सरकार आयी उसके जमाने में यह बात आयी थी और शिकायत भी हुई थी।

श्री काशी नाथ मिश्रा—

मान्यवर मंत्री जी ने नाम भी पढ़ा और बात भी यह सही दिखाई देती है। जब कोई बड़ा अफसर फंसता है तो सेक्रेटेरियेट में जो बड़े-बड़े अफसर बैठते हैं वे इस तरह के नियम निकालने लगते हैं कि ताकि वह बच जाय। प्रशासन रूपी बहू सेक्रेटेरियट के अन्दर ढककर रखते है ताकि मंत्री जी भी उसकी शक्ल न देख पायें। तो मान्यवर मैं चाहता हूं कि जब कभी भी

[श्री काशीनाथ मिश्र]

यह साबित हो जाय और मंत्री जी आश्वस्त हो जांय कि फलां आदमी ने गलती की है तो उस मामले में मंत्री जी को जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो, देनी चाहिये। यह उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की है। इस सम्बन्ध में अगर कोई कानून सजा देने में बाधक हो तो मंत्री जी को उसे भी तोड़ना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि ये जो कपूर साहब हैं ये चौधरी चरण सिंह जी के ट्रस्टेड आदमियों में से हैं जिन्होंने कि उन्हें ५ लाख रुपया इलेक्शन में चन्दा दिया है। और यहां से ही उन्हें कमिश्नर बनाकर भेजा गया।

श्री अध्यक्ष--

यह जो जबाब मंत्री जी ने दिया ठीक नही था। मंत्री जी को ऐसा जबाब नहीं देना चाहिये था। कौन था, यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। प्रश्न तो यह है कि आपके सामने एक मामला आया--

श्री राज मंगल पांडेय--

आप मेरी बात समझ नहीं पायें, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी बात कहना कि जिसमें किसी सदस्य पर कोई बात आये, ठीक नही है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

बात यह जो उठी उसके विषय में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

सीमित प्रश्न तक अपने को सीमित रखें।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है। मैंने इसलिये कहा चूंकि नेगी जी की तरफ से ७१-७२ की बात आई, और उसके बाद फिर ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट आफ इंडिया की बात आई। इसलिये इसके बारें में मैंने कहा कि जो बात उसके जमाने की है, उसका पाप मैं भोग रहा हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

उसमें आप भी शामिल थे, आप भी मंत्रिमंडल में थे। दूसरा गलती करे तो आप भी गलती करें, यह कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं जानता था कि असरार जी जब खड़े हो रहे हैं तो यह कहेंगे, इसीलिये मैंने मंत्री जी से कहा था।

श्री काशीनाथ मिश्र--

भ्रष्टाचार के मामले में जब वह प्राइमाफेसी बात बिलकुल सिद्ध हो गई है, तो आई०ए०एस० अफसर क्या किसी अन्य दूसरे अफसर से कोई भिन्न स्थिति रखता है? मैं समझता हूं कि सुप्रीमकोर्ट का जो निर्णय है और जो कायदे कानून है, उनके अनुसार उनका कोई विशेषाधिकार नही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं आई० ए० एस० अधिकारी और एक नागरिक में इस बारे में कोई विभेद नहीं, यही आप जानना चाहते है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने तो पहले ही कह दिया । मैं कोई भेद नहीं कर रहा हूं, कुछ आलटरनेटिव है सामने । इंक्वायरिंग अफसर बिठाये या कम्पलसरी रिटायर कर दें, यह सोचना है । मैंने यह भी कह दिया कि मैं सारे सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जल्दी ही सरकार इस बारे में कोई निर्णय ले लेगी । सरकार को उसके प्रति कोई सहानुभूति नही है । सरकार सदन की भावना का आदर करती है और कोई भी कार्यवाही करने से हिचकेगी नहीं ।

श्री मंजूर अहमद—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त मैंने इनके खिलाफ करीब ९० आरोप लगाकर सन् ७० में मुख्य मंत्री जी को दिया था और उस के बाद उसकी विजीलेंस इंक्वायरी हो गई तो मैंने तत्काल यह चिट्ठी लिखी कि जब विजीलेंस ने आदेश कर दिया तो इसको यहां से हटा दो । उसको हटाया किन्तु फिर उसे टैक्सटाईल कमिश्नर बनाया । वह वह समय था जब सारे भारत में सूत के लिये एक हाहाकार मचा और मिलमालिकों ने बुनकरों के साथ बहुत ज्यादती किया, उस पर फिर मैंने कहा । इस पर फिर उनको हटाकर बेरूनी कारबार का अफसर बना दिया गया । तो क्या आपने भारत सरकार को लिखा कि इसको तुरन्त सस्पेन्ड किया जाये और इतने महत्वपूर्ण पद से इन्हें हटाया जाये ।

श्री राज मंगल पांडेय—

चूंकि वह भारत सरकार की सर्विस में थे, भारत सरकार के माध्यम से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया । उत्तर जो उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया के माध्यम से दिया वह २ मई, ७४ को दिया है । उस पर हम स्क्रूटनी कर रहे है कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाई हम करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आई० ए० एस० अफसर को उत्तर प्रदेश सरकार को मुअत्तल करने का अधिकार नहीं है, तो क्या जो कपूर साहब ने खराब-खराब काम किये हैं, उसकी सूचना भारत सरकार को देते हुए यह सिफारिश यहां की सरकार करेगी कि इस अफसर को जल्दी मुअत्तल किया जाए ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

मान्यवर, मुअत्तली से ज्यादा सजा डिस्मिसल, रिमूवल तक के बारे में मैंने कहा । हमने यह कहा कि सरकार के सामने सारा प्रश्न विचाराधीन है, डिस्मिसल रिडक्शन इन रैंक, रिमूवल, कम्पलसरी रिटायरमेंट का उसके बाद क्या प्रश्न उठता है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विचाराधीन का मामला कितने दिन तक चलेगा, कब तक सरकार विचार कर लेगी, तिथि बताएं ।

श्री राज मंगल पान्डेय—

मैंने बहुत पहले कह दिया माननीय सदस्यों और सदन की भावना को जानते हुए जितनी जल्दी संभव हो सकेगा, कठोर से कठोर कार्यवाही होगी ।

श्री मुहम्मद शकील अहमद--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जीओ उन्होंने पढ़ा, उसके अन्तर्गत बताया कि उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई जब कि सैकड़ों हजारों उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं जिन पर जैसे आरोप लगता है सस्पेंड कर दिया जाता है और यू० पी० डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनक्वायरी कमेटी ने पंत जी की अध्यक्षता में साफ-साफ कह दिया है कि जैसे आरोप लगे सस्पेंड करना चाहिये और उत्तर प्रदेश के सारे कर्मचारी सस्पेंड किये जाते हैं तो कपूर साहब को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या भारत सरकार निलंबित करने में बाधक है ?

श्री राज मंगल पान्डेय--

वह तो जवाब आ चुका । हम देख रहे हैं, जितनी जल्दी से जल्दी संभव होगा हम कठोर से कठोर कार्यवाही की बात कह रहे हैं । आप केवल सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं ।

श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । उसके निलम्बन में भारत सरकार बाधक नहीं है यह साफ है । क्या भारत सरकार उनके निलम्बन में बाधक है ?

श्री राज मंगल पान्डेय--

मैंने पहले ही कहा कि भारत सरकार निलम्बन में कोई बाधक नहीं है । निलम्बन स्वतः कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है । जब हम डिस्मिसल, रिमूवल, रिडेक्शन इन रैंक और कम्पल्सरी रिटायरमेंट की बात सोच रहे हैं तो सस्पेंशन का सवाल बार-बार क्यों आ रहा है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इतनी चर्चा होने के बाद भी नतीजा क्या निकलता है ? माननीय मंत्री जी यहां तक भी करने के लिये तैयार नहीं हैं, कि आज भी केन्द्रीय सरकार को यह लिख दें कि इनका सस्पेंशन करें, यहां तक भी तैयार नहीं हैं और इसके लिये भी सोचना पड़ेगा । इसके लिये तीन प्रश्न सीधे-सीधे हैं ।

क्या आप, अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, आज ही इस सदन से उठने के बाद फौरन आप केन्द्रीय सरकार की नोटिस में इस बात को लायेंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ इतने भयंकर चार्जेज हैं, कृपा करके इसको सस्पेंड कर दीजिये ।

नम्बर २, जो क्वैरीइन विशिष्ट तरीकों से मंजूर करायी गयी, क्या माननीय मंत्री सदन को आश्वासन देंगे कि उस क्वैरी का लीज कैंसिल करवा दिया गया ।

नम्बर ३, श्री बी० एस० सेठ जो १५ वर्षों तक एस० डी० एम० रहे और तिकड़मबाजी करके मंसूरी के आई० ए० एस० कालेज में विराजमान हैं, जिन्होंने कमिश्नर की गर्दन पकड़ कर अपने भाई के नाम लीज मंजूर करायी, उस लीज को भी आप खारिज करने के लिये तैयार हैं, या उसके सिलसिले में जांच कराने के लिये तैयार हैं ? यहां पर एक सप्लीमेंटरी प्रश्न हुआ था जो मातहत अधिकारी हैं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे मंत्री जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया था ।

श्री राज मंगल पान्डेय--

जो तीनों प्रश्न हैं, दो और तीन के उत्तर में यह है कि लीज एक व्यक्ति को मिली, चार्ज उनके ऊपर है । उन्होंने दबाव डालकर लीज दिलवायी । लीज कैंसिल करने की बात,

एग्जामिन करने की बात है। उस संबंध में जांच जरूर करा लेंगे कि सरकार क्या कर सकती है। लेकिन जहां तक सेठ का सवाल है वह डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं था। इसलिये श्री बी० एस० सेठ के बारे में मैं पूरी नहीं दे सकते। श्री बी० एस० सेठ ने क्या कार्य किये यदि वह लिखकर देंगे तो उसको जांच करा लेंगे। एक चीज के बारे में बार-बार कहना कोई बात नहीं है। अब भी मैं कहता हूं कि ससपेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। मैं सारे सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारे पास जो लीगल रिमेडीज हैं वह सब करेंगे। कम्पलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल, रिमूवर तथा रिडक्शन इन रैंक, यानी कोई भी चीज करने में हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप न कर सकते हों और केन्द्रीय सरकार ही निलम्बित कर सकती हो ऐसे नियम हों तो।

श्री राजमंगल पान्डेय—

मान्यवर, मैंने कह दिया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया बाधक नहीं है क्योंकि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१६ जुलाई, १९७४

नत्थी "क"

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४४ पर]

संलग्नक 'क'

१—सहकारी संघ लिमिटेड, बिसवा ।
२—सहकारी बीज भंडार परसेंडी ।
३—सहकारी बीज भंडार, रामकोट ।
४—सहकारी बीज भंडार, महमूदाबाद ।
५—गन्ना संघ, महमूदाबाद ।

संलग्नक 'ख'

१—शिकायतों की जांच करने पर सहकारी संघ, बिसवा, सहकारी बीज भंडार परसेडी, सहकारी बीज भंडार, रामकोट तथा महमूदाबाद में स्थिति गन्ना संघ के सम्बन्ध में फर्टीलाइजर ब्लैक मार्केटिंग का कोई मामला प्रकाश में नही आया । परन्तु सहकारी बीज भंडार परसेडी में फर्टीलाइजर का वितरण परिवेक्षक द्वारा मनमाने ढंग से किया गया पाया गया जिसके लिये उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके दिनांक ३१-१२-७३ को चेतावनी दी गयी ।

२—सहकारी बीज भंडार, महमूदाबाद से सम्बन्धित शिकायत पर बीज भंडार के प्रभारी पर्यवेक्षक को दिनांक ६-९-७३ से निलम्बित कर दिया गया ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७ पर)

नलकूपों के असफल होने का कारण निम्नलिखित है--

१--पनकी का नलकूप--

इस नलकूप की ड्रीलिंग १२६५ फीट तक करने के पश्चात् जब एसेम्बली को बोर में डाला गया तो टेकनिकल बाधाओं के कारण पाइप ९०५ फिट से अधिक नीचे नहीं जा सका । पाइप को नीचे ले जाने के लिये विभिन्न तरीकों से प्रयास किया गया परन्तु सफलता नहीं मिली । विभिन्न तरीके प्रयोग करने के कारण अधिक व्यय होने पर भी सफलता नहीं मिली ।

२--गणेश उद्यन का नलकूप--

इस नलकूप के बनाने में ड्रिलिग व पाइपों का बोर में डालना तो सफल रहा परन्तु जब बोर चेक किया गया तो १३६ फिट पर पाइप पिचका हुआ मिला पाइप बुरी तरह पिचका पाया गया और केवल ३/४ इंच ही पाइप में खुली जगह पाई गई थी ।

३--जूही का नलकूप--

इस नलकूप में पानी में बहुत अधिक बालू आ रही है । बहुत प्रयत्न करन के पश्चात् भी पानी बालू रहित नहीं हो पाया ।

४--हरिजन्दर नगर का नलकूप--

अंशतः सफल रहा है । पानी में बालू के कुछ कण रह जाते है । इसीलिये इसका पुनर्विकास किया जा रहा है ।

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा रु० १४२-८८ लाख की जल सम्पूर्ति पुनर्गठन (मास्टर प्लान) योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके पूर्ण हो जाने पर अधिक प्रेषर से पानी मिलेगा । गंगा नदी से पंपिंग स्टेशन तक नहर की सफाई के लिये महापालिका ने ड्रेजर खरीदने का प्रस्ताव किया है । गंगा नदी पर एक बांध बनाने की भी योजना है ।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५९ पर)

अनुलग्नक—१

विकास खंड हरिहरपुर रानी तथा सिरसिया के अन्तर्गत पेय जल योजना में हरिजनों के लिये सन् ७२ से अब तक (३०—६—८४ तक) पूर्ण निर्मित्त कूपों का ग्राम वार विवरण—

नाम विकास खंड	गांव का नाम जहां कूप पूर्ण निर्मित्त हुआ है	कूप-संख्या	कूप की लागत
१	२	३	४
			रु०
हरिहरपुर रानी	१—परसाडे हरिया	१	१,४९९.७५
	२—महरोली	१	१,४९९.७५
	३—शिवगढ़	१	१,५००.००
	४—जरकुसहा	१	१,४६३.७०
	५—शाहपुरकलां	१	१,५००.००
	६—भरथाबेलपरिया	१	१,४९८.००
	७—एहलबा	१	१,५००.००
	८—परसरामपुर	१	१,५००.००
	९—मुजेहना	१	१,४७७.२५
	१०—उचेशाहपुर	१	१,४९७.८०
	११—नवबाता	१	१,४९८.७०
	१२—संकटपुर	१	१,४९८.००
	१३—झुनझुनिया	१	१,५००.००
योग	१३	१३	१९,४३२.९५
हरिहरपुर रानी	१—खेरोकलां	१	२,२५०.००
	२—परसाड हरिया	१	२,२५०.००
	३—परसरामपुर	१	२,२५०.००
	४—नगहा	१	१,७५०.००
	५—असने हरिया	१	१,५००.००
योग	५	५	१०,०००.००
सम्पूर्ण योग	१८	१८	२९,४३२.९५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम विकास खंड	गांव का नाम जहां कूप पूर्ण निर्मित्त हुआ है	कूप-संख्या	कूप की लागत
१	२	३	४
			रु०
सिरसिया	१—सन्तलिया	१	१,७४९.६०
	२—गंगापुर	१	१,७५०.००
	३—लक्ष्मनपुर गोड़पुरवा	१	१,७३७.५०
	४—शिवाजीवत	१	१,७४०.००
	५—जेचुआविलास	१	१,७३६.३०
	६—तेन्दुआरतनपुर (ओझापुरवा)	१	१,७५०.००
	७—राजगुरुजुरपलिया	१	१,७०२.८४
	८—मदरहवा	१	१,४५१.२०
	योग ८	८	१३,६१७.४४
सिरसिया	१—शंकरपुर	१	२,२५०.००
	२—उधवापुर	१	२,२५०.००
	३—विशनापुर रामनगरा	१	२,२५०.००
	योग ३	३	६,७५०.००
	सम्पूर्ण योग ११	११	२०,३६९.६४
	दोनों विकास खंडों का कुल योग २९	२९	४९,८००.३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुलग्नक—२

विकास खंड हरिहरपुररानी तथा सिरसिया में पेय जल योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिये वर्ष ७२ से अब तक (३०—६—७४ तक) स्वीकृत कूपों के विपरीत निर्माणाधीन कूपों का ग्रामवार विवरण

नाम विकास खंड	गांव का नाम जहां कूप निर्माणाधीन है	कूप-संख्या	अब तक की लागत
१	२	३	४
			रु०
हरिहरपुररानी	१—किशनपुर चौखाभरी	१	१,५००.००
	२—भिन्गादहातो क्षेत्र	१	२,२५०.००
	३—चितईपुर	१	२,२५०.००
	४—शिवगढ़ कलां	१	२,२५०.००
	५—तुरसमा	१	२,२५०.००
योग	५	५	१०,५००.००
,,	१—कक्करदरी	१	७५०.००
	२—चक्वा	१	(×)
योग	२	२	७५०.००
सम्पूर्ण योग	७	७	११,२५०.००
सिरसिया	१—कठकईया	१	७७०.२९
	२—मोतीपुरकसहा	१	६१६.९०
	३—टिटहिरिया	१	१,६३१.०८
	४—लालपुरकुसमोहना	१	९५१.२०
	५—गांधों	१	१,२००.००
	६—परे प्रसाद	१	१,४००.००
	७—दुर्गापुर किढ़यावनपुरवा	१	१,६०२.४०
	८—सम्हारपुरवा	१	१,७००.००
योग	८ ..	८	९,८७१.८७

अध्यक्ष सभा विधान सभा उत्तर प्रदेश

नाम विकास खंड	गांव का नाम जहां कूप निर्माणाधीन हैं	कूप संख्या	अब तक की लागत
१	२	३	४
			रु०
सिरसिया	१—मधुवापुर	१	१,८००.००
	२—लोहनियां	१	१,५००.००
	३—गेंहुआभारो	१	१,५००.००
	४—बिल्लो	१	१,०००.००
	५—सुईया	१	..
	६—बनकटो	१	१,०००.००
	७—ढौढ़पुरवा	१	१,८००.००
	८—धोलिया	१	१,५००.००
	९—मुतना	१	१,५००.००
	१०—गुलरा	१	१,५००.००
	११—हेकोमपुरवा	१	१,५००.००
	१२—वनधुसरो	१	२,०००.००
	१३—अमूरहवा	१	२,०००.००
	१४—मेड़किया	१	१,५००.००
	१५—सिरसिया	१	१,५००.००
	१६—चन्दनकुड़ी	१	२,०००.००
	१७—विश्नापुर पड़बलिया	१	१,५००.००
	योग १७	१७	२५,१००.००
सिरसिया	१—पूरे दारो	१	१,५००.००
	योग २६	२६	३६,४७१.८७
(दोनों विकास खंडों का कुल योग सम्मिलित)	सम्पूर्ण योग ३३	३३	४७,७२१.८७

अमर विद्यालय संकुल

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६४ पर)

जनपद अलीगढ़ की ग्रामीण पेयजल योजनायें

क्रमांक	तहसील का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत	ग्रामों के नाम	३१ मई, १९७४ तक की स्थिति	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	खैर	चोधाना	१—७६७	(१) चोधाना (२) अडखा (३) तेहरा (४) मजूपर (५) सुवर्करा	जिला परिषद् अलीगढ़ से योजना पर धन प्राप्ति हेतु अनुदान एवं ऋण के लिये प्रस्ताव मांगे गये है।	
		२—स्योरोखा	३—१२०	(१) स्यारोख	"	
		(३) पनिहावर	५—१४५	(१) पनिहावर (२) मडैला (३) कटरा	" " "	
२	कोल	(१) साया	३—२३७	(१) साधा	प्रस्ताव मांगा गया है।	
		(२) अहमदपुर	४—१३०	(१) अहमदपुर (२) पलाएसी (३) सहारनपुर (४) हसनपुर बुजुर्ग (५) सिंगारपुर	" " " " "	
३	हाथरस	(३) कलाई	३—८४५	(१) कलाई	"	
		(१) सिगरौली	२—८७८	(१) सिगरौली (२) नगला गिजरौली। (३) कलधारी	" " "	
		(२) टुकसान	३—७००	(१) टुकसान (२) नजगामनी (३) बुधू (४) धातराजूर्द (५) भूसंखा	" " " " "	
		(३) रुदायन	३—२८२	(१) रुदायन (२) बिलखोरा कलां (३) बिलखोरा खुर्द। (४) मदाखेरा जरयां	" " " "	

क्रमांक	तहसील का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत	ग्रामों के नाम	३१ मई १९७४ तक की स्थिति	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
४	इगलास	(१) इगलास	९–८७३	(१) इगलास	प्रस्ताव मांगा गया है।	
		(२) कजरोठ	४–१८५	(१) कजरोठ	,,	
				(२) मलावेवला	,,	
				(३) महदलपुर	,,	
				(२) बिलगौरा खुर्द	,,	
				(३) नहवलपुर	,,	
				(४) खुर्द		
				(५) नगला नेपाल		
				(६) मडौरा		
		(३) भया	३–४५०	(१) भैया		
				(२) मानड		
				(३) जाखर		
				(४) गोविलपुर		
				(५) मढी		
५	अतरौली	(१) अरला	६–७४०	(१) अरला	पद नाम मांगे गये हैं।	
				(२) नगला समझी		
				(३) नगला हसन खां		
				(४) जलकपुर		
				(५) दलालपुर		
				(६) नगला नंदराम		
				(७) नगला खिरकारी		
				(८) नगला कस्साव		
				(९) नगला खारी		
				(१०) सराय		
		(२) काजमाबाद	४–५६०	(१) काजमाबाद		,,
		(३) सिरसा	९–७७५	(१) सिरसा		
				(२) बिजौली		,,
				(३) छोगवा		
				(४) छबीलपुर		
				(५) भटिया		
				(६) हमीरपुर		
६	सिकराराऊ	(१) अकराबाद	२–७४०	(१) अकराबाद		,,
		(२) नबीपुर	५–९४०	(१) नबीरपुर		
				(२) ढढोली		
				(३) अल्लादीनपुर		
				(४) रामपुर		
				(५) महेबा		
				(६) गढाला		
				(७) छतारपुर		

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६४ पर)

संलग्नक

वर्ष १९७२-७३—

१—रामेश्वर लाल रामानन्द दीवान दयाराम, गोरखपुर ।
२—हीरालाल जैठामल सुमनदास काली दास, कानपुर ।
३—अजीत सिंह बृजमोहन सिंह, कानपुर ।
४—किशन लाल गुलाब चन्द हिन्दी बाजार, गोरखपुर ।
५—बुनकर उद्योग सहकारी संघ, गोरखपुर ।
६—निदेश कुमार मन्ना लाल रेती रोड, गोरखपुर ।
७—रोगटा एण्ड सन्स, हैदर बाजार, गोरखपुर ।
८—डी०सी०एम, गोरखपुर ।
९—माखयिया ट्रेडिंग कम्पनी हैदर बाजार, गोरखपुर ।
१०—वाराणसी टैक्सटाइल्स, जेतपुर ।
११—कलकत्ता ट्रेडिंग कम्पनी, गोरखपुर ।
१२—सत्य नारायण अशोक कुमार, हैदर बाजार, गोरखपुर ।
१३—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ ।
१४—जिला सहकारी संघ, गोरखपुर ।
१५—उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, शाखा कानपुर ।

वर्ष १९७३-७४—

१—मेसर्स सत्य नारायण अशोक कुमार, हैदर बाजार, गोरखपुर ।
२—चुन्नी लाल भैरवलाल, गोरखपुर ।
३—कन्हैया लाल राम निवास, गोरखपुर ।
४—रामेश्वर लाल रामानन्द दीवान दयाराम, गोरखपुर ।
५—युगुल किशोर मोदी दीवान दयाराम, गोरखपुर ।
६—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ब"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६४ पर)

सलग्नक

माह		नत्रजन (टनों में)	फास्फट (टनों में)	पोटाश (टनों में)
जनवरी, १९७४	..	१२१	१३	१६
फरवरी, १९७४	..	३९	३	४
मार्च, १९७४	..	२३	..	..
अप्रैल, १९७४	..	४७	..	..
मई, १९७४	..	२३	..	..
योग	..	२५३	१६	२०

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

सूची

उन सड़कों का विवरण जिन्हें पक्का किया गया अथवा सुदृढ़ किया गया ।

१—मार्ग जो पक्का किये गये—

१—गुमडी–उर्जनीकलां सम्पर्क मार्ग (५ किलोमीटर)

२—महाराजगंज–भनियापुर उपाध्याय मार्ग (४.५ किलोमीटर)

३—इन्दुबली पुरवा–परसपुर-नवाबगंज मार्ग (२ किलोमीटर)

२—मार्ग जो सुदृढ़ किये गये—

१—इटियाथोक–खरगूपुर मार्ग (५.६ किलोमीटर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० ११० बि०सभा—(१५१३)—१९७५—८३५ ।